Current Affairs

Connect Civils RAS

IAS RAS

Integrated (Pre + Mains + Interview) Current Affairs Monthly Magazine

सितम्बर 2025

9352179495 Connect Civils RAS Youtube Lecture

Index

Polity.. 3
Topic 1 - सोशल मीडिया आचरण दिशानिर्देशों पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश.. 3
Topic 2 - क्या भारत में आरक्षण सीमा को 50% से अधिक बढ़ाया जाना चाहिए?.. 4
Topic 3 - शिक्षा का अधिकार (RTE).. 6
Topic 4 - भारत की संघीय संरचना.. 8
Topic 5 - भारत के सर्वोच्च न्यायालय में लैंगिक असंतुलन.......... 10
Topic 6 - उपराष्ट्रपति चुनाव...11
Topic 7 - भारत बनाम फ्रांस: संसदीय प्रणाली और विश्वास मत... 13
Topic 8 - ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन अधिनियम, 2025.. 14
IR.. 16
Topic 1 - भारत–चीन संबंध...16
Topic 2 - वैश्विक परिवर्तनों के संदर्भ में भारत–चीन संबंध.......... 18
Topic 3 - भारत की द्विपक्षीय और बहुपक्षीय कूटनीति............... 19
Topic 4 - बहुध्रुवीय विश्व में भारत की रणनीतिक स्वायत्तता........ 20
Topic 5 - नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था का क्षरण/पतनग.......22
Topic 6 - शंघाई सहयोग संगठन (SCO)...............................24
Topic 7 - भारत–इज़राइल द्विपक्षीय निवेश समझौता (BIA)........ 25
Economy.. 26
Topic 1 - डिजिटल करेंसी जापानी येन (DCJPY).....................26
Topic 2 - मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (Inflation Targeting).......26
Topic 3 - भारत के निर्यात क्षेत्र में बढ़ती चुनौतियाँ.................... 28
Topic 4 - निर्यात संवर्धन मिशन.. 29
Topic 5 - प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियां (Assets Under Management – AUM)..30
Topic 6 - न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (Minimum Public Shareholding).. 31
Topic 7 - भारत में बॉन्ड बाजार.. 31
Topic 8 - भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश एक टाइम बम के रूप में 34
Topic 9 - भारत में स्वास्थ्य बीमा में वृद्धि और जोखिम...............36
Topic 10 - भारत का हरित ऊर्जा विरोधाभास (Green Energy Paradox).. 37
Govt Schemes.. 39
Topic 1 - यशोदा एआई (Yashoda AI)............................. 39
Topic 2 - नारी 2025 (NARI 2025)..................................40
Topic 3 - ई-सुश्रुत@क्लिनिक (e-Sushrut@Clinic)............. 40
Topic 4 - स्वयं पोर्टल (SWAYAM Portal)........................... 41
Topic 5 - स्माइल योजना (SMILE Scheme)..........................42
Topic 6 - प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY).....................42
Topic 7 - PM SVANidhi Scheme (Restructured)........43
Topic 8 - प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY)..... 44
Topic 9 - भारती पहल (BHARATI Initiative)....................45
History.. 47
Topic 1 - मेला पट्ट उत्सव (Mela Patt Festival)................. 47
Topic 2 - अपतानी जनजाति..47
Topic 3 - वृंदावनी वस्त्र...48
Topic 4 - हड़प्पा लिपि का रहस्योद्घाटन.................................. 48
Topic 5 - आदि वाणी पहल (Adi Vaani Initiative).............49
Topic 6 - आत्म-सम्मान आंदोलन...50
Topic 4 - सरदार वल्लभभाई पटेल... 51
Topic 5 - विठ्ठलभाई पटेल..51
Topic 6 - डॉ. भूपेन हजारिका...52
Topic 7 - डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन.. 53
Science and Technology.. 54
Topic 1 - 2D सामग्री (2D Materials)............................. 54
Topic 2 - विक्रम 32-बिट प्रोसेसर (VIKRAM3201).............. 55
Topic 3 - ब्लड मून (Blood Moon)....................................55
Topic 4 - राष्ट्रीय बायोफाउंड्री नेटवर्क.....................................56
Topic 5 - उच्च-प्रदर्शन जैव-विनिर्माण मंच (High-Performance Biomanufacturing Platforms)..................................57
Topic 6 - एस्चेरिचिया कोलाई (E. coli)............................... 57
Topic 7 - CEREBO – स्वदेशी मस्तिष्क उपकरण................... 58
Topic 8 - बहु-चरणीय मलेरिया वैक्सीन – एडफाल्सीवैक्स (AdFalciVax)..59
Topic 9 - चंद्र मॉड्यूल प्रक्षेपण यान (LMLV)..........................59
Topic 10 - एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली (IADWS)..........61
Topic 11 - ओरेश्निक हाइपरसोनिक मिसाइल..........................61
Topic 11 - RS-28 सर्मत ICBM (सैटन-2).......................... 62
Topic 12 - डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणाली (LRHW). 62
Topic 13 - खोर्रमशहर-5 (Khorramshahr-5)...................63
Topic 14 - गोल्डन डोम (Golden Dome)..........................63
Topic 15 - भारत पूर्वानुमान प्रणाली (BharatFS).................. 64
Environment & Geography.. 65
Topic 1 - भारत की जीवाश्म विरासत..65
Topic 2 - ध्वनि प्रदूषण (Noise Pollution)......................... 66
Topic 3 - स्वतंत्र पर्यावरण लेखा परीक्षक (Independent Environment Auditors)... 68
Topic 4 - राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण (NDAIAPA)...................69
Topic 5 - ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (GCP)..................................70
Topic 6 - संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र (Joint Crediting Mechanism – JCM)..71
Topic 7 - रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, 1992.......................... 71
Topic 8 - कोयला क्षेत्र का विनियमन......................................72
Topic 9 - मालदीव और लक्षद्वीप में समुद्री जल-स्तर वृद्धि........... 73

Topic 10 - उत्तर और उत्तर-पश्चिम भारत में प्राकृतिक आपदाएँ... 74
Topic 11 - भारत में जलवायु अनुकूल शहरों का निर्माण..... 76
Topic 12 - लिपुलेख दर्रा..... 77
Topic 13 - सुंदरबन टाइगर रिज़र्व (STR).....78
Topic 14 - लाल सागर (Red Sea).....79
SMA, SBL and Ethics..... 80
Topic 1 - हॉकी एशिया कप 2025..... 80
Topic 2 - शासन में राजनीतिक हस्तक्षेप..... 80
Topic 3 - भारत में घरेलू क्षेत्र.....81
Topic 4 - भारत के कामकाजी युवाओं में अकेलापन.....83
Topic 5 - भारत में वृद्धावस्था और स्वास्थ्य बोझ..... 84
Topic 6 - भारत में भ्रष्टाचार..... 85
Topic 7 - विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTGs)..... 87
Miscellaneous..... 89
Topic 1 - सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक (SYSM).....89
Topic 2 - प्रोजेक्ट आरोहण.....89
Topic 3 - अभ्यास ज़ापाद 2025..... 90
Topic 4 - अभ्यास मैत्री (Exercise MAITREE)..... 90
Topic 5 - युद्ध अभ्यास सैन्य अभ्यास..... 90
Topic 6 - अभ्यास ब्राइट स्टार 2025..... 91
Topic 7 - भारत में बढ़ता कैंसर का बोझ..... 91
Topic 8 - राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक (SEEI) 2024..... 93
Topic 9 - इंडिया रैंकिंग्स 2025..... 94
Topic 10 - वैश्विक शांति सूचकांक (Global Peace Index - GPI) 2025.....95
Topic 11 - उम्मीद पोर्टल (Umeed Portal)..... 95

Polity

Topic 1 - सोशल मीडिया आचरण दिशानिर्देशों पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश

Syllabus	संविधान | मूल अधिकार | सोशल मीडिया
संदर्भ	सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को **व्यापक सोशल मीडिया आचरण दिशा-निर्देश** तैयार करने का निर्देश दिया है, जिसमें **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता** और व्यक्तियों तथा समुदायों की **गरिमा के बीच संतुलन** बनाए रखा जाए।
पृष्ठभूमि	❖ भारत: 800+ मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ता; सोशल मीडिया की पहुँच लगातार बढ़ रही है। ❖ **मौद्रीकरण:** इन्फ्लुएंसर्स, हास्य कलाकार और पॉडकास्टर सामग्री के माध्यम से आय अर्जित करते हैं। ❖ **चिंताएँ:** हेट स्पीच, गलत सूचना, अपमानजनक हास्य। ❖ **वर्तमान फ्रेमवर्क:** ➢ आईटी अधिनियम, 2000 और आईटी नियम 2021 (मध्यस्थों की ड्यू डिजिलेंस)। ➢ न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी (NBSA) के प्रसारण मानक। ➢ IPC, दिव्यांग अधिकार कानून (सीमित दायरा)। ❖ **अंतराल**: ऑनलाइन हास्य, व्यावसायिक अभिव्यक्ति और सामुदायिक संवेदनशीलता के लिए कोई **व्यापक, भविष्य-उन्मुख नियम नहीं** हैं। केवल दंड नहीं, बल्कि संवेदनशीलता (sensitisation) आवश्यक है।
सुप्रीम कोर्ट की प्रमुख टिप्पणियाँ	❖ **संतुलित विनियमन:** अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आवश्यक है लेकिन यह **निरपेक्ष नहीं** है; गरिमा से समझौता नहीं किया जा सकता। ❖ **हास्य बनाम घृणा:** हास्य और व्यंग्य संविधानिक मूल्यों, जैसे - गरिमा, समानता और समावेशन - का उल्लंघन नहीं कर सकते। ❖ **दिशानिर्देश ढाँचा:** NBSA और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर तैयार किया जाएगा; प्रतिक्रियात्मक नहीं, दूरदर्शी होना चाहिए। ❖ **दंड:** स्पष्ट जवाबदेही, उल्लंघनों के लिए अनुपातिक सजा। ❖ **संवेदनशील समूहों की सुरक्षा:** महिलाएँ, बच्चे, अल्पसंख्यक, दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक।

बड़ा मुद्दा: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम सामाजिक उत्तरदायित्व

पहलू	चिंता
अनुच्छेद 19(1)(a)	अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र, रचनात्मकता और असहमति के लिए आवश्यक।
अनुच्छेद 19(2)	शालीनता, नैतिकता और सार्वजनिक व्यवस्था हेतु युक्तियुक्त प्रतिबंध।
अनुच्छेद 21	गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार → संवेदनशील समूहों को नुकसान से सुरक्षा।
व्यावसायीकरण	मौद्रीकृत कंटेंट → **अधिक उत्तरदायित्व** की आवश्यकता।
डिजिटल इकोसिस्टम	गति, वायरलता, अनामिता → अधिक नुकसान की संभावना।

निहितार्थ	❖ **कानूनी:** हास्य, इन्फ्लुएंसर की अभिव्यक्ति और संवेदनशीलताओं पर नियमों के लिए नया मिसाल। ❖ **सामाजिक:** समावेशी डिजिटल स्पेस, हाशिए पर मौजूद समूहों के लिए सुरक्षा। ❖ **तकनीकी:** AI-आधारित कंटेंट मॉडरेशन और शिकायत निवारण को बढ़ावा। ❖ **प्रशासनिक:** विनियमन और सेंसरशिप के बीच संतुलन।

आगे की राह	❖ **हितधारक परामर्श:** टेक कंपनियाँ, हास्य कलाकार, इन्फ्लुएंसर, नागरिक समाज आदि से परामर्श करना। ❖ **संवेदनशीलता > दंड:** डिजिटल नैतिकता, जागरूकता अभियान। ❖ **स्पष्ट वर्गीकरण:** मुक्त, व्यावसायिक और प्रतिबंधित अभिव्यक्ति। ❖ **तकनीकी समाधान:** AI और स्वतंत्र निगरानी। ❖ **अनुपातिक दंड:** जवाबदेही हो, लेकिन डर का माहौल न बने। ❖ **डिजिटल लोकपाल:** एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र।
निष्कर्ष	सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता** और **गरिमा** दोनों की रक्षा के लिए **समयानुकूल हस्तक्षेप** है। भविष्य-उन्मुख नियमों को समावेशिता को बढ़ावा देना चाहिए, साथ ही संवैधानिक संतुलन सुनिश्चित करना चाहिए।

Topic 2 - क्या भारत में आरक्षण सीमा को 50% से अधिक बढ़ाया जाना चाहिए?

Syllabus	राजनीति | आरक्षण
संदर्भ	राजनीतिक आरक्षण माँगों और उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुसूचित जातियों/जनजातियों पर क्रीमी लेयर लागू करने के नोटिस के बाद यह बहस फिर से प्रमुखता में आई है।
संवैधानिक एवं न्यायिक ढांचा (50% सीमा)	**शिक्षा में आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय** 1. **मद्रास राज्य बनाम चम्पकम दोराइराजन (1951)** - अनुच्छेद 29(2) के तहत शैक्षणिक संस्थानों में जाति आधारित आरक्षण को असंवैधानिक घोषित किया गया। इसके परिणामस्वरूप **प्रथम संविधान संशोधन (1951)** हुआ, जिसमें **अनुच्छेद 15(4)** जोड़ा गया। 2. **इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992)** - रोजगार में 27% OBC आरक्षण को बरकरार रखा गया और ओबीसी के लिए **"क्रीमी लेयर"** की अवधारणा प्रस्तुत की गई। लेकिन यह निर्णय प्रमोशन में आरक्षण को अस्वीकार करता है। इस सिद्धांत को बाद में **शैक्षिक संस्थानों** तक विस्तारित किया गया। 3. **टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य (2002)** - यह माना कि निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों को छात्रों को प्रवेश देने का अधिकार है, परंतु उन्हें राज्य के आरक्षण नियमों को लागू करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। 4. **पी.ए. इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य (2005)** - निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों पर आरक्षण थोपना असंवैधानिक घोषित किया गया। इसके परिणामस्वरूप **93वां संविधान संशोधन** हुआ, जिसमें **अनुच्छेद 15(5)** जोड़ा गया। 5. **जनहित अभियान बनाम भारत संघ (2022)** - **103वें संवैधानिक संशोधन** को बरकरार रखा, जिसने **10% ईडब्ल्यूएस** आरक्षण को मान्यता दी। **रोजगार में आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय** 1. **इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992)**: - अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत ओबीसी आरक्षण को वैध ठहराया गया, लेकिन पदोन्नति में आरक्षण को बाहर रखा गया। कुल आरक्षण की सीमा **50%** तय की गई, केवल अपवाद स्वरूप ही अधिक हो सकता है। **क्रीमी लेयर** की अवधारणा लागू की गई ताकि आर्थिक रूप से समृद्ध OBC को लाभ से बाहर किया जा सके। 2. **एम. नागराज बनाम भारत संघ (2006)**: **पदोन्नति में आरक्षण** की अनुमति देने वाले संविधान संशोधनों (अनुच्छेद 16(4A) और 16(4B) के तहत) को वैध ठहराया गया। राज्यों को **पिछड़ेपन, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, और प्रशासनिक दक्षता** पर **मात्रात्मक डेटा** प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया।

	3. **राजीव कुमार गुप्ता बनाम भारत संघ (2016)**: - दिव्यांग व्यक्तियों हेतु पदोन्नति में आरक्षण की अनुमति दी गई (निशक्तजन अधिनियम, 1995 के तहत), यह कहा गया कि यह अनुच्छेद 16 का उल्लंघन नहीं है। 4. **जरनैल सिंह बनाम लच्छमी नारायण गुप्ता (2018)**: - अनुसूचित जातियों/जनजातियों (SCs/STs) के लिए पदोन्नति में आरक्षण लागू करने हेतु "पिछड़ेपन" को सिद्ध करने की आवश्यकता समाप्त की गई। यह पुनः पुष्टि की कि राज्यों को अपर्याप्त प्रतिनिधित्व पर मात्रात्मक डेटा एकत्र करना होगा और प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित करनी होगी। 5. **जनहित अभियान बनाम भारत संघ (2022)**: - **103वें संविधान संशोधन** की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, जिसने **EWS आरक्षण** लागू किया। 6. **पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह (2024)** - **अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों में उपवर्गीकरण (subclassification)** की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा गया।
समानता पर बहस	❖ **औपचारिक समानता:** सभी को समान रूप से देखती है; 50% सीमा को **संरक्षण के रूप में** देखा जाता है। ❖ **वास्तविक समानता:** ऐतिहासिक अन्याय को मान्यता देती है; **आरक्षण** को वास्तविक समानता प्राप्त करने का **साधन** मानती है।
सीमा बढ़ाने के पक्ष में तर्क	❖ **जनसांख्यिकीय वास्तविकता:** एससी, एसटी और ओबीसी की आबादी 60% से अधिक (मंडल डेटा); 50% सीमा आनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं कर पाती। ❖ **राजनीतिक मांगें:** बिहार और अन्य राज्यों द्वारा 80–85% तक आरक्षण की मांग। ❖ **असमान लाभ:** रोहिणी आयोग – ओबीसी आरक्षण का 97% लाभ केवल 25% जातियों को। ❖ **वास्तविक न्याय:** आरक्षण **समानता** ((अनुच्छेद 16(1)) **का अपवाद नहीं**, बल्कि **समानता प्राप्त करने का साधन** है (एन.एम. थॉमस वाद, 1975); अतः सीमा इतनी कठोर नहीं होनी चाहिए कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व का उद्देश्य विफल हो जाए। ❖ **न्यायिक लचीलापन:** इंद्रा साहनी वाद अपवादों की अनुमति देता है; 10% EWS आरक्षण → 50% सीमा **अनिवार्य नहीं**, और **मूल संरचना** का **हिस्सा नहीं।** ❖ **राज्य उदाहरण:** तमिलनाडु, महाराष्ट्र और हरियाणा पहले से ही 50% से अधिक आरक्षण दे चुके हैं।
सीमा बढ़ाने के विरुद्ध तर्क	❖ **योग्यता में गिरावट:** सेवाओं की दक्षता पर असर पड़ सकता है। ❖ **न्यायिक मिसाल:** इंद्रा साहनी ने संतुलन के लिए 50% सीमा तय किया → इससे अधिक आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा सकता है। ❖ **रिक्त पद:** 40–50% आरक्षित पद खाली रहते हैं → क्रियान्वयन की कमी। ❖ **क्रीमी लेयर मुद्दा:** एससी/एसटी में क्रीमी लेयर न होने से **अंतर्जातीय असमानता** बढ़ती है। ❖ **विकल्पों की उपलब्धता:** उप-वर्गीकरण, जाति जनगणना, बैकलॉग भरना अधिक प्रभावी उपाय हैं। ❖ **नीतिगत मुद्रास्फीति:** आरक्षण की मांगें **लोकलुभावन उपकरण** बन सकती हैं ❖ **गैर-आरक्षित गरीबों का बहिष्कार: रिवर्स डिस्क्रिमेनेशन** की आशंका।
आगे की राह	❖ **जाति जनगणना (2027):** आरक्षण निर्धारण के लिए **तथ्यात्मक आधार।** ❖ **उप-श्रेणीकरण:** रोहिणी रिपोर्ट को लागू करना; एससी/एसटी के भीतर **द्विस्तरीय प्रणाली** अपनाना। ❖ **गतिशील सीमा:** जिन राज्यों में पिछड़े वर्गों का अनुपात अत्यधिक है उनके लिए लचीलापन। ❖ **आरक्षण से आगे:** शिक्षा, कौशल, उद्यमिता और निजी क्षेत्र में प्रतिनिधित्व पर ध्यान देना। ❖ **संतुलन: समानता और दक्षता** का समन्वय → सच्चा सशक्तिकरण।

Topic 3 - शिक्षा का अधिकार (RTE)	
Syllabus	संविधान |मूलभूत अधिकार	अल्पसंख्यक संस्थाएं
संदर्भ	सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के **प्रमति निर्णय** पर सवाल उठाया है, जिसमें अल्पसंख्यक स्कूलों (सहायता प्राप्त + गैर-सहायता प्राप्त) को शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 से छूट दी गई थी।
सर्वोच्च न्यायालय के वे निर्णय जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है	**1. मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य (1992)** ❖ सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि **शिक्षा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित एक मौलिक अधिकार है**। ❖ न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि – "अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार, मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी शामिल करता है, और जब तक इसके साथ शिक्षा का अधिकार नहीं जुड़ा हो, तब तक यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।" **2. उन्नी कृष्णन, जे.पी. बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1993)** ❖ न्यायालय ने मोहिनी जैन के निर्णय में आंशिक संशोधन किया। न्यायालय ने कहा कि - **14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है**, जो **अनुच्छेद 21** से व्युत्पन्न है और **अनुच्छेद 45** (राज्य के नीति निदेशक तत्व) के साथ पढ़ा जाता है। ❖ **14 वर्ष की आयु के बाद** शिक्षा का अधिकार **मौलिक अधिकार नहीं** है, बल्कि यह राज्य की **आर्थिक क्षमता** और **विकास के स्तर पर निर्भर** करता है।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009)	❖ **अनुच्छेद 21A** को लागू करता है → **86वां संशोधन** (2002) के माध्यम से जोड़ा गया → 6–14 वर्ष के बच्चों के लिए **निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार।** ❖ **प्रवर्तन तिथि:** 1 अप्रैल 2010 ❖ **निगरानी:** राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR)। ❖ **प्रावधान**: ➢ **सरकारी स्कूल:** निःशुल्क शिक्षा ➢ **सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल:** सरकारी सहायता के अनुपात में निःशुल्क सीटें ➢ **निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूल:** आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और वंचित समूहों के लिए **25% सीट आरक्षित** करना अनिवार्य (धारा 12(1)(c))। ❖ **प्रतिबंध:** कैपिटेशन फीस, चयन प्रक्रिया के आधार पर प्रवेश, शारीरिक दंड। ❖ **अनिवार्यताएँ:** ➢ न्यूनतम आधारभूत संरचना (शौचालय, पीने का पानी, खेल का मैदान) ➢ छात्र–शिक्षक अनुपात (प्राथमिक स्तर पर 30:1) ➢ शिक्षक की योग्यता और प्रशिक्षण ❖ **मुख्य फोकस:** समावेशिता, समानता और बाल-केंद्रित शिक्षा।
प्रमति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट बनाम भारत संघ निर्णय (2014)	❖ निर्णय: RTE अधिनियम **अनुच्छेद 30(1)** (अल्पसंख्यक अधिकार) का उल्लंघन करता है ❖ परिणाम: **सभी अल्पसंख्यक स्कूलों को RTE से छूट**, जिसमें 25% कोटा भी शामिल ❖ प्रभाव: विद्यालयों द्वारा अल्पसंख्यक दर्जे का दुरुपयोग, समावेशन के सिद्धांत का ह्रास।
सुप्रीम कोर्ट (2025) की टिप्पणियाँ	❖ अनुच्छेद 21A और 30 को सह-अस्तित्व में रहना चाहिए। ❖ 25% आरक्षण को केस-दर-केस आधार पर तय किया जाए, न कि सभी के लिए समान छूट। ❖ चेतावनी: विद्यालयों की यह छूट समावेशिता और बाल-केंद्रित उद्देश्यों को कमजोर करती है।

	❖ मामला पुनर्विचार हेतु बड़ी पीठ को संदर्भित किया गया।
चुनौतियाँ	❖ **कानूनी**: केवल बड़ी पीठ ही प्रमति वाद के निर्णय को पलट सकती है। ❖ **संवैधानिक**: **स्वायत्तता** (अनुच्छेद 30(1) – अल्पसंख्यक स्वाधिकार) और **समावेशिता** (अनुच्छेद 21A – बच्चे का शिक्षा अधिकार) के बीच संतुलन की चुनौती। ❖ **अनुपालन**: RTE मानदंडों का अभी भी कमजोर क्रियान्वयन। ❖ **सामाजिक**: कक्षा में सामाजिक-आर्थिक मिश्रण के प्रति प्रतिरोध।
प्रभाव	❖ **शिक्षा:** वंचित समूहों को प्रतिष्ठित अल्पसंख्यक विद्यालयों में **प्रवेश से वंचित** करता है। ❖ **संवैधानिक मूल्य:** सामूहिक अधिकारों को बच्चों के अधिकारों पर प्राथमिकता देता है → समानता और न्याय के सिद्धांत को कमजोर करता है। ❖ **शासन:** अल्पसंख्यक दर्जे में खामियाँ → असमानता को गहरा करती हैं, मानव संसाधन को कमजोर करती हैं।
आगे की राह	❖ **न्यायिक पुनर्संतुलन:** बड़ी पीठ को अनुच्छेद 21A और 30 में सामंजस्य स्थापित करना होगा। ❖ **नीति:** कम से कम, सभी विद्यालयों पर शिक्षक और आधारभूत ढाँचे के मानक लागू हों; समावेशन हेतु आरक्षण प्रणाली में लचीलापन। ❖ **सरकारी स्कूल:** राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण सरकारी विद्यालयों में निवेश। ❖ **सामाजिक अभियान:** विविधता और लोकतांत्रिक कक्षाओं को प्रोत्साहित करना।
निष्कर्ष	RTE और अल्पसंख्यक छूट का यह विवाद **संवैधानिक नैतिकता की परीक्षा** है। सर्वोच्च न्यायालय के पास अब यह अवसर है कि वह संतुलन बहाल करे - ताकि समावेशी शिक्षा का बच्चों का अधिकार संस्थागत विशेषाधिकारों से ऊपर रहे।

Topic 4 - भारत की संघीय संरचना

Syllabus	राजनीति एवं संविधान
संदर्भ	❖ **सुप्रीम कोर्ट का निर्देश (दिसंबर 2023)**: अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को बरकरार रखते हुए जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा पुनः बहाल किया जाए। ❖ **चुनाव (अक्टूबर 2024):** आयोजित हुए, लेकिन राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए कोई रोडमैप घोषित नहीं किया गया। ❖ यह भारत की संघीय संरचना में संघीय अधिकार बनाम राज्य स्वायत्तता की बहस को जन्म देता है।

राज्य निर्माण के लिए संवैधानिक ढांचा

❖ भारतीय संविधान में राज्य निर्माण की **तीन प्रक्रियाएँ -**

प्रक्रिया	विवरण	उदाहरण
प्रवेश (Admission)	भारत संघ में नए क्षेत्र को शामिल करना	सिक्किम (1975, जनमत संग्रह के माध्यम से) एक "संघ-संबद्ध राज्य" के रूप में
स्थापना (Establishment)	अधिग्रहित या अभिगृहित क्षेत्र से नए राज्य का निर्माण	गोवा (1961, मुक्ति के बाद), सिक्किम एक पूर्ण राज्य के रूप में
गठन (Formation) [अनुच्छेद 3]	मौजूदा राज्यों का पुनर्गठन – सीमा, नाम में परिवर्तन या विलय/विभाजन के माध्यम से	तेलंगाना (2014), छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड (2000), जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (2019)

❖ **मुख्य सिद्धांत:** संसद राज्य का पुनर्गठन कर सकती है लेकिन किसी **राज्य को स्थायी रूप से** केंद्रशासित प्रदेश में **परिवर्तित नहीं कर सकती** → यह संघीय आधार सुनिश्चित करता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जम्मू-कश्मीर निर्णय (2023) में इसकी पुष्टि की गई।
➢ यह **संघीय अखंडता** और **लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व** सुनिश्चित करता है।

भारत की संघीय संरचना

❖ भारत = राज्यों का संघ (अनुच्छेद 1) → अमेरिका जैसे पारंपरिक संघ नहीं; अविभाज्यता पर बल।

❖ राज्यों को पृथक्करण का अधिकार नहीं है (स्वैच्छिक संघों के विपरीत) → क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित होती है।

❖ **भारतीय संघवाद की प्रमुख विशेषताएँ**

विशेषता	विवरण / प्रासंगिकता
मजबूत केंद्र	संघ सूची का प्रभुत्व; आपातकालीन शक्तियाँ; अखिल भारतीय सेवाएँ
द्विसदनीयता	राज्यसभा संघ स्तर पर राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है
असममित संघवाद	जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों के लिए विशेष प्रावधान (अनुच्छेद 370, 371
एकात्मक तत्व	केंद्रीय आपातकालीन शक्तियाँ, एकल नागरिकता, अखिल भारतीय सेवाएँ
लचीला संविधान	संसद राज्य की सहमति के बिना राज्य पुनर्गठन कर सकती है (अनुच्छेद 3)
न्यायिक सुरक्षा	सुप्रीम कोर्ट संघीय संतुलन की रक्षा करता है (जैसे: जम्मू-कश्मीर राज्य का दर्जा निर्णय 2023)। **संघवाद = मूल संरचना** → इसे संविधान संशोधन द्वारा भी कमजोर नहीं किया जा सकता (केशवानंद भारती वाद)।
सहकारी तंत्र	GST परिषद, अंतर-राज्यीय परिषद, नीति आयोग

जम्मू-कश्मीर और संघीय बहस

❖ **2019:** पुनर्गठन अधिनियम → जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया: जम्मू-कश्मीर (विधानसभा सहित) और लद्दाख (विधानसभा रहित)।

➢ **अनुच्छेद 370 का निरसन:** असमान संघवाद समाप्त हुआ; भारतीय संघ में पूर्ण एकीकरण।

❖ **2023:** सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्गठन को बरकरार रखा लेकिन राज्य का दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया।

❖ **संघ से संबंधित प्रमुख प्रश्न**

बहस का मुद्दा	संवैधानिक स्थिति
क्या संसद किसी राज्य को स्थायी रूप से UT बना सकती है?	**नहीं** – यह संघीय आधार का उल्लंघन है (सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी)।
क्या केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को कमजोर करता है?	हाँ – उपराज्यपाल का प्रभुत्व; सीमित विधायी स्वायत्तता और निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्तियों पर रोक।
क्या संघवाद राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ संगत है?	हाँ – लेकिन स्वायत्तता और रणनीतिक चिंताओं के बीच संतुलन आवश्य है।

❖ **समर्थकों का मत:** सुरक्षा स्थिति लंबे समय तक संघीय नियंत्रण को उचित ठहराती है।

राज्य का दर्जा बहाल करने का महत्व

❖ **संघीय अखंडता:** साझा शासन की पुनर्पुष्टि करता है।

❖ **लोकतांत्रिक अधिकार:** प्रतिनिधित्व और जवाबदेही सुनिश्चित करता है।

❖ **शक्ति संतुलन:** उपराज्यपाल के प्रभुत्व को सीमित करता है, विधानसभा को सशक्त करता है।

	❖ **न्यायिक आदेश:** सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को लागू करना संवैधानिक विश्वास को बनाए रखता है। ❖ **राजनीतिक स्थिरता:** अलगाव को कम करता है, संघ में विश्वास बढ़ाता है।
निष्कर्ष	सुप्रीम कोर्ट का कथन है कि "भारतीय संविधान के तहत राज्यों का स्वतंत्र संवैधानिक अस्तित्व होता है।" भारत की संघीय संरचना की मांग है कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा पुनः प्रदान किया जाए – न केवल संवैधानिक निष्ठा के लिए, बल्कि लोकतांत्रिक संघवाद की भावना को बनाए रखने के लिए भी।

Topic 5 - भारत के सर्वोच्च न्यायालय में लैंगिक असंतुलन

Syllabus	राजनीति एवं न्यायपालिका | लैंगिक समानता
संदर्भ	न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया के अगस्त 2025 में सेवानिवृत्त होने के बाद, **34-सदस्यीय** सर्वोच्च न्यायालय में **केवल 1 महिला न्यायाधीश** (न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना) शेष हैं, जिससे गंभीर लैंगिक असंतुलन उजागर हुआ है।
न्यायपालिका में लैंगिक असंतुलन क्या है?	❖ **लैंगिक असंतुलन** → समानता के संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 14 – कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 – विशेष आधारों पर भेदभाव का निषेध, अनुच्छेद 16 – सार्वजनिक नियोजन में अवसरों की समानता) के बावजूद **सर्वोच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीशों का अत्यल्प प्रतिनिधित्व**। ❖ **आँकड़े**: ➢ 1950 से अब तक → 287 न्यायाधीशों में केवल **11 महिलाएँ (3.8%)** ➢ वर्तमान → **1/34 न्यायाधीश** (न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना) ➢ **पहली महिला न्यायाधीश:** न्यायमूर्ति फातिमा बीवी (1989)। ❖ समस्या: महिलाओं की देर से नियुक्ति → कार्यकाल छोटा → मुख्य न्यायाधीश (CJI) बनने का **अवसर नहीं**।
लैंगिक असंतुलन के कारण	❖ **संरचनात्मक:** कोलेजियम लैंगिक विविधता को **प्राथमिकता नहीं** देता। ➢ **अस्पष्ट प्रक्रिया:** कोलेजियम में पारदर्शिता का अभाव → विवेकाधीन बहिष्करण। ➢ **देर से पदोन्नति**: महिलाओं को देर से उच्च न्यायालयों में नियुक्त किया जाता है → कार्यकाल छोटा। ❖ **सामाजिक:** लैंगिक पूर्वाग्रह नेतृत्व भूमिकाओं को सीमित करते हैं। ❖ **बार से बाधाएँ:** मात्र 1 महिला (न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा) को सीधे बार से नियुक्त किया गया। ❖ **संस्थागत जड़ता:** विधि आयोग की 230वीं रिपोर्ट, न्यायमूर्ति वर्मा समिति की सिफारिशों के बावजूद लैंगिक विविधता के लिए कोई **बाध्यकारी नीति नहीं** अपनाई गई।
चुनौतियाँ	❖ **अपारदर्शी कोलेजियम:** कोई लिखित विविधता नीति नहीं। ❖ **वरिष्ठता का मुद्दा:** महिलाओं को देर से पदोन्नति मिलती है, जिससे वे नेतृत्व भूमिकाओं से वंचित रह जाती हैं। ❖ **पुरुष-प्रधान विधिक संस्कृति:** वरिष्ठ अधिवक्ताओं में महिला संख्या कम; उच्च न्यायालय/बार से सीमित संख्या में महिलाओं की नियुक्ति। ❖ **राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी:** जाति/क्षेत्र की तरह **लैंगिक पहलू की अनदेखी।** ❖ **उत्तरदायित्व की कमी:** प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र नहीं।
निहितार्थ	➢ **न्यायपालिका के लिए** ➢ संकीर्ण दृष्टिकोण → निर्णयों में समावेशिता की कमी। ➢ वैधता संकट → सर्वोच्च न्यायालय समाज का प्रतिनिधित्व करने में विफल। ➢ लैंगिक न्याय पर न्यायशास्त्रीय विकास का अभाव। ➢ लैंगिक-संवेदनशील मुद्दों (जैसे, यौन हिंसा, पारिवारिक कानून) में सहानुभूतिपूर्ण निर्णय का अभाव।

	➢ छोटे कार्यकाल के कारण महिलाएँ CJI/कोलेजियम पदों पर नहीं पहुँच पातीं। ❖ **समाज के लिए** ➢ न्यायपालिका के समानता के दावों में विश्वास की कमी। ➢ महत्वाकांक्षी महिला वकीलों के लिए रोल मॉडल का अभाव। ➢ अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन → समानता की भावना कमजोर। ➢ लोकतांत्रिक कमी → सर्वोच्च न्यायालय में लैंगिक विविधता का अभाव।
आगे की राह	❖ **संस्थागत सुधार:** कॉलेजियम में **लैंगिक विविधता** को **अनिवार्य** किया जाए; चयन के कारण सार्वजनिक हों → पारदर्शिता। ❖ **प्रवाह तंत्र:** उच्च न्यायालयों में अधिक महिला न्यायाधीश नियुक्त करें, बार में महिला मेंटरशिप, न्यायिक सेवाओं में आरक्षण। ❖ **नीति:** लिखित नीति/प्रक्रिया संहिता (MoP) अपनाएँ, जिसमें लैंगिक (और सामाजिक) विविधता को स्पष्ट रूप से अनिवार्य किया जाए (द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसा)। ❖ **वैश्विक अनुभव:** कनाडा, यूके जैसे देशों में शीर्ष अदालतों में विविधता सुनिश्चित की जाती है → भारत इसे अपना सकता है।
निष्कर्ष	सर्वोच्च न्यायालय में लैंगिक संतुलन प्रतीकात्मकता नहीं बल्कि संवैधानिक अनिवार्यता है। न्यायपालिका में भारत की विविधता का प्रतिबिंब जनता के विश्वास, समावेशिता और संवैधानिक नैतिकता को सुदृढ़ करेगा।

Topic 6 - उपराष्ट्रपति चुनाव

Syllabus	भारतीय राजनीति | संसद
संदर्भ	एनडीए उम्मीदवार **सीपी राधाकृष्णन** भारत के **15वें उपराष्ट्रपति** के रूप में निर्वाचित हुए।
सी.पी. राधाकृष्णन के बारे में	❖ **जन्म:** 20 अक्टूबर 1957, तिरुपुर (तमिलनाडु) ❖ **पूर्व पद:** महाराष्ट्र और झारखंड के राज्यपाल; तेलंगाना और पुडुचेरी का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला। ❖ **राजनीतिक करियर:** दो बार सांसद (कोयंबटूर), पूर्व भाजपा तमिलनाडु अध्यक्ष, और नारियल जटा बोर्ड (Coir Board) के अध्यक्ष रहे है।
संवैधानिक प्रावधान	❖ **अनुच्छेद 63** → उपराष्ट्रपति का पद = दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद। ❖ **अनुच्छेद 64** → राज्यसभा के पदेन सभापति। ❖ **अनुच्छेद 65** → राष्ट्रपति की अनुपस्थिति या पद रिक्ति की स्थिति में कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, जब तक 6 माह के भीतर नया चुनाव न हो जाए।
पात्रता	❖ भारत का **नागरिक** होना अनिवार्य। ❖ न्यूनतम आयु **35 वर्ष**। ❖ **राज्यसभा** के लिए निर्वाचित होने की योग्यता हो। ❖ केंद्र/राज्य सरकार के अधीन किसी **लाभ के पद पर नहीं** होना चाहिए (उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्रीय/राज्य मंत्री अपवाद)।
चुनाव और कार्यकाल	❖ **निर्वाचन मंडल** द्वारा चुना जाता है: ➢ संसद के दोनों सदनों (लोकसभा + राज्यसभा) के सदस्य शामिल। ➢ राज्य विधानसभाएँ शामिल नहीं होतीं (राष्ट्रपति चुनाव के विपरीत)।

	➢ प्रत्येक सांसद का मत = 1 (समान मूल्य)। ❖ **मतदान प्रणाली:** एकल संक्रमणीय मत द्वारा **आनुपातिक प्रतिनिधित्व**। ❖ **मतदान प्रक्रिया** ➢ **मतपत्र:** गुलाबी रंग के, हिंदी और अंग्रेज़ी में द्विभाषी ➢ **प्राथमिकता अंकन:** उम्मीदवारों के सामने 1, 2, 3... लिखें; शब्द या खाली स्थान → अमान्य ➢ **कोटा:** (कुल वैध मत ÷ 2) + 1 ■ उदाहरण: 780 मत → कोटा = 391 ❖ **मत गणना एवं हस्तांतरण** ➢ पहले वरीयता (1) के मत गिने जाते हैं। ➢ यदि कोटा पूरा हो गया → उम्मीदवार विजयी। ➢ यदि नहीं: सबसे कम मत पाने वाले उम्मीदवार को हटाया जाता है, और उनके मत अगली वरीयता प्राप्त उम्मीदवार (2, 3...) को हस्तांतरित किए जाते हैं। ➢ यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कोई उम्मीदवार कोटा पार न कर ले। ❖ **गुप्त मतदान व दलबदल** ➢ सांसद गोपनीय रूप से मतदान करते हैं (गुप्त मतदान)। ➢ कोई पार्टी व्हिप नहीं; दलबदल विरोधी कानून लागू नहीं होता → क्रॉस-वोटिंग संभव। ❖ **कार्यकाल:** 5 वर्ष (उत्तराधिकारी के कार्यभार ग्रहण तक जारी); पुनः चुनाव के लिए पात्र। ❖ **रिक्ति/हटाना:** राष्ट्रपति को इस्तीफा; राज्यसभा प्रस्ताव + लोकसभा के अनुमोदन वाले प्रस्ताव द्वारा हटाना (14 दिन पूर्व सूचना आवश्यक)।
शक्तियाँ और कार्य	<table><tr><th>भूमिका</th><th>विवरण</th></tr><tr><td>**राज्यसभा सभापति**</td><td>कार्यवाही की अध्यक्षता करता है (केवल निर्णायक मत की स्थिति में मतदान); अनुशासन और मर्यादा सुनिश्चित करता है।</td></tr><tr><td>**कार्यवाहक राष्ट्रपति**</td><td>राष्ट्रपति की अनुपस्थिति या रिक्ति में कार्य करता है; राष्ट्रपति की सभी शक्तियाँ और वेतन प्राप्त करता है।</td></tr><tr><td>**विधायी भूमिका**</td><td>राज्यसभा में प्रस्तावों, विधेयकों और बहस की स्वीकृति पर निर्णय।</td></tr><tr><td>**निष्पक्ष मध्यस्थ**</td><td>सदन की कार्यवाही में राजनीतिक रूप से निष्पक्ष रहने की अपेक्षा।</td></tr></table>
वर्तमान उपराष्ट्रपति चुनाव (2025)	❖ प्रतिद्वंदी: न्यायमूर्ति बी. सुदर्शन रेड्डी (इंडिया गठबंधन)। ❖ परिणाम: सी.पी. राधाकृष्णन को **452 मत**, जबकि विपक्षी को 336 मत। ❖ शपथ ग्रहण: 12 सितम्बर 2025।
नीतिशास्त्र/निबंध के लिए उद्धरण	"उपराष्ट्रपति केवल एक संवैधानिक व्यक्ति नहीं है, बल्कि संसदीय शिष्टाचार का संरक्षक है।"

Topic 7 - भारत बनाम फ्रांस: संसदीय प्रणाली और विश्वास मत

Syllabus	संवैधानिक प्रणालियों की तुलना
संदर्भ	फ्रांस को राजनीतिक अस्थिरता का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री फ्रांस्वा बेयरू विश्वास मत हार सकते हैं; भारत की संसदीय प्रक्रिया एक विपरीत उदाहरण प्रस्तुत करती है।

शासन प्रणाली (System of Government)

विशेषता	भारत	फ्रांस (पाँचवां गणराज्य)
प्रणाली का प्रकार	संसदीय लोकतंत्र	अर्ध-राष्ट्रपति लोकतंत्र (द्वैध कार्यपालिका: राष्ट्रपति + प्रधानमंत्री)
राज्य प्रमुख	**राष्ट्रपति** (नाममात्र, औपचारिक) • अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, 5 वर्ष का कार्यकाल	**राष्ट्रपति** (कार्यकारी, शक्तिशाली) • प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, 5 वर्ष का कार्यकाल • विदेश नीति, रक्षा, संसद विघटन और आपात शक्तियों का नियंत्रण
सरकार का प्रमुख	**प्रधानमंत्री** (वास्तविक कार्यपालिका) • राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त; लोकसभा का विश्वास आवश्यक	**प्रधानमंत्री** (राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त) • राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त; नेशनल असेंबली का विश्वास आवश्यक • आंतरिक नीति और प्रशासन का प्रबंधन
द्वैध कार्यपालिका	**नहीं** – प्रधानमंत्री केंद्रीय भूमिका में	**हाँ** – राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शक्तियाँ साझा करते हैं
विधानमंडल	द्विसदनीय: लोकसभा + राज्यसभा	द्विसदनीय: नेशनल असेंबली + सीनेट

विश्वास मत (Vote of Confidence)

पहलू	भारत	फ्रांस
प्रारंभ तंत्र	प्रधानमंत्री द्वारा या विपक्ष की मांग पर (अविश्वास प्रस्ताव)	प्रधानमंत्री या असेंबली सांसदों द्वारा (मोशन ऑफ सेंसर)
कानूनी आधार	**अनुच्छेद 75(3)**: मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।	फ्रांसीसी संविधान के अनुच्छेद 49 और 50। **अनुच्छेद 49.3**: प्रधानमंत्री विधेयक पारित होने को विश्वास से जोड़ सकता है, अस्वीकृति → इस्तीफा।
बहुमत की आवश्यकता	उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत	कुल सदस्यों का पूर्ण बहुमत (अनुच्छेद 49(2))
किसे सामना करना पड़ता है	पूरा मंत्रिपरिषद (प्रधानमंत्री + कैबिनेट)	प्रधानमंत्री + कैबिनेट (राष्ट्रपति अप्रभावित)
परिणाम	यदि विश्वास मत हार जाए → प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है, लोकसभा भंग हो सकती है।	यदि विश्वास मत हार जाए → प्रधानमंत्री इस्तीफा देते हैं या राष्ट्रपति असेंबली भंग कर सकते हैं।
हालिया उदाहरण	भारत: 2023 लोकसभा विश्वास मत (मणिपुर मुद्दा)	फ्रांस: 2023 पेंशन सुधार विरोध – अविश्वास प्रस्ताव विफल

निष्कर्ष	❖ **भारत:** सरकार का अस्तित्व पूरी तरह से **संसदीय विश्वास** पर निर्भर करता है → **मजबूत उत्तरदायित्व।** ❖ **फ्रांस:** केवल प्रधानमंत्री और कैबिनेट जवाबदेह; राष्ट्रपति **सुरक्षित** → द्वैध कार्यपालिका में संतुलन। ❖ विशेष अंतर: भारत = संसदीय सर्वोच्चता, फ्रांस = द्वैध कार्यपालिका में संतुलन।

Topic 8 - ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन अधिनियम, 2025

Syllabus	राजनीति एवं शासन
संदर्भ	❖ संसद ने **ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम 2025** पारित किया। ❖ इस अधिनियम के तहत **रीयल मनी गेम्स (RMGs) पर प्रतिबंध** लगाया गया है, जबकि **ई-स्पोर्ट्स** और **सोशल गेमिंग** को **बढ़ावा** दिया गया है।

अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ

❖ **खेलों का वर्गीकरण:**

श्रेणी	विवरण	उदाहरण	प्रमुख विशेषताएँ	कानूनी स्थिति
ई-स्पोर्ट्स	प्रतिस्पर्धी डिजिटल खेलों को संदर्भित करता है जहाँ टीमें या व्यक्ति संगठित टूर्नामेंटों में भाग लेते हैं। **राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025** के अंतर्गत संचालित	कॉल ऑफ ड्यूटी, जीटीए, पोकेमॉन गो	संगठित टूर्नामेंट; सफलता के लिए रणनीति, समन्वय और उन्नत निर्णय लेने के कौशल की आवश्यकता होती है।	मान्यता प्राप्त और प्रोत्साहित
सोशल गेम्स	मनोरंजन, सीखने या सामाजिक मेलजोल के उद्देश्य से खेले जाने वाले अनौपचारिक, मनोरंजक और शैक्षणिक खेल।	वर्डल, कहूत!	मुख्यतः कौशल-आधारित; रोज़मर्रा के मनोरंजन का हिस्सा। सुरक्षित → कोई नकारात्मक सामाजिक प्रभाव नहीं।	समर्थित और प्रोत्साहित
रीयल मनी गेम्स (RMGs)	ऐसे खेल जिनमें वित्तीय दांव शामिल होते हैं, चाहे वे संयोग, कौशल या दोनों के संयोजन पर आधारित हों।	पोकर, रम्मी, फंतासी क्रिकेट, लूडो (दांव के साथ)	धन की बाज़ी लगाना शामिल; लत, वित्तीय नुकसान, मनी लॉन्ड्रिंग, आत्महत्याओं से जुड़ा।	पूर्णतः प्रतिबंधित

❖ **प्रतिबंध का दायरा:**

➢ RMGs के लिए कोई **विज्ञापन**, **सेलिब्रिटी समर्थन** या **प्लेटफ़ॉर्म नहीं** होंगे।

दंड एवं प्रवर्तन

❖ RMGs की पेशकश/सुविधा प्रदान करना → 3 वर्ष की जेल / ₹1 करोड़ जुर्माना / दोनों।
❖ अवैध विज्ञापन → 2 वर्ष की जेल / ₹50 लाख जुर्माना / दोनों।
❖ **अपराध**: गंभीर और गैर-जमानती (BNSS, 2023)।
❖ CERT-IN को ऐप्स को ब्लॉक करने का अधिकार; इंटरपोल के साथ विदेशी ऑपरेटरों के विरुद्ध कार्यवाही संभव।
❖ खिलाड़ियों को अपराधी नहीं माना गया है; ध्यान ऑपरेटरों/प्रवर्तकों पर केंद्रित है।

अधिनियम की आवश्यकता क्यों पड़ी?

❖ **लत, मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्याएँ** – WHO ने जुनूनी व्यवहार को चिन्हित किया → इससे अवसाद उत्पन्न हुआ; कर्नाटक में 31 महीनों में 32 आत्महत्याएँ।
❖ **धोखाधड़ी** – चीनी ऐप FIEWIN ने भारतीयों से ₹400 करोड़ की ठगी की।

	❖ **कर चोरी** – कंपनियों ने ₹30,000+ करोड़ GST और ₹2,000 करोड़ आयकर की चोरी की। ❖ **मनी लॉन्ड्रिंग और आतंक वित्तपोषण** – 2023 की संसदीय समिति द्वारा चिन्हित → राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा।
कानूनी और संवैधानिक चुनौतियाँ	❖ **कौशल बनाम संयोग:** कोई स्पष्ट अंतर नहीं → अनुच्छेद 19(1)(g) (व्यापार के अधिकार) का उल्लंघन हो सकता है। ❖ **राज्य बनाम केंद्र:** जुआ राज्य सूची का विषय है → अधिकार क्षेत्र में टकराव। ❖ **सुप्रीम कोर्ट के निर्णय:** पहले रम्मी और फैंटेसी स्पोर्ट्स को कौशल के खेल के रूप में मान्यता दी गई थी; लंबित मामले कानून को पुनः परिभाषित कर सकते हैं।
सुरक्षित गेमिंग को बढ़ावा	❖ भारत की **समेकित निधि** से **ई-स्पोर्ट्स** और **सामाजिक गेमिंग** के लिए **सरकारी वित्तपोषण**। ❖ शैक्षणिक/मनोरंजनात्मक खेलों को प्रोत्साहन → नवाचार को बढ़ावा। ❖ नाबालिगों के लिए कोई प्रमुख प्रतिबंध नहीं → आलोचक मजबूत सुरक्षा उपायों की माँग कर रहे हैं।
निष्कर्ष	ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम 2025 एक **संतुलित लेकिन विवादास्पद कदम** है — हानिकारक RMGs को रोकते हुए ई-स्पोर्ट्स और सामाजिक गेमिंग को बढ़ावा देता है। इसकी सफलता कानूनी समीक्षा, राज्य सहयोग और प्रवर्तन की प्रभावशीलता पर निर्भर करेगी।

IR

Topic 1 - भारत–चीन संबंध	
Syllabus	अंतर्राष्ट्रीय संबंध | भारत और पड़ोसी देश
संदर्भ	**भारत** और **चीन** अपनी अर्थव्यवस्थाओं में **"सुधारों की कमी"** का सामना कर रहे हैं - भारत को कम निवेश और स्थिर विनिर्माण से जूझना पड़ रहा है, जबकि चीन को अत्यधिक निवेश, कमजोर उपभोग और बढ़ते ऋण का सामना करना पड़ रहा है।
भारत–चीन संबंध: सहयोग और मतभेद के क्षेत्र	**ऐतिहासिक संदर्भ** ❖ प्राचीन संबंध: रेशम मार्ग, बौद्ध धर्म ❖ पंचशील समझौता (1954) → "हिंदी–चीनी भाई–भाई" ❖ **1962 युद्ध** के बाद संबंधों में गिरावट। **राजनीतिक और सुरक्षा आयाम** ❖ **सीमा विवाद:** अक्साई चिन, अरुणाचल प्रदेश ❖ **तनाव के बिंदु**: डोकलाम (2017), गलवान (2020) ❖ सीमा पर विश्वास बहाली उपाय (CBMs): 1993, 1996 → लेकिन अस्थिर। **आर्थिक और व्यापारिक संबंध** ❖ चीन → भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार (~135 अरब डॉलर, 2023)। ❖ **व्यापार घाटा**: चीन के पक्ष में (इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, रसायन)। ❖ भारत की रोकथाम: चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध, 2020 के बाद एफडीआई पर नियंत्रण। **बहुपक्षीय मंचों में सहभागिता** ❖ सहभागिता: ब्रिक्स, एससीओ और जी20। ❖ असहमतियाँ: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार, जलवायु वार्ता, वैश्विक शासन। **रणनीतिक चिंताएँ** ❖ **चीन**: बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) और चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) (PoK से होकर) ❖ **भारत**: क्वाड, इंडो-पैसिफिक रणनीति → संतुलन के रूप में ❖ **प्रतिस्पर्धा**: दक्षिण एशिया, हिंद महासागर क्षेत्र (IOR), और अफ्रीका। **जनसंपर्क** ❖ साझा संस्कृति: योग, बौद्ध धर्म, शिक्षा। ❖ पर्यटन और छात्र आदान–प्रदान → महामारी और तनाव से प्रभावित।
भारत की सुधार चुनौती	❖ **निवेश स्थिरता:** उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना, कर कटौती, बुनियादी ढांचा निवेश → फिर भी निजी निवेश कमजोर। ❖ **विनिर्माण का स्थिर स्तर:** जीडीपी में हिस्सेदारी 15–17% पर स्थिर; रोजगार और उत्पादकता कम। ❖ **उपभोग केंद्रित नीति:** कर राहत, जीएसटी छूट, नगद हस्तांतरण (~जीडीपी का 1%) → मांग में वृद्धि, पर स्वास्थ्य, शिक्षा और अवसंरचना पर वित्तीय दबाव।
चीन की सुधार चुनौती	❖ **अत्यधिक निवेश**: निवेश-से-GDP अनुपात 40%; स्टील/सीमेंट में अतिउत्पादन। ❖ **कमजोर उपभोग**: घरेलू खर्च कम, वृद्ध होती जनसंख्या, उच्च बचत।

	❖ **कर्ज आधारित वृद्धि**: कॉरपोरेट और स्थानीय सरकार ऋण; निर्यात ($3.58 ट्रिलियन, 2024) अस्थिरताओं को छिपाते हैं।

तुलनात्मक दृष्टिकोण

कारक	भारत	चीन
वृद्धि का आधार	उपभोग और सेवाएँ	निवेश और निर्यात
संरचनात्मक समस्या	कमजोर निवेश और विनिर्माण	अत्यधिक निवेश, कम उपभोग
राजनीतिक अर्थव्यवस्था	चुनावी लोकलुभावन नीतियाँ	केंद्रीकृत, कल्याणवाद से परहेज
मुद्रा	स्थिर रुपया	अवमूल्यित युआन

व्यापक प्रभाव	1. **भारत:** उपभोग आधारित वृद्धि → बेरोजगारी की आशंका और राजकोषीय दबाव। 2. **चीन:** कर्ज आधारित मॉडल → मध्यम आय जाल (middle-income trap) और अति उत्पादन का खतरा।
आगे की राह	➢ **भारत के लिए** ➢ भूमि, श्रम और पूंजी बाजारों में सुधार। ➢ विनिर्माण उद्योगों का 4 मुख्य औद्योगिक राज्यों से आगे विस्तार करना। ➢ घरेलू बचत को प्रोत्साहन + वित्तीय बाजारों को गहराई देना। ➢ लोकलुभावन खर्च से हटकर → इंफ्रास्ट्रक्चर और मानव पूंजी पर ध्यान। ❖ **चीन के लिए** ➢ सामाजिक सुरक्षा और पुनर्वितरण के माध्यम से घरेलू उपभोग को बढ़ावा। ➢ कर्ज पर नियंत्रण, अति उत्पादन क्षमता को घटाना। ➢ घरेलू क्रय शक्ति को मजबूत करना (अवमूल्यित युआन का प्रयोग कम करना)।
निष्कर्ष	भारत और चीन भिन्न चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, पर सच्चाई एक ही है: अस्थायी उपाय दीर्घकालिक विकास को बनाए नहीं रख सकते। ठोस संरचनात्मक सुधारों के बिना, दोनों देशों को दीर्घकालिक ठहराव और अधिक समायोजन लागत का खतरा है।

Topic 2 - वैश्विक परिवर्तनों के संदर्भ में भारत–चीन संबंध	
Syllabus	अंतर्राष्ट्रीय संबंध | भारत और पड़ोसी राष्ट्र
संदर्भ	❖ **भारत–चीन संबंध** सहयोग और टकराव के बीच झूलते रहे हैं। ❖ हाल ही में **तियानजिन बैठक** (मोदी–शी) ने वैश्विक उथल-पुथल (अमेरिका–चीन टैरिफ युद्ध) के बीच पुनर्संतुलन को दर्शाया। ❖ सीमा विवाद, अविश्वास और भू-राजनीति के कारण संबंध जटिल बने हुए हैं, फिर भी जलवायु, व्यापार और वैश्विक शासन में सहयोग जारी है।
ऐतिहासिक संदर्भ	❖ **सभ्यतागत संबंध:** बौद्ध धर्म, रेशम मार्ग, ह्वेनसांग, बोधिधर्म। ❖ **1947 के बाद:** भारत पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (PRC) को मान्यता देने वाले पहले देशों में था; पंचशील समझौता (1954)। ❖ **1962 युद्ध:** दीर्घकालिक कटुता उत्पन्न हुई। ❖ **हाल के दशकों में:** संबंधों में उतार-चढ़ाव; BRICS, SCO, जलवायु वार्ता में सहयोग, किन्तु LAC, CPEC, इंडो-पैसिफिक में तनाव।
तनाव के स्रोत	❖ **सीमा विवाद:** अनसुलझा वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) विवाद, अक्साई चिन और अरुणाचल; गलवान झड़प (2020)। ❖ **चीन–पाकिस्तान गठजोड़:** PoK में CPEC (चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा) → रणनीतिक व सुरक्षा खतरा। ❖ **वैश्विक कूटनीति:** चीन UNSC/NSG में भारत की दावेदारी को रोकता है, UN में पाकिस्तान का बचाव करता है ❖ **व्यापार असंतुलन:** $136 बिलियन+ के व्यापार के बावजूद घाटा बना हुआ है।
सहयोग के क्षेत्र	❖ **जलवायु और वैश्विक शासन:** UNFCCC, WTO, IMF सुधारों में समान रुख। ❖ **BRICS और SCO:** आतंकवाद-रोधी सहयोग, बहुध्रुवीय स्थिरता। ❖ **आर्थिक अवसर:** व्यापार जारी; फार्मा, IT, नवीकरणीय ऊर्जा में संभावनाएँ।
बाहरी कारक	❖ **अमेरिका–चीन व्यापार युद्ध:** भारत–चीन को संबंध प्रबंधन हेतु प्रेरित करता है। ❖ **बहुध्रुवीयता:** BRICS विस्तार; वैकल्पिक संस्थानों का निर्माण। ❖ **वैश्विक दक्षिण नेतृत्व:** WTO, जलवायु, तकनीकी शासन में संयुक्त सौदेबाज़ी।
रणनीतिक आयाम	❖ **भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा:** क्वाड बनाम चीन की इंडो-पैसिफिक में आक्रामकता। ❖ **सीमा प्रबंधन:** शांति बनाए रखने के लिए 1993, 1996, 2005 और 2013 के समझौते; फिर भी डोकलाम (2017) और गलवान (2020) जैसी घटनाएँ उनकी कमजोरी दर्शाती हैं। ❖ **आर्थिक संतुलन:** भारत ने चीनी FDI को सीमित किया, ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया; फिर भी आयात (API, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर) पर निर्भरता बनी हुई है।
आगे का रास्ता	❖ **रणनीतिक स्वायत्तता:** अमेरिका और चीन के बीच संतुलन बनाए रखें, दोहरी भूमिका से बचें। ❖ **विश्वास निर्माण उपाय (CBMs):** LAC पर संवाद को मजबूत करना, वुहान (2018), चेन्नई (2019) जैसे शिखर सम्मेलन पुनर्जीवित करना। ❖ **आर्थिक पुनर्संतुलन:** आत्मनिर्भर भारत अभियान + चयनात्मक सहयोग। ❖ **बहुपक्षीयता:** BRICS, SCO, G20 में सुधार हेतु उपयोग। ❖ **लोगों के बीच संपर्क:** सांस्कृतिक, छात्र, पर्यटन आदान-प्रदान।

निष्कर्ष	❖ भारत–चीन संबंध **प्रतिस्पर्धा और सहयोग का मिश्रण** हैं, जिन्हें इतिहास और भू-राजनीति आकार देते हैं। ❖ टकराव टिकाऊ नहीं है → **व्यावहारिक सहभागिता** आवश्यक है। ❖ बहुध्रुवीय विश्व में प्रतिद्वंद्विता और सहयोग का संतुलन राष्ट्रीय हित व वैश्विक स्थिरता सुनिश्चित करता है।

Topic 3 - भारत की द्विपक्षीय और बहुपक्षीय कूटनीति

Syllabus	अंतरराष्ट्रीय संबंध | भारत और पड़ोसी देश
संदर्भ	❖ प्रधानमंत्री मोदी की 4-दिवसीय यात्रा में रूस, चीन और जापान के साथ **द्विपक्षीय वार्ता** और शंघाई सहयोग संगठन (SCO) **शिखर सम्मेलन** (तियानजिन) दोनों सम्मिलित थे। ❖ यह यात्रा वैश्विक अनिश्चितता – महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा, संघर्ष और बहुपक्षवाद की कमजोरी – के बीच हुई। ❖ भारत की रणनीति = **द्विपक्षीय गहराई** + **बहुपक्षीय विस्तार** का संतुलन, ताकि राष्ट्रीय हित सुरक्षित रहें।
प्रमुख द्विपक्षीय संवाद	❖ **भारत–रूस** ➢ **प्रतीकात्मकता:** मोदी–पुतिन की मुलाकात ने मजबूत संबंधों को दर्शाया। ➢ **रणनीतिक:** रक्षा, ऊर्जा, भू-राजनीतिक संतुलन – पश्चिमी दबाव के बावजूद। ➢ **संदेश:** भारत अपने मास्को संबंधों को दूसरों की शर्तों पर नहीं चलने देगा। ❖ **भारत–चीन** ➢ गलवान संघर्ष के बाद संबंध तनावपूर्ण, पर वार्ता जारी। ➢ शी जिनपिंग से वार्ता प्रतिस्पर्धा में भी संवाद की आवश्यकता को दर्शाती है। ➢ चीन की SCO, BRICS, WTO में भूमिका के कारण संवाद अपरिहार्य है। ❖ **भारत–जापान** ➢ चीन से पहले जापान की यात्रा ने क्वाड प्रतिबद्धता को मजबूत किया। ➢ जापान = अवसंरचना एवं तकनीक में प्रमुख निवेशक। ➢ संतुलन: अमेरिका के सहयोगी जापान के साथ संबंध + चीन से संवाद।
बहुपक्षीय आयाम: SCO शिखर सम्मेलन (तियानजिन)	❖ **भारत और SCO:** भारत SCO का पूर्ण सदस्य 2017 से; मंच रूस, चीन, मध्य एशिया से वार्ता और पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए महत्त्वपूर्ण। ❖ **तियानजिन घोषणा:** ➢ आतंकवाद का स्पष्ट उल्लेख → भारत की बड़ी उपलब्धि। ➢ संदेश: आतंक पर चयनात्मक दृष्टिकोण नहीं चलेगा। ➢ बलूचिस्तान संदर्भ ने क्षेत्रीय प्रभाव को उजागर किया। ❖ **एकजुटता का संकेत**: मतभेदों के बावजूद नेताओं ने सामूहिक जिम्मेदारी दिखाई; भारत ने ग़ाज़ा और ईरान को लेकर चिंता जताई।
भू-राजनीतिक संदर्भ	❖ **अमेरिका का प्रभाव:** रूस से दूरी बनाने का दबाव; भारत ने रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखी और क्वाड संबंध मजबूत किए। ❖ **बदलता वैश्विक क्रम:** बहुध्रुवीयता बढ़ रही है; भारत वैश्विक दक्षिण और पश्चिम के बीच सेतु के रूप में। ❖ **यूरेशिया का महत्त्व:** मध्य एशिया = संपर्क, ऊर्जा, आतंकवाद विरोध के लिए महत्वपूर्ण → पाकिस्तान की बढ़त के बावजूद SCO भारत को प्रासंगिक बनाए रखता है।
घरेलू और रणनीतिक प्रभाव	❖ **आतंकवाद नैरेटिव:** पाकिस्तान की कश्मीर प्रोपेगेंडा का जवाब; भारत की विश्वसनीयता मज़बूत। ❖ **रणनीतिक संतुलन:** रूस, चीन, जापान, क्वाड के साथ बहु-स्तरीय कूटनीति → निर्भरता कम।

	❖ **बहुपक्षीय लाभ:** SCO जैसे मंचों पर स्वतंत्र विदेश नीति को प्रस्तुत करने का अवसर।
चुनौतियाँ	❖ **विभिन्न हित**: चीन–पाकिस्तान गठजोड़ भारत की भूमिका को सीमित करता है। ❖ अत्यधिक विस्तार का जोखिम: क्वाड + SCO दोनों को साथ लेकर चलना कठिन है। ❖ आतंकवाद संदर्भ कमजोर: व्यापक, ठोस कार्यवाही की कमी। ❖ **छवि की चुनौती:** अवसरवादी दिखने का खतरा।
आगे की राह	❖ **स्वायत्तता को मजबूत करें:** बहु-संरेखण, न कि गुट-संरेखण। ❖ **आतंकवाद-विरोधी तंत्र:** SCO टास्क फोर्स की मांग। ❖ **रक्षा/ऊर्जा विविधीकरण:** रूस पर निर्भरता घटाएँ; नवीकरणीय और स्वदेशी रक्षा क्षमता बढ़ाएँ। ❖ **जन-से-जन संबंध:** SCO देशों के साथ शैक्षणिक, सांस्कृतिक, पर्यटन और डिजिटल व्यापार को बढ़ावा। ❖ **वैश्विक दक्षिण का नेतृत्व करें:** SCO और BRICS में खाद्य सुरक्षा, ऋण राहत, तकनीकी पहुँच को आगे बढ़ाएँ।
निष्कर्ष	❖ पीएम मोदी की यात्रा ने वैश्विक भू-राजनीति में भारत की **संतुलनकारी भूमिका** को दर्शाया। ❖ द्वैध दृष्टिकोण: द्विपक्षीय दृढ़ता + बहुपक्षीय सक्रियता। ❖ एक परिवर्तनशील विश्व व्यवस्था में, भारत की सफलता रणनीतिक स्वायत्तता और बहुध्रुवीय कूटनीति में निहित है।

Topic 4 - बहुध्रुवीय विश्व में भारत की रणनीतिक स्वायत्तता

Syllabus	अंतरराष्ट्रीय संबंध | विश्व व्यवस्था
संदर्भ	भारत अमेरिका–चीन प्रतिद्वंद्विता, रूस की निर्णायक भूमिका, और उभरती बहुध्रुवीयता के बीच अपनी विदेश नीति में स्वतंत्रता बनाए रखना चाहता है।
परिभाषाएँ	❖ **रणनीतिक स्वायत्तता:** वह क्षमता जिसके द्वारा कोई राष्ट्र स्वतंत्र रूप से अपनी विदेश नीति तय कर सके, अपने राष्ट्रीय हितों को परिभाषित कर सके और किसी एक शक्ति या गुट के दबाव के बिना उन्हें आगे बढ़ा सके। इसमें **लचीलापन, संप्रभुता और राष्ट्रीय हित** को प्राथमिकता दी जाती है। ❖ **बहुध्रुवीय विश्व:** वह वैश्विक व्यवस्था जिसमें शक्ति एक महाशक्ति (एकध्रुवीय) या दो गुटों (द्विध्रुवीय) तक सीमित न होकर कई प्रमुख ध्रुवों (जैसे अमेरिका, चीन, यूरोपीय संघ, रूस, भारत) के बीच वितरित होती है। ❖ **भारत की स्थिति: गुटनिरपेक्षता (Non-Alignment)** की नीति से शुरू होकर अब भारत **बहुध्रुवीय संदर्भ में सक्रिय भागीदारी** की ओर बढ़ रहा है। (**मुद्दों के आधार पर सहयोग**, न कि विचारधारा आधारित गुटबंदी।)

अवधारणा और विकास

चरण	विवरण
ऐतिहासिक स्रोत	❖ **उपनिवेशवाद का अनुभव** → स्वतंत्रता के बाद बाहरी प्रभुत्व से बचाव। ❖ **संविधान की भावना** → आत्मनिर्भरता और गरिमा पर आधारित विदेश नीति।
नेहरूवादी गुटनिरपेक्षता (NAM)	शीत युद्ध के दौरान गुटनिरपेक्षता → गुटबंदी से बचना।

	1991 के बाद बदलाव — उदारीकरण और वैश्वीकरण के दौर में बहुपक्षीय सहभागिता और व्यावहारिक संलग्नता। **वर्तमान सिद्धांत** — **मल्टी-अलाइनमेंट** (बहु-संरेखण) – विभिन्न गुटों के साथ सहयोग करते हुए स्वतंत्रता बनाए रखना → अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान से संबंध गहरे करना; रूस के साथ रक्षा संबंध जारी रखना; चीन से कूटनीतिक जुड़ाव रखते हुए सीमा-संबंधी चुनौतियों का सामना करना।
प्रमुख प्रेरक तत्व	❖ **भूराजनीतिक आवश्यकता:** परमाणु प्रतिद्वंद्वियों (चीन, पाकिस्तान) और हिंद महासागर क्षेत्र की शक्ति-संतुलन संरचना में स्वतंत्र सुरक्षा विकल्प बनाए रखना। ❖ **आर्थिक अनिवार्यता:** व्यापार, निवेश, और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाना ताकि आर्थिक विकास सुनिश्चित हो और अति-निर्भरता से बचा जा सके (उदाहरण के लिए, सेमीकंडक्टर, तेल)। ❖ **वैश्विक आकांक्षाएँ:** भारत को एक **जिम्मेदार वैश्विक शक्ति** के रूप में प्रस्तुत करना (ग्लोबल साउथ नेतृत्व) और **विश्वगुरु** की भूमिका निभाना। ❖ **गुटबंदी से बचना:** किसी भी गठबंधन में कनिष्ठ भागीदार बनने से बचना → विकल्प सीमित हो सकते हैं। ❖ **वैश्विक व्यवस्था में बदलाव:** अमेरिका की एक ध्रुवीयता का पतन, चीन का उदय, विखंडित गठबंधन। ❖ **नई चुनौतियां:** साइबर युद्ध, कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित हथियार, महामारी एवं जलवायु संकट।
अवसर	❖ **सेतु निर्माता:** ग्लोबल साउथ और विकसित देशों के बीच मध्यस्थता। ❖ **प्रौद्योगिकी कूटनीति:** एआई, क्वांटम और स्वच्छ ऊर्जा में वैश्विक साझेदारी। ❖ **रक्षा स्वदेशीकरण:** आत्मनिर्भर भारत के तहत सैन्य आधुनिकीकरण। ❖ **सॉफ्ट पावर:** लोकतंत्र, प्रवासी भारतीय और संस्कृति से वैश्विक पहचान एवं विश्वसनीयता। ❖ **वैश्विक दक्षिण की आवाज़:** G20, BRICS, जलवायु और विकास मंचों में नेतृत्व।
भारत की रणनीतिक स्वायत्तता के उपकरण	❖ **गठबंधन और बहुपक्षीयता:** हिंद-प्रशांत सुरक्षा के लिए क्वाड (भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया) में सक्रिय भागीदारी। वहीं, सीमा तनाव के बावजूद ब्रिक्स और एससीओ जैसे मंचों पर चीन के साथ संवाद बनाए रखना। ❖ **रक्षा विविधीकरण:** रक्षा उपकरणों की ख़रीद विभिन्न स्रोतों से करना (रूस, फ्रांस, अमेरिका, इजरायल) और घरेलू रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देना (मेक इन इंडिया)। उदाहरण: फ्रांस से राफेल जेट, रूस से S-400 की ख़रीद। ❖ **बहुपक्षीय नेतृत्व:** ब्रिक्स, एससीओ, जी20, I2U2 और ग्लोबल साउथ में सक्रिय भूमिका, स्वतंत्र नीतिगत एजेंडा। वर्ष 2023 में सफल जी20 अध्यक्षता इसका प्रमाण है। ❖ **ऊर्जा सुरक्षा:** ऊर्जा स्रोतों और आपूर्तिकर्ताओं का विविधीकरण (मध्य पूर्व, अमेरिका, रूस) → अमेरिकी दबाव के बावजूद रूस से छूट पर तेल आयात। ❖ **प्रौद्योगिकी कूटनीति:** अमेरिका व यूरोपीय संघ के साथ प्रौद्योगिकी सहयोग संतुलित रखते हुए राष्ट्रीय डेटा और डिजिटल संप्रभुता की रक्षा। ❖ **रूस-यूक्रेन संघर्ष:** संतुलित, सूक्ष्म दृष्टिकोण; रूस की आलोचना से परहेज और रियायती दरों पर तेल आयात जारी।
चुनौतियाँ	❖ **आर्थिक सुभेद्यता:** सेवा निर्यात और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भरता → यदि वैश्विक व्यापार विभाजन या शुल्क लगते हैं तो वृद्धि और नीति स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। ❖ **चीन कारक:** सीमाओं पर तनाव और 100 अरब डॉलर से अधिक का व्यापार घाटा। ❖ **गठबंधनों का दबाव:** अमेरिका-चीन प्रतिद्वंद्विता, क्वाड और ब्रिक्स-एससीओ के बीच संतुलन। ❖ **संस्थागत कमियाँ:** नौकरशाही जटिलता और राजनीतिक ध्रुवीकरण → नीति कार्यान्वयन में बाधा।

	❖ **नई प्रौद्योगिकीय सीमाएँ:** साइबर सुरक्षा, क्रिटिकल मिनरल्स, सेमीकंडक्टर और अंतरिक्ष तकनीक में पिछड़ापन। ❖ **घरेलू बाधाएँ:** आंतरिक राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक विकास और सामाजिक समरसता → प्रभावी विदेश नीति की अनिवार्य शर्तें।
आगे की राह	❖ **आर्थिक सुदृढ़ीकरण:** लचीली आपूर्ति श्रृंखला, ऊर्जा सुरक्षा, घरेलू विनिर्माण। ❖ **संतुलित जुड़ाव:** अमेरिका व इंडो-पैसिफिक सहयोग, साथ ही रूस और वैश्विक दक्षिण से जुड़ाव बनाए रखना। ❖ **रक्षा स्वदेशीकरण:** एआई, ड्रोन, अंतरिक्ष और साइबर प्रणालियों में निवेश। ❖ **वैश्विक दक्षिण की आवाज़:** संयुक्त राष्ट्र, WTO, IMF सुधारों के लिए नेतृत्व; जलवायु और विकास एजेंडा को आगे बढ़ाना। ❖ **अनुकूलनशील कूटनीति:** सिद्धांत + व्यावहारिकता → संप्रभुता खोए बिना त्वरित और संतुलित दृष्टिकोण।

Topic 5 - नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था का क्षरण/पतनg	
Syllabus	अंतरराष्ट्रीय संबंध | विश्व व्यवस्था
संदर्भ	द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित **नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था**, जिसका उद्देश्य शांति, स्थिरता और सहयोग सुनिश्चित करना था, आज गंभीर संकट का सामना कर रही है। ऐसे समय में जब वैश्विक सहयोग की सबसे अधिक आवश्यकता है, संयुक्त राष्ट्र (UN), विश्व व्यापार संगठन (WTO), और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) जैसे बहुपक्षीय संस्थानों की विश्वसनीयता घट रही है।
नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था क्या है?	❖ यह एक **वैश्विक प्रणाली** है जो **अंतरराष्ट्रीय कानूनों**, **मानदंडों** और **संस्थाओं** (जैसे UN, WTO, WHO) पर आधारित है। ❖ **उद्देश्य:** शांति को बढ़ावा देना, मानवाधिकारों का सरंक्षण, मुक्त व्यापार को प्रोत्साहन, और बहुपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ करना। ❖ **नियम-आधारित व्यवस्था की उत्पत्ति** ➢ **द्वितीय विश्व युद्ध के बाद** स्थापित, इसकी नींव संयुक्त राष्ट्र, ब्रेटन वुड्स और जिनेवा संधियों जैसे संस्थानों पर आधारित है। ➢ प्रमुख निर्मित संस्थान: ■ **संयुक्त राष्ट्र (UN):** कूटनीति और सुरक्षा के लिए ■ **ब्रेटन वुड्स संस्थाएँ:** अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक (WB) ■ **WTO/GATT:** व्यापार सहयोग के लिए ■ **WHO:** वैश्विक स्वास्थ्य शासन के लिए। ➢ मूल आधार: सामूहिक जिम्मेदारी और बहुपक्षीयता।
वर्तमान संकट और क्षरण	➢ **वैश्विक संस्थानों का अवसान:** ➢ **संयुक्त राष्ट्र (UN):** केवल सलाहकार भूमिका तक सीमित; सुरक्षा परिषद (UNSC) वीटो राजनीति के कारण निष्क्रिय (यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस का वीटो, उत्तर कोरिया पर प्रतिबंधों को चीन द्वारा रोकना)। ➢ **WHO:** COVID-19 के दौरान प्रतिक्रिया में देरी और राज्य आधारित डेटा पर निर्भरता के कारण विश्वसनीयता में गिरावट।

	➢ **WTO:** अमेरिका द्वारा न्यायिक नियुक्तियों को अवरुद्ध करने के बाद से विवाद निपटान प्रणाली ठप→ टैरिफ युद्धों में वृद्धि (जैसे, अमेरिका-चीन संघर्ष)। ➢ **ICC:** निर्णयों की खुले तौर पर अवहेलना; युद्ध अपराधों को दंडित नहीं किया गया। ❖ **एकतरफा निर्णय और संरक्षणवाद का उदय** ➢ संरक्षणवादी व्यापार नीतियाँ → वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को खतरा (सेमीकंडक्टर, दुर्लभ खनिज) ➢ हथियार नियंत्रण संधियाँ (INF, START) कमजोर → परमाणु अनिश्चितता बढ़ी। ➢ राष्ट्रवादी प्राथमिकताएँ जलवायु प्रतिबद्धताओं से ऊपर हैं। ❖ **दुष्प्रचार और विश्वास का संकट** ➢ स्वास्थ्य अभियानों पर हमला: पाकिस्तान/अफगानिस्तान में पोलियो टीकाकरण अभियानों को "साम्राज्यवादी टूल्स" के रूप में प्रदर्शित किया गया। ➢ COVID-19 वैक्सीन पर गलत सूचना → WHO की विश्वसनीयता को कम किया। ➢ दुष्प्रचार बहुपक्षीय तंत्रों में अविश्वास को बढ़ावा देता है।
भू-राजनीतिक और सुरक्षा आयाम	❖ **क्षेत्रीय संघर्ष** (अमेरिका–ईरान तनाव, कोरियाई प्रायद्वीप परमाणु विवाद) → वैश्विक प्रभाव का खतरा। ❖ कमजोर वैश्विक व्यापार नियम → **आर्थिक विखंडन** का जोखिम। ❖ **सामूहिक समस्या-समाधान** में बाधा: ➢ पोलियो उन्मूलन को प्रतिरोध का सामना ➢ जलवायु परिवर्तन वार्ताएँ गतिरोध में फंसी।
इस क्षरण के परिणाम	❖ अंतरराष्ट्रीय कानून और संधियों में विश्वास में गिरावट। ➢ **गाजा संकट**: कथित नरसंहार और मानवीय कानून उल्लंघन; वैश्विक संस्थानों ने कार्रवाई करने में विफलता दिखाई। ❖ मुक्त व्यापार, परमाणु शांति और वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग के पतन का खतरा। ❖ बहुपक्षवाद से **लेनदेन आधारित राजनीति (पारस्परिकता)** की ओर संक्रमण → अस्थिर वैश्विक व्यवस्था।
आगे की राह	➢ **संस्थागत सुधार** ➢ **संयुक्त राष्ट्र** – UNSC सदस्यता का विस्तार (भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका) ताकि वैश्विक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित कर सके। ➢ **WTO** – अपीलीय प्रणाली को पुनर्जीवित करें, व्यापार मानदंड का आधुनिकीकरण (डिजिटल अर्थव्यवस्था, जलवायु-आधारित व्यापार)। ➢ **WHO** – वैश्विक स्वास्थ्य शासन में स्वतंत्रता और जवाबदेही बढ़ाएँ। ❖ **क्षेत्रीय मंचों को सशक्त बनाना-** ASEAN, AU, EU जैसे ब्लॉक समस्या समाधान में नवाचार कर सकते हैं और वैश्विक संस्थानों की पूरक भूमिका निभा सकते हैं। ❖ **विश्वास और पारदर्शिता की बहाली** ➢ समन्वित वैश्विक प्रयासों से दुष्प्रचार का मुकाबला। ➢ **"महाशक्ति प्रभुत्व" की धारणा** को कम करने के लिए समावेशी निर्णय लेना।
निष्कर्ष	नियम-आधारित व्यवस्था का क्षरण बहुपक्षीयता और सामूहिक कार्रवाई के संकट को दर्शाता है। सुधारों और विश्वास बहाली के बिना, विश्व विभाजन, अनिश्चितता और संघर्ष की ओर बढ़ सकता है। केवल सहयोगात्मक, समावेशी और पारदर्शी शासन ही महामारी, जलवायु परिवर्तन, परमाणु प्रसार और आतंकवाद जैसी सामूहिक चुनौतियों का समाधान कर सकता है।

Topic 6 - शंघाई सहयोग संगठन (SCO)

Syllabus	अंतरराष्ट्रीय संबंध | संगठन
संदर्भ	प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने **तियानजिन, चीन** (31 अगस्त–1 सितंबर, 2025) में आयोजित **25वें SCO राष्ट्राध्यक्ष परिषद शिखर सम्मेलन** में भाग लिया।
SCO के बारे में	❖ **प्रकृति:** राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग हेतु **स्थायी अंतर-सरकारी क्षेत्रीय** संगठन। ❖ **उत्पत्ति:** 2001 में शंघाई में गठित, शंघाई फाइव (1996) से विकसित ❖ **मुख्यालय:** बीजिंग, चीन ❖ **आधिकारिक भाषाएँ:** रूसी और चीनी ❖ **सदस्य (10):** चीन, रूस, कज़ाखस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान (शंघाई फाइव), उज़्बेकिस्तान (2001), भारत और पाकिस्तान (2017), ईरान (2023), बेलारूस (2024) ❖ **पर्यवेक्षक देश (2):** अफगानिस्तान, मंगोलिया ❖ **वार्ता भागीदार**: तुर्की, श्रीलंका, नेपाल, मिस्र, सऊदी अरब, कतर आदि। ❖ **मुख्य सिद्धांत**: "शंघाई स्पिरिट" – पारस्परिक विश्वास, पारस्परिक लाभ, समानता, परामर्श, सांस्कृतिक विविधता का सम्मान, साझा विकास की खोज। ❖ **संरचना:** ➢ **राष्ट्राध्यक्ष परिषद (HSC)**: शीर्ष निर्णय लेने वाला निकाय (वार्षिक बैठक)। ➢ **हेड्स ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल (HGC)**: बहुपक्षीय सहयोग रणनीति पर केंद्रित। ➢ **राष्ट्रीय समन्वयक परिषद (CNC)**: दैनिक गतिविधियों का समन्वय।
उद्देश्य	❖ क्षेत्रीय **शांति** और **स्थिरता** को बढ़ावा देना। ❖ आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद **(3 बुराइयाँ)** का मुकाबला करना। ❖ व्यापार, संपर्क और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाना। ❖ सांस्कृतिक आदान-प्रदान और लोगों के बीच संबंध प्रोत्साहित करना। ❖ **बहुध्रुवीयता** और आंतरिक मामलों में **हस्तक्षेप न करने** के सिद्धांत को बनाए रखना।
2025 SCO शिखर सम्मेलन (तिआनजिन, चीन)	❖ **मेजबान**: चीन (5वीं बार)। ❖ **थीम**: "शंघाई भावना को बनाए रखना: गतिशील SCO"। ❖ **मुख्य बिंदु:** ➢ 10-वर्षीय विकास रणनीति (2025–2035) को अपनाया गया। ➢ **तिआनजिन घोषणा** को अपनाया गया, जिसमें आतंकवाद की निंदा की गई, विशेष रूप से भारत में हुए पहलगाम हमले की। ➢ **SCO विकास बैंक** शुरू करने का निर्णय (चीन द्वारा), जो बुनियादी ढांचे और सामाजिक परियोजनाओं को वित्तपोषित करेगा। ➢ **SCO को CIS (कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स)** में पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया गया। ❖ **भारत का प्रस्ताव:** भारत ने **तीन-स्तंभीय दृष्टिकोण** दोहराया (SCO → Security, Connectivity, Opportunity) → ➢ **सुरक्षा स्तंभ:** आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति शून्य सहनशीलता; सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद वित्त पोषण के खिलाफ दृढ़ रुख। ➢ **संपर्क (कनेक्टिविटी) स्तंभ:** ऐसी संपर्क परियोजनाओं का समर्थन जो संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करें; ऐसी कनेक्टिविटी का विरोध जो इन सिद्धांतों को दरकिनार करती हो।

	➢ **अवसर स्तंभ:** SCO को एक मंच के रूप में उपयोग कर आर्थिक सहयोग, व्यापार और साझा समृद्धि पर जोर।

Topic 7 - भारत–इज़राइल द्विपक्षीय निवेश समझौता (BIA)	
Syllabus	अंतर्राष्ट्रीय संबंध | समझौते
संदर्भ	भारत और इजराइल ने दोनों देशों के वित्त मंत्रियों की उपस्थिति में नई दिल्ली में एक द्विपक्षीय निवेश समझौते (BIA) पर हस्ताक्षर किए।
यह क्या है?	❖ भारत और इजरायल के बीच निवेश संरक्षण और संवर्धन हेतु एक ऐतिहासिक संधि। ❖ न्यूनतम उपचार मानक, पारदर्शी, सुरक्षित और निष्पक्ष निवेश ढांचा प्रदान करती है। ❖ निवेशकों की सुरक्षा के लिए मध्यस्थता के माध्यम से तटस्थ विवाद समाधान तंत्र स्थापित करती है। ❖ इजराइल भारत के **नए मॉडल निवेश संधि ढांचे** के तहत BIA पर हस्ताक्षर करने वाला **पहला OECD देश** बना।
उद्देश्य	❖ दोनों देशों के निवेशकों के लिए निश्चितता, पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करना। ❖ अधिग्रहण, मनमाने प्रतिबंधों और नीतिगत झटकों से निवेश की रक्षा। ❖ परस्पर व्यापार और पूँजी प्रवाह को बढ़ावा देकर **निवेश वातावरण** को मज़बूत बनाना। ❖ **निवेशक संरक्षण** और सरकारों के संप्रभु नियामक अधिकारों में संतुलन।
मुख्य विशेषताएँ	❖ **अधिग्रहण से सुरक्षा:** यदि संपत्ति जब्त या राष्ट्रीयकृत की जाती है तो उचित मुआवजा। ❖ **पारदर्शिता उपाय:** निवेशकों के भरोसे के लिए स्पष्ट नियम और खुली प्रक्रियाएँ। ❖ **स्वतंत्र मध्यस्थता:** घरेलू अदालतों से बाहर तटस्थ विवाद समाधान तंत्र। ❖ **मुक्त हस्तांतरण और मुआवज़ा:** पूंजी, लाभ और हानि की सहज वापसी। ❖ **क्षेत्रीय सहयोग:** फिनटेक, अवसंरचना, डिजिटल भुगतान, साइबर सुरक्षा, रक्षा, उच्च-तकनीकी नवाचार।
महत्व	❖ भारत–इजराइल आर्थिक संबंधों को मजबूत करता है। ❖ जोखिम प्रबंधन के साथ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रवाह को बढ़ावा देता है। ❖ प्रौद्योगिकी और सामरिक क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाता है।
आँकड़े	❖ भारत का इज़राइल में निवेश: ₹3,900 करोड़ (US$ 443 मिलियन)। ❖ इज़राइल का भारत में एफडीआई: ₹2,942 करोड़ (US$ 334.2 मिलियन)। ❖ इज़राइल **$200 बिलियन के अवसंरचना टेंडर** जारी करेगा → भारतीय कंपनियों को बोली लगाने के लिए आमंत्रित किया गया।

Economy

Topic 1 - डिजिटल करेंसी जापानी येन (DCJPY)

Syllabus	मौद्रिक नीति| केंद्रीय बैंक | मुद्रा
संदर्भ	**जापान पोस्ट बैंक** वित्तीय वर्ष **2026 तक डिजिटल येन** (DCJPY) लॉन्च करेगा, जिसे **DeCurret DCP** द्वारा विकसित किया गया है - यह जापान की एक प्रमुख ब्लॉकचेन-आधारित डिजिटल मुद्रा पहल है।
डिजिटल करेंसी जापानी येन (DCJPY) क्या है?	❖ यह एक **ब्लॉकचेन आधारित जमा (Deposit) मुद्रा** है, जो **फिएट येन** द्वारा **1:1 अनुपात में समर्थित** है। ❖ यह **केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC)** नहीं है। ❖ **निजी स्टेबलकॉइन्स से भिन्न** → इसे **विनियमित बैंकिंग प्रणाली** के माध्यम से जारी किया जाता है → सुरक्षित और विश्वसनीय। ❖ **लॉन्च कर्ता**: **जापान पोस्ट बैंक** (सरकारी संबद्ध) + **DeCurret DCP** (इंटरनेट इनिशिएटिव जापान की सहायक कंपनी)।
उद्देश्य	❖ **त्वरित, पारदर्शी और सुरक्षित डिजिटल लेन-देन** को सक्षम बनाना। ❖ मुख्यधारा की वित्तीय सेवाओं, प्रतिभूतियों और **एसेट टोकनाइजेशन** में **ब्लॉकचेन तकनीक** उपयोग का विस्तार करना।
यह कैसे काम करता है?	❖ ग्राहक **येन जमा को DCJPY टोकन में परिवर्तित** करते हैं। ❖ ये टोकन **रीयल-टाइम ब्लॉकचेन लेन-देन** (डिजिटल प्रतिभूतियाँ, संपत्तियाँ) में उपयोग किए जाते हैं। ❖ सभी लेन-देन **ब्लॉकचेन पर पूरी तरह दर्ज** होते हैं → **ट्रेसबिलिटी सुनिश्चित।**

Topic 2 - मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (Inflation Targeting)

Syllabus	भारतीय अर्थव्यवस्था | मुद्रास्फीति
संदर्भ	❖ **भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम**, 1934 की **धारा 45ZA** के अनुसार → **RBI द्वारा** मुद्रास्फीति लक्ष्य की केंद्रीय सरकार से परामर्श के बाद **हर 5 वर्ष** में समीक्षा की जानी चाहिए। ❖ वर्तमान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक **(CPI) आधारित** मुद्रास्फीति लक्ष्य की समीक्षा **मार्च 2026** तक होनी है। ❖ इसी प्रावधान के तहत, **RBI ने** अगस्त 2025 में एक **चर्चा पत्र (Discussion Paper)** जारी किया है।
समीक्षा के अंतर्गत प्रमुख मुद्दे	❖ **हेडलाइन CPI v/s कोर CPI (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक)** 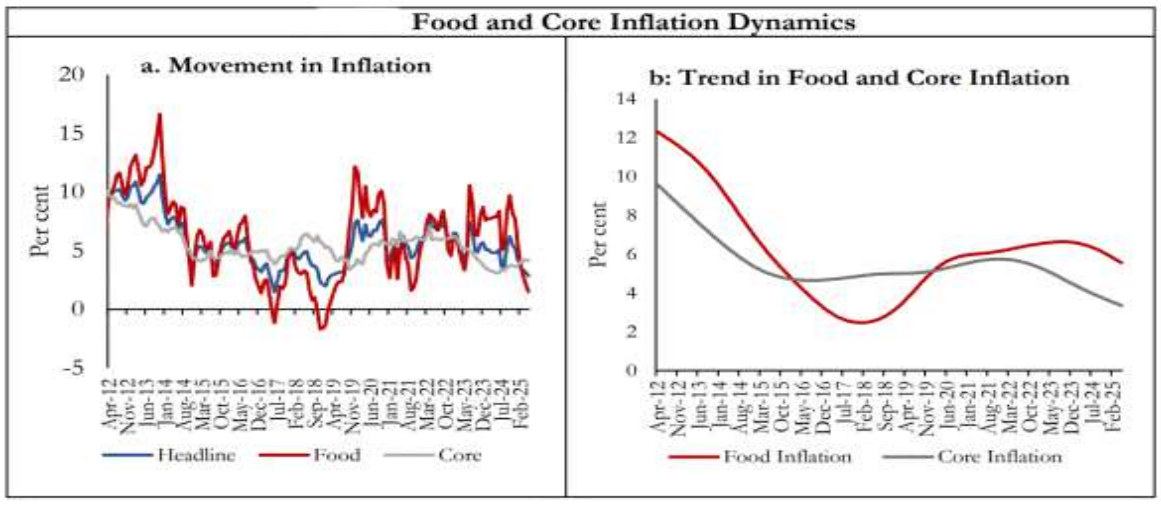 ➢ **बहस:** किसको लक्षित किया जाए → हेडलाइन CPI (जिसमें खाद्य और ईंधन शामिल हैं) या कोर CPI (जिसमें ये शामिल नहीं हैं)? ➢ **RBI का रुख:** हेडलाइन CPI को बनाए

	रखना चाहिए → खाद्य झटकों का असर कोर CPI पर भी पड़ता है; CPI में खाद्य का हिस्सा ~50% है → इसे हटाने से नीति की प्रासंगिकता कमजोर होगी। ➢ **वैश्विक मानक:** लगभग सभी देश हेडलाइन CPI को लक्ष्य करते हैं; युगांडा अपवाद है। ➢ **आर्थिक सर्वेक्षण (2023–24):** कोर CPI को प्राथमिकता। ❖ **मुद्रास्फीति लक्ष्य स्तर** ➢ **विकल्प:** <4% (वृद्धि में कमी), >4% (विश्वसनीयता में कमी)। ➢ **RBI का रुख:** 4% बिंदु लक्ष्य को बनाए रखना। ❖ **सहनशीलता बैंड (±2%)** ➢ **बहस:** संकुचित करना, व्यापक करना या हटाना। ➢ **RBI का रुख: लचीलेपन** + **जवाबदेही** हेतु बैंड को बनाए रखना। ❖ **बिंदु लक्ष्य बनाम रेंज** ➢ बिंदु लक्ष्य (विश्वसनीयता) बनाम रेंज (लचीलापन)। ➢ RBI का झुकाव: सहनशीलता बैंड के साथ बिंदु लक्ष्य की ओर। ❖ **अस्थिरता:** CPI (2014–25): 1.5%–8.6% तक उतार-चढ़ाव, मुख्यतः खाद्य आधारित; कोर अधिक स्थिर। 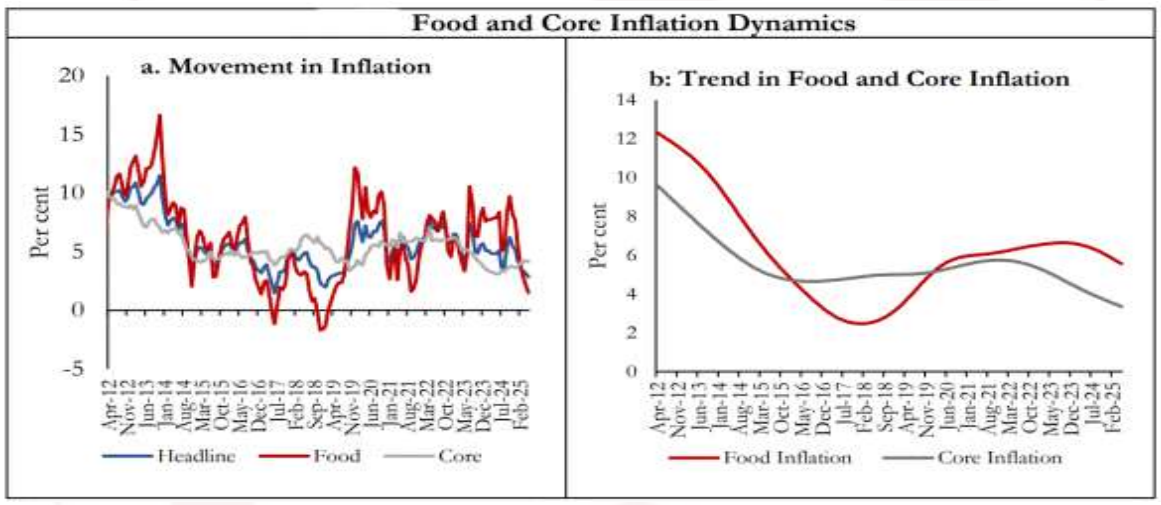
4% लक्ष्य को बनाए रखने का औचित्य	❖ **विश्वसनीयता:** ➢ उच्च लक्ष्य → कमजोर मुद्रास्फीति विरोधी रुख (कमजोर वर्गों को नुकसान); S&P की BBB रेटिंग में RBI की सफलता का उल्लेख। ➢ निम्न लक्ष्य → वैश्विक खाद्य मूल्य दबाव। ❖ **संस्थागत स्थिरता:** मजबूत MPC (मौद्रिक नीति समिति) + वित्तीय अनुशासन। ❖ **घरेलू परिणाम:** CPI 2016 से अधिकांश समय सीमा के भीतर; जुलाई 2025 = 1.55% (दूसरा सबसे कम)। ❖ **बाह्य संतुलन:** कम मुद्रास्फीति से रुपया स्थिर बना रहता है, प्रतिस्पर्धा बनी रहती है, पूंजी प्रवाह को बढ़ावा मिलता है। ❖ **नीति निश्चितता:** भारत ने महामारी और तेल झटकों का सामना किया (विकास और मूल्य स्थिरता का संतुलन) → अनियंत्रित मुद्रास्फीति से बचाव।
मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण क्या है?	❖ एक **मौद्रिक नीति ढांचा** जिसमें केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करता है और उसे प्राप्त करने के लिए नीति उपकरणों (मुख्यतः रेपो दर) का उपयोग करता है। ❖ **उद्देश्य:** मूल्य स्थिरता के साथ विकास सुनिश्चित करना।

भारत में लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (FIT)	❖ **सिफारिश:** उर्जित पटेल समिति (2014)। ❖ **RBI अधिनियम, 1934 में संशोधन (2016)** → औपचारिक रूप से मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को अपनाया गया। ❖ **मौद्रिक नीति ढांचा समझौता (2016):** RBI और भारत सरकार के बीच हस्ताक्षरित। ❖ **लक्ष्य:** 4% (सहनशीलता सीमा 2% – 6%) → 2016–21 के लिए, मार्च 2026 तक बढ़ाया गया। ❖ **प्रबंधन:** मौद्रिक नीति समिति (MPC) – 6 सदस्य (3 RBI + 3 सरकार द्वारा नियुक्त)। ❖ **उत्तरदायित्व:** यदि मुद्रास्फीति 3 तिमाहियों तक सीमा से बाहर जाती है तो आरबीआई सरकार के प्रति जवाबदेह होता है।
निष्कर्ष	2016 से मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण ने **मूल्य स्थिरता** और **नीति की विश्वसनीयता** सुनिश्चित की है। केवल मामूली सुधारों के साथ **4% लक्ष्य**, **हेडलाइन CPI पर ध्यान** और **सहनशीलता सीमा** को जारी रखना चाहिए, ताकि विकास और स्थिरता का संतुलन बना रहे।

Topic 3 - भारत के निर्यात क्षेत्र में बढ़ती चुनौतियाँ

Syllabus	अर्थव्यवस्था | बाह्य क्षेत्र | निर्यात
संदर्भ	भारत के वस्तु निर्यात पर अमेरिका द्वारा 50% टैरिफ लगाया गया है (लगभग 20% निर्यात पर), जिससे वैश्विक हिस्सेदारी में पहले की प्रगति के बावजूद ठहराव और गिरावट देखी जा रही है।
संरचनात्मक चुनौतियां	❖ **टैरिफ झटका:** अमेरिका का 50% टैरिफ → भारत के सबसे बड़े बाजार के लिए सबसे बड़ा जोखिम। ❖ **प्रतिस्पर्धात्मकता में गिरावट:** उच्च लागत, कमजोर लॉजिस्टिक्स, जटिल नियामक ढाँचा। ❖ **सेवाओं पर अत्यधिक निर्भरता:** सीमित विविधीकरण; आईटी क्षेत्र का योगदान ≈ 40%। ❖ **विनिर्माण क्षेत्र की सतही गहराई:** कुछ ही मजबूत उप-क्षेत्र; उच्च-मूल्य वाले क्षेत्रों (इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, एडवांस्ड मैटेरियल्स) में कमजोरी। ❖ **वैश्विक प्रतिकूलताएँ:** संरक्षणवाद, घरेलू उत्पादन की वापसी (reshoring), WTO का ठहराव
उठाए गए कदम	❖ **निर्यात संवर्धन मिशन (2025):** क्षेत्रीय कार्यक्रम (निर्यात प्रोत्साहन, निर्यात दिशा)। ❖ **निर्यातित उत्पादों पर दायित्वों (शुल्क) और करों की छूट (RoDTEP) का विस्तार:** इस योजना में अब **स्टील, फार्मा और रसायन** भी शामिल

	❖ **निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तुएँ (EPCG) का सरलीकरण:** निर्यातकों के लिए **ड्यूटी-मुक्त आयात** को आसान बनाया गया। ❖ **BHARATI पहल** (Bharat's Hub for Agritech, Resilience, Advancement, and Incubation for Export Enablement)**: कृषि-खाद्य निर्यात** के लिए 100 स्टार्टअप्स, AI/ब्लॉकचेन आधारित ट्रेसबिलिटी। ❖ **ई-कॉमर्स निर्यात हब:** लॉजिस्टिक्स सुदृढ़ीकरण + MSMEs के लिए उच्च कुरियर सीमा।
निहितार्थ	❖ **वृद्धि पर असर:** निर्यात में ठहराव → GDP की गति धीमी। ❖ **रोजगार:** कमजोर विनिर्माण क्षेत्र → श्रम-प्रधान क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव। ❖ **भुगतान संतुलन पर दबाव:** आयात में वृद्धि जबकि निर्यात कमजोर। ❖ **भूराजनीति:** व्यापार हिस्सेदारी में गिरावट → वैश्विक सौदेबाजी क्षमता में कमी।
आगे की राह	❖ **विनिर्माण को बढ़ावा देना:** लॉजिस्टिक्स लागत को GDP के 8% तक लाना, वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं से जुड़ना, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवी और सेमीकंडक्टर क्षेत्र को बढ़ावा देना। ❖ **बाजार विविधीकरण:** अमेरिका/यूरोप से आगे बढ़कर अफ्रीका, आसियान, लैटिन अमेरिका को लक्ष्य बनाना; मौजूदा मुक्त व्यापार समझौतों (UAE, ऑस्ट्रेलिया) का लाभ उठाना। ❖ **सेवा क्षेत्र का विस्तार:** आईटी से आगे बढ़कर स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त, और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में अवसर बढ़ाना। ❖ **नीतिगत प्रोत्साहन:** WTO सुधार, अनुसंधान एवं विकास (R&D) प्रोत्साहन, और MSME गुणवत्ता समर्थन। ❖ **कृषि और ईंधन:** मूल्यवर्धित कृषि निर्यात, पेट्रोकेमिकल उत्पाद, और ब्रांडेड प्रोसेस्ड फूड का प्रचार।
निष्कर्ष	भारत के निर्यात क्षेत्र को **टैरिफ झटकों और कमजोर प्रतिस्पर्धात्मकता** का सामना करना पड़ रहा है। गति पुनः प्राप्त करने के लिए भारत को **विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करना**, **बाजारों का विविधीकरण करना**, और **सेवाओं का विस्तार** करना होगा, ताकि व्यापार नीति को **विकास, रोजगार और वैश्विक प्रभाव** से जोड़ा जा सके।

Topic 4 - निर्यात संवर्धन मिशन

Syllabus	अर्थव्यवस्था | बाह्य क्षेत्र
संदर्भ	सरकार, निर्यात संवर्धन मिशन (2025–31) के तहत निर्यातकों के लिए ₹25,000 करोड़ के सहयोग पैकेज पर विचार कर रही है, जिसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई थी।
मिशन के बारे में	❖ **अवधि:** 6 वर्ष (वित्त वर्ष 2025–31)। ❖ **लक्ष्य:** समावेशी, लचीली और सतत निर्यात वृद्धि को बढ़ावा देना, विशेष रूप से वैश्विक व्यापार झटकों (जैसे अमेरिका द्वारा टैरिफ वृद्धि) के बीच। ❖ **फोकस:** निर्यातकों, विशेष रूप से **MSMEs** के लिए बाधाओं को दूर करना। ❖ **नोडल विभाग:** विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) → वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ❖ **सहयोग:** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME), वित्त मंत्रालय।
प्रमुख उद्देश्य	❖ निर्यात **ऋण** तक **पहुँच** में सुधार। ❖ सीमा-पार कारकों (फैक्टरिंग) और व्यापार वित्त उपकरणों को सक्षम बनाना। ❖ वैश्विक बाजारों में गैर-शुल्कीय बाधाओं का सामना करने में MSMEs की मदद करना। ❖ **निर्यात प्रतिस्पर्धा** को बढ़ाना।

कार्यान्वयन ढांचा	**दो उप-योजनाएँ:** ❖ **निर्यात प्रोत्साहन (₹10,000+ करोड़)** ➢ ब्याज समानीकरण समर्थन (~₹5,000 करोड़)। ➢ वैकल्पिक व्यापार वित्त उपकरण। ➢ ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए क्रेडिट कार्ड सुविधा। ➢ तरलता अंतर को पाटने के लिए वित्तपोषण। ❖ **निर्यात दिशा (₹14,500+ करोड़)** ➢ निर्यात गुणवत्ता अनुपालन। ➢ विदेश बाजार विकास (बाज़ार पहुँच)। ➢ ब्रांडिंग, वेयरहाउसिंग, लॉजिस्टिक्स। ➢ वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (GVCs) के लिए क्षमता निर्माण।
महत्व	❖ निर्यात में एमएसएमई की भागीदारी को बढ़ावा देता है। ❖ भारतीय निर्यातकों को **संरक्षणवादी उपायों** (जैसे अमेरिका द्वारा टैरिफ वृद्धि) और **वैश्विक अस्थिरता** से सुरक्षा प्रदान करता है। ❖ **प्रतिस्पर्धात्मकता** और **बाजार विविधीकरण** को सुदृढ़ करता है। ❖ वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत के एकीकरण को बढ़ावा देता है। ❖ 2030 तक **$2 ट्रिलियन निर्यात** लक्ष्य की महत्वाकांक्षा का समर्थन करता है।

Topic 5 - प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियां (Assets Under Management – AUM)

Syllabus	अर्थव्यवस्था | पूंजी बाजार
संदर्भ	भारत का **म्यूचुअल फंड AUM ₹74.40 लाख करोड़** तक पहुँच गया है, जो 10 वर्षों में **7 गुना वृद्धि** दर्शाता है।
AUM के बारे में	❖ **परिभाषा:** ग्राहकों की ओर से वित्तीय संस्थाओं (जैसे म्यूचुअल फंड, बैंक, बीमा कंपनियाँ) द्वारा प्रबंधित **कुल परिसंपत्तियों का बाजार मूल्य**। ❖ **घटक:** इसमें इक्विटी, ऋण, नकद और अन्य वित्तीय साधन शामिल होते हैं। ❖ **उच्च AUM का अर्थ:** बेहतर संसाधन, विविधीकरण और निवेशकों का विश्वास।
AUM को प्रभावित करने वाले कारक	❖ बाज़ार में उतार-चढ़ाव। ❖ निवेशकों का शुद्ध प्रवाह/निर्गमन। ❖ रिडेम्प्शन/निकासी ❖ लाभांश पुनर्निवेश
वर्तमान प्रवृत्तियाँ (2025)	❖ भारत में म्यूचुअल फंड AUM → ₹74.4 लाख करोड़ (10 वर्षों में 7 गुना वृद्धि)। ❖ **InvITs (इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स):** ₹4.9 लाख करोड़ AUM। ❖ **LIC का AUM:** ₹45 लाख करोड़ से अधिक।
AUM का महत्त्व	❖ **बचत का वित्तीयकरण:** सोना/रियल एस्टेट से बाजार आधारित साधनों की ओर झुकाव। ❖ **पूंजी बाजार की गहराई:** सरकार व कॉर्पोरेट के फंड जुटाने में सहायक। ❖ **घरेलू संसाधन जुटाव को बढ़ावा:** विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) पर निर्भरता कम होती है। ❖ **रिटेल भागीदारी और वित्तीय समावेशन** का संकेतक।

Topic 6 - न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (Minimum Public Shareholding)	
Syllabus	अर्थव्यवस्था | शेयर बाजार
संदर्भ	**SEBI** ने **सूचीबद्ध कंपनियों** के लिए फंड जुटाने को सरल बनाने हेतु **न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता** (MPS) और **न्यूनतम सार्वजनिक निर्गम** (MPO) **मानदंडों** में अधिक **लचीलापन** प्रस्तावित किया है।
न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (MPS) के बारे में	❖ **परिभाषा:** एक **नियामक आवश्यकता** जिसके तहत किसी **सूचीबद्ध कंपनी** की **कुल इक्विटी का कम से कम 25%** हिस्सा **सार्वजनिक शेयरधारकों** (गैर-प्रवर्तक) के पास होना अनिवार्य है। ❖ **कानूनी आधार:** SEBI → सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स (रेगुलेशन) रूल्स, 1957 + लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं (LODR) विनियम, 2015। ❖ **प्रयोज्यता:** भारत की सभी सूचीबद्ध कंपनियों पर अनिवार्य रूप से लागू। ❖ **लक्ष्य:** IPO के बाद शेयरों की अधिक आपूर्ति से बचना, जो कीमतों को कम कर सकती है।
मुख्य विशेषताएँ	❖ **उद्देश्य:** ➢ बाजार में **तरलता बढ़ाना**। ➢ **उचित मूल्य खोज** को प्रोत्साहित करना। ➢ **कॉर्पोरेट गवर्नेंस** और व्यापक **निवेशक भागीदारी** सुनिश्चित करना। ❖ **MPS प्राप्त करने के तरीके** → यदि प्रमोटर की हिस्सेदारी 75% से अधिक है तो उन्हें हिस्सेदारी कम करनी होगी: ➢ ऑफर फॉर सेल (OFS) ➢ संस्थागत प्लेसमेंट ➢ राइट्स इश्यू ➢ पब्लिक को बोनस शेयर। ❖ **अनुपालन की समयसीमा:** ➢ **नई सूचीबद्ध कंपनियाँ** → सूचीबद्ध होने के 3 वर्षों के भीतर। ➢ **बड़ी कंपनियाँ (> ₹1 ट्रिलियन मार्केट कैप)** → 5 वर्षों के भीतर। ➢ **यदि शेयरधारण <25% हो जाए** → कंपनी को 12 महीनों के भीतर पुनर्स्थापित करना होगा। ❖ **सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (PSUs) को छूट**: सरकार **रणनीतिक विनिवेश** को सुगम बनाने हेतु सूचीबद्ध PSUs को MPS मानदंडों से छूट दे सकती है (जैसे LIC IPO)।

Topic 7 - भारत में बॉन्ड बाजार	
Syllabus	अर्थव्यवस्था | वित्त
संदर्भ	भारत के **10-वर्षीय** मानक सरकारी प्रतिभूति (G-sec) प्रतिफल में एक माह में ~26 आधार अंक (bps) की वृद्धि हुई, जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 7 माह में रेपो दर 100 आधार अंक घटाई थी।
भारतीय बॉन्ड बाजार के बारे में	❖ **बॉन्ड बाजार:** एक वित्तीय बाजार जहाँ ऋण प्रतिभूतियां जारी (प्राथमिक बाजार) या व्यापार (द्वितीयक बाजार) की जाती हैं। ❖ **बॉन्ड:** एक ऋण साधन/प्रतिभूति जिसे सरकार या कंपनी पूंजी जुटाने के लिए जारी करती है। जारीकर्ता निश्चित दर (**कूपन रेट**) से प्रतिफल देने और परिपक्वता पर मूलधन लौटाने का वचन देता है। ❖ **महत्व:**

	➢ **राजकोषीय प्रबंधन:** सरकार के घाटे और अवसंरचना परियोजनाओं (जैसे राष्ट्रीय अवसरंचना पाइपलाइन, स्कूल, हरित परियोजनाओं) को वित्तपोषित करता है। ➢ **व्यवसाय वृद्धि:** कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का उपयोग व्यवसाय के विस्तार और ऋण प्रबंधन के लिए किया जाता है। ➢ **मौद्रिक नीति संचरण:** RBI G-sec बाजार में ओपन मार्केट ऑपरेशन्स (OMOs) और ऑपरेशन ट्विस्ट के माध्यम से तरलता प्रबंधन, मुद्रास्फीति नियंत्रण और दीर्घकालिक ब्याज दरों पर प्रभाव डालता है। ➢ **बैंकों का विकल्प:** बैंकिंग क्षेत्र के NPA दबाव को कम करता है; वित्त पोषण के स्रोतों में विविधता लाता है।
बॉन्ड बाज़ार के प्रकार	❖ **प्राथमिक बाजार:** नई प्रतिभूतियों का निर्गम; निवेशक तत्काल पूंजी प्रदान करते हैं। ❖ **द्वितीयक बाजार:** मौजूदा बॉन्ड्स का व्यापार → दरों, क्रेडिट योग्यता और आर्थिक प्रवृत्तियों के अनुसार कीमतें बदलती हैं ❖ **प्रमुख नियामक:** RBI (G-sec, SDLs के लिए), SEBI (कॉर्पोरेट, नगरपालिका, हरित/ESG बॉन्ड्स के लिए)।

भारतीय बॉन्ड बाजार की संरचना

बाजार खंड	उपकरण	जारीकर्ता	मुख्य विशेषताएँ
सरकारी प्रतिभूति (G-Sec) बाज़ार (भारतीय बांड मार्केट का ~90% हिस्सा)	**ट्रेजरी बिल्स** (T-Bills): अल्पकालिक (91, 182, 364 दिन)	केंद्र सरकार	छूट पर जारी, अंकित मूल्य पर भुनाए जाते हैं; संप्रभु जोखिम-मुक्त निवेश: सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है, भारत सरकार द्वारा समर्थित।
	दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियाँ/बॉन्ड्स: दीर्घकालिक (40 वर्ष तक)	केंद्र सरकार	निश्चित या परिवर्तनीय कूपन भुगतान। बेंचमार्क: 10-वर्षीय G-Sec प्रतिफल → अर्थव्यवस्था की ब्याज दर का सूचक।
	राज्य विकास ऋण (SDLs)	राज्य सरकारें	राज्य-स्तरीय परियोजनाओं का वित्तपोषण। G-Secs से थोड़ा अधिक प्रतिफल।
कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार	कॉर्पोरेट बांड/डिबेंचर	कंपनियाँ (PSU, निजी)	उच्च जोखिम, उच्च प्रतिफल: जोखिम जारीकर्ता की क्रेडिट रेटिंग पर निर्भर (जैसे, AAA, AA)। ज़्यादातर निजी प्लेसमेंट (99% से अधिक)।
अन्य बॉन्ड्स	म्युनिसिपल बॉन्ड	नगर निगम	सार्वजनिक अवसंरचना के लिए; AMRUT और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत पुनर्जीवित
	मसाला बॉन्ड	भारतीय संस्थाएँ (विदेश में)	भारत के बाहर रुपये में नामित बांड (RBI द्वारा प्रबंधित) → जारीकर्ताओं के लिए मुद्रा जोखिम कम करता है।
	सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स (SGBs): 8 वर्ष (5 वर्ष बाद निकासी विकल्प)	RBI (भारत सरकार की ओर से) (2015 से, स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के तहत)	ग्राम में नामित सरकारी प्रतिभूतियां। प्रतिफल: 2.5% वार्षिक ब्याज + परिपक्वता पर सोने का बाजार मूल्य। भौतिक सोने के आयात को कम करता है → चालू खाता घाटे (CAD) को कम करता है।

	ग्रीन बॉन्ड	सरकार, PSU, कंपनियाँ, ULBs	पर्यावरणीय परियोजनाओं के लिए जारी

मौजूदा परिदृश्य	❖ **10-वर्षीय G-sec यील्ड:** 6.34% → 6.60% तक बढ़ी, जबकि रेपो दर में कटौती हुई। ❖ **RBI रुख:** मुद्रास्फीति पर सख्त; MPC ने प्रमुख दरें अपरिवर्तित रखी (रेपो 5.50%, SDF 5.25%, MSF 5.75%)। ❖ **वृद्धि पूर्वानुमान:** 2025–26 के लिए 6.5%; मुद्रास्फीति 3.1% → Q1 2026–27 में 4.9% अनुमानित। ❖ **यील्ड कर्व:** तेजी से बढ़ना भविष्य में उच्च उधार लागत की अपेक्षा दर्शाता है।
चुनौतियाँ	❖ **G-Secs का प्रभुत्व** → कॉर्पोरेट बॉण्ड्स पीछे रह जाते हैं। ❖ **कमजोर कॉर्पोरेट बॉण्ड बाज़ार** → GDP का ~18% (पूर्व एशिया में 80%+)। ❖ **तरलता समस्याएँ** → द्वितीयक बाजार में कारोबार कम, AAA/AA निर्गमों में केंद्रित। ❖ **क्रेडिट जोखिम व रेटिंग मुद्दे** (IL&FS संकट 2018, DHFL डिफॉल्ट)। ❖ **प्राइवेट प्लेसमेंट प्रभुत्व** (>99%) → खुदरा निवेशक वंचित। ❖ **नियामकीय सीमाएँ** → पेंशन/बीमा फंड केवल उच्च-रेटेड बॉण्ड्स तक। ❖ **गहरे प्रतिफल वक्र की कमी** → मूल्य निर्धारण, क्रेडिट स्प्रेड विश्लेषण में बाधा। ❖ **राजकोषीय चिंताएँ:** GST सुधार (4 → 2 स्लैब + सिन गुड्स) से राजस्व में ₹50k–60k करोड़ की कमी हो सकती है → सरकारी उधार में वृद्धि → बांड प्रतिफल में वृद्धि।
हालिया सुधार और पहलें	❖ **वैश्विक सूचकांक समावेशन:** भारतीय G-sec को J.P. Morgan, FTSE Russell (सितम्बर 2025) और Bloomberg सूचकांकों में शामिल किया गया → स्थिर FPI प्रवाह ($20–25 अरब)। ❖ **FAR (Fully Accessible Route):** RBI द्वारा शुरू → NRIs को निर्दिष्ट G-sec में बिना किसी सीमा के निवेश की अनुमति। ❖ **RBI रिटेल डायरेक्ट योजना (नवम्बर 2021):** खुदरा निवेशकों को RBI के साथ सीधे खाता खोलने की अनुमति (गिल्ट खाता) → बाजार का लोकतंत्रीकरण। ❖ **SEBI उपाय:** अधिक पारदर्शिता (इलेक्ट्रॉनिक बोली प्लेटफॉर्म), सार्वजनिक निर्गम को बढ़ावा, आंशिक क्रेडिट संवर्धन। ❖ **GIFT सिटी IFSC:** अंतरराष्ट्रीय बॉन्ड लिस्टिंग। ❖ **कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार विकास कोष (2023):** संकट के समय तरलता प्रदान करने हेतु। ❖ **ग्रीन और इंफ्रा बॉन्ड्स:** सतत और दीर्घकालिक अवसंरचना वित्तपोषण पर बल। ❖ **'ब्लू बॉन्ड्स' और नए थीमैटिक बॉन्ड्स की शुरुआत:** समुद्री संरक्षण, सतत शहरों के लिए → भारत की जलवायु वित्त पहल का हिस्सा (2023 से)।
संभावित सुधारात्मक उपाय	❖ **सरकारी उधारी रणनीति:** अल्प/मध्यम अवधि के बॉन्ड्स की ओर स्थानांतरण। ❖ **बाजार अवसंरचना का विकास:** जोखिम प्रबंधन के लिए क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स (CDS)। ❖ **ऋण वसूली तंत्र को मजबूत करना:** निवेशकों का विश्वास बढ़ाने हेतु। ❖ **RBI हस्तक्षेप:** ➢ **OMOs:** प्रतिफल कम करने के लिए दीर्घकालिक बांड खरीदना। ➢ **ऑपरेशन ट्विस्ट:** दीर्घकालिक बांड खरीदना, अल्पकालिक बांड बेचना।

Topic 8 - भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश एक टाइम बम के रूप में	
Syllabus	अर्थव्यवस्था | जनसंख्या | विकास और रोजगार
संदर्भ	भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश, जो कभी एक ताकत माना जाता था, अब बढ़ते स्वचालन, खराब पाठ्यक्रम और कम रोजगार योग्यता के कारण संभावित **"टाइम बम"** के रूप में देखा जा रहा है।
जनसांख्यिकीय लाभांश क्या है?	❖ आश्रित जनसंख्या (बच्चे और बुजुर्ग) की तुलना में कार्यशील आयु वर्ग (15–64 वर्ष) की बढ़ती हिस्सेदारी के कारण उत्पन्न आर्थिक विकास की संभावना, जनसांख्यिकीय लाभांश कहलाता है। ❖ यह अवसर सीमित समय के लिए होता है और इसके लिए उत्पादक नौकरियों की आवश्यकता होती है।
भारत की स्थिति	❖ 800+ मिलियन लोग 35 वर्ष से कम उम्र के (विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी) ❖ **माध्य आयु:** लगभग 28 वर्ष ❖ **कार्यशील आयु वर्ग (15–64):** जनसंख्या का लगभग 65%। ❖ **प्रजनन दर में गिरावट:** TFR: 2.0 (NFHS-5) < प्रतिस्थापन स्तर (2.1) → लाभांश की समय सीमा 2045 तक (लगभग 20 वर्ष शेष)।
महत्त्व	❖ **GDP में वृद्धि:** लैंगिक अंतर को समाप्त करने से GDP में 27% तक वृद्धि हो सकती है (IMF)। ❖ **बुजुर्ग होती अर्थव्यवस्थाओं के लिए कार्यबल आपूर्ति।** ❖ **युवा नवप्रवर्तक:** स्टार्टअप्स, डिजिटल तंत्र को अपनाना। ❖ **निर्यात उद्योगों के लिए श्रमिक:** वस्त्र, रत्न, चमड़ा। ❖ **सामाजिक उत्थान:** गरीबी उन्मूलन, गतिशीलता, समावेशिता।
मुख्य चिंताएँ (इसे "टाइम बम" क्यों कहा जा रहा है)	❖ **रोजगार विहीन वृद्धि:** आर्थिक वृद्धि पर्याप्त रोजगार सृजन नहीं कर रही है → श्रम बल भागीदारी दर (LFPR): 50.2% (PLFS 2023–24)। ❖ **कौशल अंतराल:** केवल 43% स्नातक ही नौकरी के लिए तैयार (Graduate Skills Index 2025)। ❖ **शिक्षा–उद्योग असंगति:** डिग्री और जॉब मार्केट के बीच असंगति के कारण 40–50% इंजीनियरिंग स्नातक बेरोजगार रहते हैं। ❖ **ऑटोमेशन का खतरा:** AI 2030 तक 70% मौजूदा नौकरियों को प्रभावित कर सकता है (McKinsey)। ❖ **महिला कार्यबल भागीदारी कम:** FLFPR लगभग 37–41.7%, वैश्विक औसत (47%) से कम। ❖ **करियर जागरूकता की कमी:** 93% छात्रों को केवल 7 करियर विकल्प की जानकारी हैं, जबकि 20,000+ विकल्प मौजूद हैं। ❖ **पुरानी शिक्षा प्रणाली:** पाठ्यक्रम में धीमा सुधार और रटने पर आधारित शिक्षा → करियर-रेडीनेस सुनिश्चित करने में विफल।
उपेक्षा के परिणाम	❖ **रोजगारविहीन वृद्धि**: आर्थिक अस्थिरता। ❖ **ब्रेन ड्रेन**: कुशल युवा बेहतर अवसरों के लिए विदेश जाते हैं → प्रतिभा की हानि, नवाचार में कमजोरी। ❖ **असमानता में वृद्धि**: विकास का लाभ सिर्फ कुशल शहरी अभिजात वर्ग तक सीमित, विशाल अकुशल जनसंख्या पीछे छूट जाती है → आय और सामाजिक असमानता बढ़ती है। ❖ **सामाजिक असंतोष**: युवा आंदोलन, अस्थिरता (उदाहरण: मंडल आंदोलन 1990, नेपाल का **'GenZ'** आंदोलन)।
आगे की राह	❖ **मानव पूंजी निवेश:** ➢ **शिक्षा:**

	■ **नई शिक्षा नीति** (NEP 2020) का क्रियान्वयन, **व्यावसायिक कौशल** पर विशेष जोर। ■ **पाठ्यक्रम में सुधार** → AI, डिजिटल स्किल्स और आलोचनात्मक सोच को स्कूली स्तर से जोड़ना। ■ **राष्ट्रीय कौशल फ्रेमवर्क** को अपनाकर शिक्षा और उद्योग के बीच संरेखण। ➢ **स्वास्थ्य:** स्वास्थ्य पर खर्च (GDP का 1%) बढ़ाना और पोषण में सुधार। ❖ **रोजगार सृजन:** ➢ **उद्योग और उद्यम प्रोत्साहन:** ■ मेक इन इंडिया और उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं को बढ़ावा देना। ■ स्टार्टअप्स और MSMEs को समर्थन देना ताकि नवाचार और रोजगार सृजन हो। ➢ **कौशल विकास और करियर मार्गदर्शन** ■ **स्कूल** स्तर पर व्यापक **काउंसलिंग**। ■ कार्यबल के **पुनःकौशल** (re-skilling) और **कौशल उन्नयन** (upskilling) के लिए **AI प्लेटफॉर्म** का उपयोग। ■ **PPP मॉडल** के माध्यम से अप्रेंटिसशिप, गिग इकॉनमी का औपचारिककरण और उद्योग-आधारित कौशल प्रोत्साहन। ➢ **श्रेष्ठ प्रथाओं का अनुकरण:** Scale successful models such as: ■ **कर्नाटक** की **शक्ति योजना** (महिला सशक्तिकरण के लिए कौशल विकास) ■ **राजस्थान** की **शहरी रोजगार गारंटी योजना** (शहरी रोजगार सहायता)। ❖ **महिला केंद्रित नीतियाँ:** बाल देखभाल सुविधाएँ, कार्यस्थल सुरक्षा में वृद्धि और लचीली कार्य नीतियों को अपनाना ताकि महिला LFPR में वृद्धि हो। ❖ **क्षेत्रीय अनुकूल नीतियाँ:** विविध जनसांख्यिकीय प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र-विशिष्ट हस्तक्षेप तैयार करें- ➢ **युवा बहुल क्षेत्र:** बड़े पैमाने पर कौशल विकास और रोजगार सृजन पर ध्यान। ➢ **बुजुर्ग जनसंख्या वाले क्षेत्र:** सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सहायता और वृद्ध कार्यबल के लिए पुनः कौशल विकास को बढ़ावा।
निष्कर्ष	❖ भारत के पास अपनी युवा शक्ति को आर्थिक महाशक्ति में बदलने के लिए **दो दशक** हैं। यदि तत्काल सुधार नहीं किए गए, तो यह लाभांश **जनसांख्यिकीय आपदा** में बदल सकता है।
नीतिशास्त्र/निबंध हेतु उद्धरण	"Where Has All the Education Gone?" – लैंट प्रिचेट (विश्व बैंक) → रोजगार क्षमता के बिना शिक्षा के विरोधाभास को रेखांकित करता है।

Topic 9 - भारत में स्वास्थ्य बीमा में वृद्धि और जोखिम	
Syllabus	अर्थव्यवस्था | बीमा
संदर्भ	**PMJAY** और **राज्य स्वास्थ्य बीमा योजनाओं** (SHIPs) के बढ़ते बजट ने भारत के **सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल** (UHC) की दिशा में बहस को तेज कर दिया है।
स्वास्थ्य बीमा में वृद्धि	❖ **PMJAY (2018):** ₹5 लाख/परिवार/वर्ष कवरेज → 58.8 करोड़ लोगों को कवर करता है (2023-24)। ❖ **राज्य योजनाएं (SHIPs):** समान जनसंख्या को कवर करने वाली समानांतर योजनाएं → ~₹16,000 करोड़ का बजट। ❖ **उपयोग का अंतर:** केवल 35% बीमाधारक मरीज ही योजनाओं का लाभ ले पाए (HCES 2022-23)। ❖ **स्वास्थ्य बीमा उद्योग:** ₹90,000+ करोड़ (IRDAI, 2025) → पिछले 5 वर्षों में ~18% की वार्षिक वृद्धि दर (CAGR)।
विस्तार में खामियाँ	❖ **सुलभता संकट:** प्रीमियम सालाना 12–15% बढ़ रहे → मध्यम वर्ग पर्याप्त बीमा से वंचित; गरीब सार्वजनिक योजनाओं पर निर्भर। ❖ **लाभ-केंद्रित प्रवृत्ति:** फंड का 2/3 निजी अस्पतालों को → अनावश्यक प्रक्रियाएँ, अधिक शुल्क। ❖ **प्राथमिक स्वास्थ्य की अनदेखी:** ध्यान अस्पताल/भर्ती पर; ग्रामीण पीएचसी और ओपीडी को नजरअंदाज किया गया। ❖ **उपयोग की चुनौतियाँ:** जागरूकता की कमी, कम प्रतिपूर्ति → कई लोग बाहर रह जाते हैं ❖ **देखभाल में भेदभाव:** ➢ सरकारी अस्पताल → बीमाधारकों को प्राथमिकता। ➢ निजी अस्पताल → बीमाहीन मरीजों को प्राथमिकता (अधिक बिलिंग वजह)। ❖ **वित्तीय दबाव:** लंबित भुगतान = ₹12,161 करोड़; 600+ अस्पताल PMJAY से बाहर ❖ **धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार:** 3,200 अस्पताल चिह्नित (फर्जी मरीज, बढ़े हुए बिल, नकली सर्जरी)।
सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) के लिए संरचनात्मक जोखिम	❖ **कम सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च:** GDP का 1.3% बनाम वैश्विक औसत 6.1%। ❖ **लाभ-उन्मुख प्रणाली:** बीमा निजी क्षेत्र के प्रभुत्व को बढ़ाता है। ❖ **बहिष्करण बना रहता है:** आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च अभी भी विश्व में सबसे अधिक।
अंतर्राष्ट्रीय तुलना	❖ **थाईलैंड, कनाडा:** UHC + सामाजिक बीमा = गैर-लाभकारी, सार्वभौमिक, विनियमित। ❖ **भारत:** लक्षित, लाभ-उन्मुख, कमजोर नियमन।
सरकारी पहलें	❖ **आयुष्मान भारत (PM-JAY):** ₹5 लाख प्रति परिवार का कवर; 26,000+ सूचीबद्ध अस्पताल → 2025: OPD और कैंसर देखभाल मॉड्यूल जोड़े गए। ❖ **ABHA हेल्थ ID:** डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड → बीमा पोर्टेबिलिटी से जोड़ा गया है। ❖ **IRDAI सुधार (2025):** दावा निपटान समयसीमा के लिए मसौदा नियम → OPD + अस्पताल भर्ती उत्पादों को बंडल करने की पहल। ❖ **राजस्थान** ➢ **मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना (अब मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना):** ₹25 लाख/परिवार/वर्ष तक कैशलेस इलाज और वित्तीय सहायता। ➢ **राजस्थान सरकारी स्वास्थ्य योजना (RGHS):** लाभार्थी श्रेणी के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना जिसमें मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक, अखिल भारतीय सेवाएँ, राज्य सरकार के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारी तथा राज्य स्वायत्त निकाय शामिल हैं।

आगे की राह	❖ **सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करें:** पीएचसी, डायग्नोस्टिक, ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यबल। ❖ **निजी क्षेत्र को विनियमित करें:** मानक प्रोटोकॉल, मूल्य सीमा, ऑडिट → धोखाधड़ी और अधिक शुल्क को कम करें। ❖ **जागरूकता और उपयोग बढ़ाएँ:** जनजागरण अभियान (स्थानीय भाषाओं में), डिजिटल साक्षरता, आसान क्लेम प्रक्रिया। ❖ **वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करें:** समय पर प्रतिपूर्ति; प्रत्यक्ष बजटीय मॉडल पर विचार करें। ❖ **समुदाय-आधारित स्वास्थ्य बीमा बढ़ावा**: विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में। ❖ **स्वास्थ्य खर्च बढ़ाएँ:** GDP का 2.5% तक (NHP 2017 के अनुसार)। ❖ बीमे को निवारक देखभाल से जोड़ें, सिर्फ अस्पताल भर्ती से नहीं।
निष्कर्ष	PMJAY और SHIPs कवरेज प्रदान करते हैं, लेकिन लाभ-केंद्रित देखभाल को संस्थागत बनाने का जोखिम भी है। वास्तविक UHC के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य में निवेश, निजी क्षेत्र का नियमन और समानता-केंद्रित सुधार आवश्यक हैं। बीमा भारत के स्वास्थ्य संकट का केवल अस्थायी उपाय है, स्थायी समाधान नहीं।

Topic 10 - भारत का हरित ऊर्जा विरोधाभास (Green Energy Paradox)

Syllabus	अर्थव्यवस्था | भूगोल | नवीकरणीय ऊर्जा
संदर्भ	भारत के पास 44 GW की नवीकरणीय ऊर्जा (RE) क्षमता बिना ऊर्जा खरीद समझौते (PPA) के फंसी हुई है, जिससे उत्पादन क्षमता और मांग की वास्तविक खपत के बीच की खाई उजागर होती है।
हरित ऊर्जा विरोधाभास क्या है?	❖ नवीकरणीय ऊर्जा (RE) के तेज़ी से विस्तार के बावजूद भारत अपनी स्वच्छ ऊर्जा क्षमता को पूर्ण रूप से उपयोग में नहीं ला पा रहा है। यह विरोधाभास **स्थापित क्षमता** और **वास्तविक उपयोग के बीच की खाई** को दर्शाता है, जो प्रणालीगत, वित्तीय और नीतिगत बाधाओं के कारण उत्पन्न हुआ है।
वर्तमान स्थिति	❖ **कोयले पर निर्भरता:** ~79% घरेलू ऊर्जा (FY23)। ❖ **नवीकरणीय ऊर्जा की कम हिस्सेदारी:** केवल 3.8% (बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट को छोड़कर)। ❖ **आयात पर निर्भरता:** 85% तेल और 50% गैस आयातित। ❖ **निष्क्रिय क्षमता:** 44 GW RE बिना PPA के फंसी हुई।
विरोधाभास के आयाम	❖ **आपूर्ति-पक्ष** ➢ 44 GW नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएँ तैयार हैं, लेकिन **खरीदार नहीं** (PPAs लंबित)। ➢ वैश्विक स्तर पर RE सस्ती है, पर भारत में **टैरिफ अधिक** (शुल्क, GST, उधारी लागत)। ➢ PLI और VGF योजनाओं से सहायता, लेकिन भंडारण-समर्थित RE की लागत ₹6.6–₹9/यूनिट। ❖ **मांग-पक्ष** ➢ डिस्कॉम्स **कोयला-आधारित PPAs** को प्राथमिकता देते हैं (सस्ते और स्थिर)। ➢ **ग्रिड लागत**: परिवर्ती नवीकरणीय ऊर्जा (RE) को संतुलित करने में अतिरिक्त खर्च। ➢ लचीले ग्रिड्स का अभाव: स्मार्ट मीटर या मांग-प्रतिक्रिया प्रणाली नहीं। ➢ धीमी विद्युतीकरण प्रगति (EV, कुकिंग, उद्योग) → RE की मांग कमजोर।
नवीकरणीय ऊर्जा (RE) एकीकरण में बाधाएँ	❖ **संरचनात्मक**: ऋणग्रस्त डिस्कॉम्स, स्मार्ट ग्रिड की कमी। ❖ **पर्यावरणीय**: कोयला-आधारित लॉक-इन; निष्क्रिय RE परियोजनाएँ उत्सर्जन कटौती में देरी करती हैं। ❖ **आर्थिक**: ऊँचे टैरिफ, महंगा भंडारण, और वित्तपोषण बाधाएँ।

उठाए गए कदम	❖ **राष्ट्रीय सौर मिशन और हाइब्रिड नीति** – सौर ऊर्जा का विस्तार, पवन-सौर मिश्रण। ❖ **PLI योजना (बैटरियों के लिए) और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM)** – घरेलू भंडारण पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा। ❖ **नवीकरणीय खरीद दायित्व (RPOs)** – राज्यों द्वारा RE खरीद अनिवार्य। ❖ **ग्रीन ओपन एक्सेस नियम 2022** – उद्योग सीधे RE खरीद सकते हैं। ❖ **राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन:** दीर्घकालिक स्वच्छ ईंधन और भंडारण विकल्प।
आगे की राह	❖ **भंडारण को प्रोत्साहन**: व्यवहार्यता अंतर निधि (VGF) को बढ़ाना, पंप्ड हाइड्रो और स्थानीय बैटरी को प्रोत्साहन। ❖ **मांग का विद्युतीकरण**: EV अवसंरचना, विद्युत खाना पकाने और औद्योगिक हीटिंग को प्रोत्साहन। ❖ **स्मार्ट ग्रिड्स**: स्मार्ट मीटर, बाज़ार-आधारित लचीला RE वितरण। ❖ **डिस्कॉम सुधार**: वित्तीय पुनर्गठन, लागत-आधारित टैरिफ और जवाबदेही। ❖ **विभेदित RPOs**: राज्यों की ग्रिड क्षमता और संसाधनों के अनुरूप डिज़ाइन।
निष्कर्ष	भारत की ऊर्जा संक्रमण **चुनौती क्षमता निर्माण में नहीं बल्कि क्षमता उपयोग** में है। ग्रिड, भंडारण, डिस्कॉम्स और मांग विद्युतीकरण को सुदृढ़ करना आवश्यक है ताकि फंसी हुई RE क्षमता को मुक्त किया जा सके और जलवायु लक्ष्यों को सस्ती एवं विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति से जोड़ा जा सके।

Govt Schemes

Topic 1 - यशोदा एआई (Yashoda AI)

Syllabus	महिला विकास | प्रौद्योगिकी
संदर्भ	**महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री** ने राज्यसभा को **यशोदा AI पहल** के बारे में सूचित किया।
यशोदा एआई (Your AI SAKHI for Shaping Horizons with Digital Awareness) 	❖ महिलाओं के लिए **राष्ट्रव्यापी एआई साक्षरता अभियान**, मई 2025 में प्रारंभ। ❖ **राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW)** की पहल, **फ्यूचर शिफ्ट लैब्स (FSL)** के सहयोग से (FSL नैतिक एआई और डिजिटल समावेशन पर केंद्रित)। ❖ **उद्देश्य**: ➢ एआई साक्षरता, डिजिटल समावेशन, साइबर सुरक्षा, गोपनीयता और सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहार को बढ़ावा देना। ➢ **विकसित भारत** दृष्टिकोण के तहत **महिला-नेतृत्व वाले डिजिटल विकास** को प्रोत्साहन। ❖ **लक्षित समूह** ➢ ग्रामीण और अर्ध-शहरी महिलाएँ (~2500 महिलाएँ) ➢ स्वयं सहायता समूह (SHG) सदस्य, आशा कार्यकर्ता, शिक्षिकाएँ, महिला पुलिसकर्मी, निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि। ❖ **मुख्य विशेषताएँ** ➢ **बहुभाषी मोबाइल ऐप** → एआई, साइबर अपराध, डिजिटल गोपनीयता पर पाठ। ➢ **समुदाय-आधारित मॉडल** → प्रशिक्षित महिलाएँ **"एआई सखी"** बनती हैं। ➢ स्कूलों, कॉलेजों और सामुदायिक केंद्रों में कार्यशालाएँ।
महत्त्व	❖ महिलाओं का **डिजिटल सशक्तिकरण** → **डिजिटल अंतर** को कम करता है। ❖ **साइबर खतरों** और **एआई-आधारित अपराधों** के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। ❖ **समावेशी शासन** और **सुरक्षित डिजिटल भागीदारी** को समर्थन। ❖ तकनीक और शासन में **महिलाओं की भागीदारी** को बढ़ावा।
राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) के बारे में	❖ **वैधानिक निकाय (1992)**, NCW अधिनियम, 1990 के तहत स्थापित। ❖ **संरचना:** अध्यक्ष + 5 सदस्य + सदस्य-सचिव (केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त)। ❖ **कार्यकाल:** अध्यक्ष और सदस्यों के लिए 3 वर्ष। ❖ **अधिकार:** एक दीवानी न्यायालय के समकक्ष – ➢ गवाहों को समन भेजना और परीक्षण करना। ➢ दस्तावेज़/साक्ष्य की माँग करना। ➢ हलफनामे प्राप्त करना। ➢ सार्वजनिक अभिलेखों तक पहुँच।

Topic 2 - नारी 2025 (NARI 2025)	
Syllabus	शासन | सामाजिक न्याय
संदर्भ	**राष्ट्रीय महिला आयोग** (NCW) द्वारा **महिला सुरक्षा पर राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट और सूचकांक (NARI) 2025** जारी की गई।
मुख्य बिंदु	❖ **राष्ट्रीय सुरक्षा स्कोर:** 65% (शहरों को मानक से ऊपर/नीचे के समूहों में वर्गीकृत किया गया)। ❖ **सबसे सुरक्षित शहर:** कोहिमा, विशाखापत्तनम, भुवनेश्वर, आइजोल, गंगटोक, ईटानगर, मुंबई। ❖ **सबसे असुरक्षित शहर:** पटना, **जयपुर**, फरीदाबाद, **दिल्ली**, **कोलकाता**, श्रीनगर, रांची। ❖ **सकारात्मक कारक:** लैंगिक समानता, नागरिक भागीदारी, पुलिसिंग, और महिला-अनुकूल बुनियादी ढांचा। ❖ **नकारात्मक कारक:** कमजोर संस्थागत प्रतिक्रिया, पितृसत्तात्मक मान्यताएँ, और खराब शहरी बुनियादी ढांचा।
महिलाओं की सुरक्षा संबंधी धारणाएँ	❖ 60% महिलाएँ सुरक्षित महसूस करती हैं; 40% असुरक्षित ❖ **उत्पीड़न की घटनाएँ**: 2024 में 7% महिलाओं ने घटनाएँ दर्ज कीं ➢ सर्वाधिक जोखिमग्रस्त समूह: 24 वर्ष से कम आयु की महिलाएँ (14%)। ➢ उत्पीड़न के प्रकार: **मौखिक** (58%) > शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, यौन ➢ **हॉटस्पॉट:** पड़ोस (38%), परिवहन (29%) ❖ **रात्रिकालीन सुरक्षा:** विशेषकर परिवहन और मनोरंजन स्थलों में सुरक्षा की धारणा में तेज गिरावट।
संस्थागत प्रतिक्रिया और कमियाँ	❖ **शिकायत दर्ज करना:** 3 में से केवल 1 पीड़िता ने औपचारिक शिकायत दर्ज की। ❖ **मामलों पर कार्रवाई:** दर्ज मामलों में केवल 16% पर प्रभावी कार्रवाई हुई। ❖ **प्राधिकरणों पर विश्वास:** केवल 25% महिलाएँ सुरक्षा प्रतिक्रिया तंत्र पर भरोसा करती हैं। ❖ **कार्यस्थल पर सुरक्षा:** 53% महिलाएँ अपने कार्यस्थल पर POSH नीति के बारे में अनजान है।
महत्व	❖ यह रिपोर्ट शहरी शासन, पुलिसिंग और संस्थागत समर्थन में कमियों को दर्शाती है। ❖ मज़बूत पुनर्वास प्रणाली, POSH पर जागरूकता, सुरक्षित शहरी अवसंरचना और लैंगिक-उत्तरदायी शासन की आवश्यकता पर बल देती है।

Topic 3 - ई-सुश्रुत@क्लिनिक (e-Sushrut@Clinic)	
Syllabus	स्वास्थ्य | शासन | डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना
संदर्भ	राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण **(NHA)** और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग **(C-DAC)** ने **ई-सुश्रुत@क्लिनिक** को लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
ई-सुश्रुत@क्लिनिक के बारे में	➢ **क्लाउड-आधारित** हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम **(HMIS)**। ➢ **लक्ष्य** → छोटे और मध्यम आउटपेशेंट क्लिनिक (सरकारी + निजी)। ➢ C-DAC द्वारा विकसित → e-Sushrut HMIS का हल्का संस्करण। ➢ **आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन** (ABDM) पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार करता है।
प्रमुख विशेषताएं	➢ **मॉड्यूल्स:** आउटपेशेंट प्रबंधन, फार्मेसी, नर्सिंग। ➢ हेल्थ फ़ैसिलिटी रजिस्ट्री (HFR) और हेल्थ प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री (HPR) के माध्यम से लैपटॉप/मोबाइल वेबपेज पर सुलभ (यदि पंजीकृत नहीं तो रजिस्टर करने का विकल्प)।

	➢ छोटे क्लीनिक और अस्पतालों के लिए डिजिटल रोगी रिकॉर्ड, प्रिस्क्रिप्शन, बिलिंग, टेलीमेडिसिन सक्षम करता है। ➢ प्रति उपयोगकर्ता **कम लागत**, न्यूनतम तकनीकी आवश्यकताएं। ➢ **आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यूटिलिटीज का एकीकरण** → जैसे AIIMS क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (CDSS) (हाइपरटेंशन, डायबिटीज) सभी ABDM-लिंक्ड सॉफ़्टवेयर के लिए निःशुल्क। ➢ डिजिटल उपकरणों के माध्यम से बेहतर निदान और उपचार में सहायक।

Topic 4 - स्वयं पोर्टल (SWAYAM Portal)

Syllabus	शिक्षा | डिजिटल लर्निंग
संदर्भ	**शिक्षा मंत्रालय** ने एआई कौशल की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए **स्वयं पोर्टल** पर **निःशुल्क एआई पाठ्यक्रम** शुरू किए।
स्वयं (Study Webs of Active–Learning for Young Aspiring Minds) के बारे में	❖ **प्रारंभ:** 2017 में **शिक्षा मंत्रालय** द्वारा **डिजिटल इंडिया पहल** के तहत। ❖ भारत का अपना **MOOCs (मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स) प्लेटफॉर्म**। ❖ **उद्देश्य:** डिजिटल अंतर को पाटना और सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना (कक्षा 9 से स्नातकोत्तर स्तर तक) → शिक्षा का लोकतंत्रीकरण। ❖ निःशुल्क पाठ्यक्रम → कभी भी, कहीं भी उपलब्ध; नाममात्र शुल्क पर प्रमाणन संभव।
प्रमुख विशेषताएं	❖ **4 क्वाड्रेंट्स:** वीडियो व्याख्यान, डाउनलोड करने योग्य अध्ययन सामग्री, स्व-मूल्यांकन परीक्षण, ऑनलाइन चर्चा मंच। ❖ **क्रेडिट ट्रांसफर: UGC (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) 2016** विनियमों के अनुसार, प्रॉक्टर्ड परीक्षाओं के अंक छात्र के शैक्षणिक रिकॉर्ड में जोड़े जा सकते हैं।
स्वयं प्लस (SWAYAM Plus)	❖ **प्रारंभ: राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020** के तहत। ❖ **संचालन: IIT मद्रास** द्वारा ❖ **उद्योग-सहयोगी पाठ्यक्रम:** रोज़गार क्षमता एवं कौशल विकास के लिए। ❖ **क्षेत्र:** विनिर्माण, ऊर्जा, IT/ITES, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, भारतीय ज्ञान प्रणाली आदि। ❖ **विशेषताएं:** बहुभाषी सामग्री (12 भाषाएं), AI-सक्षम मार्गदर्शन, क्रेडिट मान्यता, रोजगार के अवसरों से जुड़ाव।

Topic 5 - स्माइल योजना (SMILE Scheme)	
Syllabus	सरकारी योजनाएँ
संदर्भ	सरकार ने स्माइल योजना के तहत 15-दिवसीय **उद्यमिता विकास कार्यक्रम** शुरू किया ताकि **ट्रांसजेंडर व्यक्तियों** को **आत्मनिर्भरता** और **आर्थिक सहायता** के माध्यम से सशक्त बनाया जा सके।
स्माइल योजना के बारे में	❖ **पूर्ण रूप:** सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। ❖ **नोडल मंत्रालय:** सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ❖ **प्रकार:** केंद्रीय क्षेत्र योजना। ❖ **उद्देश्य** ➢ पुनर्वास, आजीविका सहायता और सामाजिक समावेशन प्रदान करना। ➢ दंडात्मक दृष्टिकोण से **अधिकार-आधारित दृष्टिकोण** की ओर बदलाव। ➢ सबसे कमजोर वर्गों को **गरिमा पूर्ण जीवन** सुनिश्चित करना। ❖ **उप-योजनाएँ:** ➢ **स्माइल-टी** → **ट्रांसजेंडर व्यक्तियों** का समग्र पुनर्वास। ➢ **स्माइल-बी** → **भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों** का समग्र पुनर्वास।
प्रमुख विशेषताएँ	❖ **शिक्षा:** कक्षा IX से स्नातकोत्तर तक छात्रवृत्तियाँ। ❖ **कौशल और आजीविका: PM-DAKSH** के माध्यम से प्रशिक्षण। ❖ **स्वास्थ्य सेवा:** PM-JAY के तहत समग्र चिकित्सा सहायता, जिसमें जेंडर री-अफर्मेशन सर्जरी शामिल है। ❖ **आवास: गरिमा गृह** → भोजन, वस्त्र, कौशल प्रशिक्षण, मनोरंजन और चिकित्सा सहायता सहित आश्रय। ❖ **सुरक्षा:** अपराधों से निपटने के लिए राज्य-स्तरीय **ट्रांसजेंडर संरक्षण प्रकोष्ठ**। ❖ **सहायता प्रणाली:** मार्गदर्शन और सहायता के लिए **राष्ट्रीय पोर्टल** और **हेल्पलाइन**।
भिक्षा-मुक्त शहर	❖ **इंदौर** को **भिक्षा-मुक्त शहर** घोषित किया गया; SMILE-B के तहत अपने मॉडल को प्रदर्शित किया। ❖ प्रतिभागियों को **TULIP** (पारंपरिक कारीगरों के उत्थान हेतु आजीविका कार्यक्रम) के तहत प्रशिक्षित किया गया → वस्तुओं का उत्पादन और ऑनलाइन विपणन किया जा रहा है।

Topic 6 - प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY)	
Syllabus	सरकारी योजनाएँ | वित्तीय समावेशन
संदर्भ	❖ PMJDY ने **11 वर्ष** पूरे किए (28 अगस्त 2025) → विश्व का **सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन** अभियान। ❖ लगभग **100% परिवार** एवं **90% वयस्कों** के पास अब बैंक खाता है।
PMJDY क्या है?	❖ **2014** में शुरू की गई योजना → बिना बैंक सुविधा वाले लोगों को **सार्वभौमिक बैंकिंग पहुँच** प्रदान कर **वित्तीय समावेशन** सुनिश्चित करना। ❖ **विशेषताएं:** ज़ीरो-बैलेंस खाते, ओवरड्राफ्ट सुविधा, RuPay कार्ड, बीमा, पेंशन, प्रत्यक्ष लाभ स्थानांतरण (DBT)। ❖ साहूकारों पर निर्भरता कम हुई, औपचारिक ऋण तक पहुँच बेहतर हुई।
11 वर्षों में प्रगति	❖ **खाते:** 56.2 करोड़ (2015 में ~15 करोड़)।

	❖ **महिलाएँ:** 56% खाताधारक → महिला सशक्तिकरण। ❖ **ग्रामीण पहुँच:** 37.5 करोड़ ग्रामीण/अर्ध-शहरी क्षेत्रों में; 16.2 लाख बैंक मित्रों द्वारा घर-घर सेवा। ❖ **जमा राशि:** ₹2.68 लाख करोड़ (2015 से **17 गुना वृद्धि**)। ❖ **डिजिटल:** 38.7 करोड़ रूपे कार्ड; UPI में उछाल → डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा।
प्रभाव	❖ **DBT दक्षता:** सब्सिडी (LPG, पेंशन, कोविड सहायता) → प्रत्यक्ष, पारदर्शी हस्तांतरण → रिसाव में कमी। ❖ **संकट में सहयोग:** विमुद्रीकरण (2016) और कोविड-19 के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका। ❖ **सामाजिक सुरक्षा:** प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), और अटल पेंशन योजना (APY) से गरीब/असंगठित क्षेत्र को जोड़ा गया। ❖ **बैंकिंग पहुँच:** 99.9% गाँवों में 5 किमी के दायरे में बैंकिंग आउटलेट/पोस्ट बैंक।
समस्याएँ और चुनौतियाँ	❖ **निष्क्रिय खाते:** खाते खोलने के बाद **सीमित लेनदेन**। ❖ **ऋण अंतर:** छोटे ऋणों तक कमजोर पहुँच, अनौपचारिक ऋण पर निर्भरता। ❖ **डिजिटल खाई:** स्मार्टफोन तक निम्न पहुँच, कमजोर डिजिटल साक्षरता। ❖ **जागरूकता की कमी:** बीमा और पेंशन से जुड़े विकल्पों की जानकारी का अभाव। ❖ **DBT पर निर्भरता:** खाते मुख्यतः सब्सिडी प्राप्त करने हेतु उपयोग होते हैं, बचत/ऋण के लिए नहीं।
आगे की राह	❖ **निष्क्रिय खातों को सक्रिय करें:** जागरूकता प्रसार + लेनदेन हेतु प्रोत्साहन करें। ❖ **ऋण पहुँच:** PMJDY को माइक्रोक्रेडिट (सूक्ष्म ऋण) और उद्यमिता से जोड़ना। ❖ **वित्तीय साक्षरता:** स्थानीय भाषा में बचत, बीमा और पेंशन पर अभियान चलाना। ❖ **तकनीकी समाधान:** कम साक्षरता वाले उपयोगकर्ताओं के लिए वॉयस-आधारित/AI संचालित बैंकिंग। ❖ **मजबूत सुरक्षा जाल:** जन सुरक्षा योजनाओं का विस्तार। ❖ **बचत-निवेश को प्रोत्साहन:** खातों की राशि को लघु बचत, म्यूचुअल फंड आदि में निवेश करना।
निष्कर्ष	PMJDY = विश्व का सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन मॉडल, जिसने सब्सिडी वितरण में आमूल-चूल बदलाव कर गरीब परिवारों को सशक्त बनाया है। अगला चरण वित्तीय साक्षरता, ऋण पहुँच और बचत-निवेश संबंधों पर केंद्रित होना चाहिए → ताकि जन धन समावेशी विकास और सामाजिक सुरक्षा का इंजन बन सके।

Topic 7 - PM SVANidhi Scheme (Restructured)

Syllabus	शासन | कल्याणकारी योजनाएँ
संदर्भ	केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **पीएम स्वनिधि योजना** के **पुनर्गठन** और 31.12.2024 के बाद **विस्तार** को मंजूरी दी है। ऋण देने की अवधि अब **31 मार्च 2030** तक बढ़ा दी गई है।
योजना के बारे में	❖ **शुरुआत:** 1 जून 2020, **कोविड-19 महामारी** से प्रभावित रेहड़ी-पटरियों वाले विक्रेताओं के लिए। ❖ **पूरा नाम:** प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi) (**केंद्रीय क्षेत्र** की योजना)। ❖ **नोडल मंत्रालय:** आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) + वित्तीय सेवा विभाग (बैंकों/वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण सुविधा)। ❖ **क्रियान्वयन एजेंसी:** भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI)। ❖ **उद्देश्य:** किफायती, **गारंटी-मुक्त** कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराना, उद्यमिता को बढ़ावा देना, डिजिटल इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करना और रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं का **समग्र कल्याण** सुनिश्चित करना।

संशोधित योजना की प्रमुख विशेषताएँ	❖ **विस्तारित कवरेज:** वैधानिक नगरों से → जनगणना कस्बों व अर्ध-शहरी (peri-urban) क्षेत्रों तक। ❖ **संवर्धित ऋण संरचना:** ➢ प्रथम किश्त: ₹15,000 (पहले ₹10,000) ➢ द्वितीय किश्त: ₹25,000 (पहले ₹20,000) ➢ तृतीय किश्त: ₹50,000 (अपरिवर्तित)। ❖ **ब्याज सब्सिडी:** समय पर भुगतान पर **वार्षिक 7%**। ❖ **UPI-लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड:** व्यवसाय/व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए त्वरित ऋण सुविधा। ❖ **डिजिटल प्रोत्साहन:** खुदरा/थोक लेन-देन पर ₹1,600 तक कैशबैक। ❖ **क्षमता निर्माण:** उद्यमिता, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल कौशल और विपणन में प्रशिक्षण। ❖ **स्ट्रीट फूड सुरक्षा:** FSSAI के सहयोग से स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण। ❖ **स्वनिधि से समृद्धि:** मासिक **लोक कल्याण मेले** → भारत सरकार की योजनाओं तक पहुँच सुनिश्चित करना (समग्र कल्याण)।
महत्व	❖ विक्रेताओं के **समग्र विकास** और उनकी **सामाजिक सुरक्षा** को सुनिश्चित करता है। ❖ **व्यवसाय विस्तार** और **सतत विकास** में सहयोग करता है। ❖ शहरी गरीब (अनौपचारिक क्षेत्र) के **समावेशी आर्थिक विकास** और **डिजिटल सशक्तिकरण** को बढ़ावा देता है।

Topic 8 - प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY)

Syllabus	कल्याणकारी योजनाएँ एवं खाद्य सुरक्षा
संदर्भ	केंद्र सरकार PMGKAY की समीक्षा कर रही है ताकि अयोग्य लाभार्थियों को हटाया जाए और सब्सिडी लागत को कम किया जाए।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) क्या है?	❖ एक **खाद्य सुरक्षा कल्याण योजना**, जिसका उद्देश्य गरीब और कमजोर वर्गों को पर्याप्त खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करना है। ❖ **शुरुआत:** मार्च 2020 (COVID-19 राहत के रूप में) → **प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज** के तहत। ❖ **मंत्रालय:** उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ❖ **कानूनी आधार:** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 का पूरक ❖ **कवरेज:** 81.35 करोड़ लाभार्थी (75% ग्रामीण, 50% शहरी) ❖ **लक्षित लाभार्थी:** ➢ **अंत्योदय अन्न योजना (AAY):** 35 किग्रा/परिवार/माह ➢ **प्राथमिकता वाले परिवार (PHH):** 5 किग्रा/व्यक्ति/माह। ❖ **लागत: पूरी तरह नि:शुल्क**। खाद्य सब्सिडी, राज्य के भीतर परिवहन और डीलर का मार्जिन सहित **पूरी लागत केंद्र सरकार** वहन करती है। ❖ **क्रियान्वयन तंत्र: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली** (TPDS) के तहत मौजूदा **उचित मूल्य की दुकानों** (FPS) के नेटवर्क के माध्यम से वितरण।
उद्देश्य	❖ गरीबों के लिए **खाद्य एवं पोषण सुरक्षा** सुनिश्चित करना। ❖ कमजोर परिवारों पर **वित्तीय बोझ कम करना।** ❖ NFSA के तहत **समानता और समावेशन को बढ़ावा देना।**

अन्य विशेषताएँ	❖ **पोर्टेबिलिटी: वन नेशन वन राशन कार्ड** (ONORC) के माध्यम से सभी राज्यों में समान पात्रता। ❖ **वार्षिक अनाज आवंटन:** 56–58 मिलियन टन ❖ **जनवरी 2023 से:** PMGKAY को NFSA में विलय कर दिया गया → **पूरी तरह नि:शुल्क** (पहले नाममात्र मूल्य था); अब **पाँच वर्षों (2024–2029)** के लिए विस्तारित। ❖ **e-KYC और आधार सीडिंग:** पारदर्शिता के लिए (83% सत्यापित) ❖ **वित्त वर्ष 2026 खाद्य सब्सिडी:** ₹2.03 लाख करोड़ ❖ **सरकारी पुनः सत्यापन:** अपात्र उपयोगकर्ताओं को हटाने के लिए (जैसे – करदाता, वाहन मालिक, निष्क्रिय कार्ड)।

PMGKAY: महत्व और चुनौतियाँ

क्षेत्र	महत्व / प्रभाव (↑)	संबंधित चुनौतियाँ (↓)
खाद्य एवं पोषण सुरक्षा	• **महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा जाल**: बड़े पैमाने पर भुखमरी/कुपोषण को रोका (विशेष रूप से महामारी के दौरान)। • ≈81 करोड़ लाभार्थियों के लिए खाद्य/पोषण आवश्यकताओं को सुनिश्चित करता है। • **SDG 2 (शून्य भुखमरी)** के साथ संरेखित।	• **पोषण की कमी**: योजना मुख्यतः अनाज (चावल/गेहूँ) पर केंद्रित; पोषण सुरक्षा हेतु दालों, मिलेट्स, फोर्टिफाइड अनाजों का विविधीकरण आवश्यक। • **फोर्टिफिकेशन** की निरंतर आवश्यकता।
सामाजिक-आर्थिक	• **वित्तीय कठिनाई को कम करता है**: 'शून्य केंद्रीय निर्गम मूल्य (CIP)' के कारण गरीब परिवारों के लिए महत्वपूर्ण बचत। • **गरीबी में कमी**: नीति आयोग जैसी संस्थाओं द्वारा मान्यता कि इस योजना ने संकट के दौरान गरीबी और खाद्य असुरक्षा को सीमित किया।	• **निर्भरता की समस्या**: लंबे समय तक मुफ्त प्रावधान आत्मनिर्भरता की प्रेरणा को कम कर सकते हैं। • **बाज़ार विकृति**: अत्यधिक सब्सिडी वाली आपूर्ति खुले बाजार की कीमतों/कृषि क्षेत्र को प्रभावित कर सकती है। • **राजकोषीय बोझ**: लगभग ₹11.80 लाख करोड़ (5 वर्ष) का व्यय – बजटीय और राजकोषीय घाटे पर दबाव।
शासन एवं PDS	• **सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुदृढ़ीकरण**: दक्षता और पारदर्शिता में वृद्धि। • **ONORC**: प्रवासी मजदूरों को किसी भी FPS से राशन प्राप्त करने की सुविधा। • **तकनीकी एकीकरण**: डिजिटलीकरण और आधार सीडिंग से पारदर्शिता में सुधार।	• **समावेशन/बहिष्करण त्रुटियाँ:** अयोग्य लोगों को हटाने और नए पात्र लोगों को शामिल करने के लिए लाभार्थी सूची के निरंतर अद्यतन/पुनः सत्यापन की आवश्यकता।

Topic 9 - भारती पहल (BHARATI Initiative)

Syllabus	सरकारी योजनाएँ | कृषि | निर्यात
संदर्भ	**APEDA** ने **100 कृषि-खाद्य स्टार्टअप्स** को समर्थन देने और **2030 तक 50 बिलियन डॉलर** के **कृषि-खाद्य निर्यात** के लक्ष्य के लिए **BHARATI पहल** शुरू की।
BHARATI पहल क्या है?	❖ **BHARATI** = कृषि प्रौद्योगिकी, लचीलापन, उन्नति और निर्यात सक्षमता हेतु इनक्यूबेशन का भारत का केंद्र (हब)।

	❖ यह कृषि-खाद्य और कृषि-प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक स्टार्टअप-सपोर्ट और निर्यात-त्वरण प्लेटफ़ॉर्म है। ❖ **लॉन्च:** कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण **(APEDA)** (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत)। ➢ **समर्थन:**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI), स्टार्टअप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल के के साथ संरेखित।
उद्देश्य	❖ **100** कृषि-खाद्य और एग्री-टेक **स्टार्टअप्स** को सशक्त बनाना। ❖ वर्ष **2030 तक $50 बिलियन** कृषि-खाद्य निर्यात प्राप्त करना। ❖ उत्पादन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और लॉजिस्टिक्स में नवाचार को बढ़ावा देना।
मुख्य विशेषताएँ	❖ **स्टार्टअप समूह**: 100 स्टार्टअप्स (सितंबर 2025 से APEDA वेबसाइट के माध्यम से चयन)। ❖ **त्वरण कार्यक्रम**: 3-महीने का प्रशिक्षण – उत्पाद विकास, अनुपालन और निर्यात प्रक्रियाओं पर। ❖ **नवाचार क्षेत्र**: जीआई उत्पाद, जैविक उत्पाद, सुपरफूड्स, पशुधन और AYUSH उत्पाद। ❖ **तकनीक को अपनाना**: एआई-आधारित गुणवत्ता मूल्यांकन, ब्लॉकचेन ट्रेसबिलिटी, IoT आधारित कोल्ड चेन, एग्री-फिनटेक समाधान। ❖ **समस्या समाधान**: खराब होने की प्रवृत्ति, अपव्यय, लॉजिस्टिक्स, पैकेजिंग, गुणवत्ता आश्वासन। ❖ **जागरूकता अभियान**: स्टार्टअप्स और हितधारकों के लिए **राष्ट्रव्यापी आउटरीच**।
महत्व	❖ **आर्थिक**: भारत को वैश्विक कृषि-खाद्य निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करना ($50 बिलियन क्षमता को खोलना)। ❖ **नवाचार**: तकनीक-आधारित कृषि और स्थायित्व को प्रोत्साहन देना। ❖ **रोजगार**: खाद्य प्रसंस्करण, लॉजिस्टिक्स, पैकेजिंग और वैल्यू चेन क्षेत्रों में रोजगार सृजन।

History

Topic 1 - मेला पट्ट उत्सव (Mela Patt Festival)

Syllabus	इतिहास | कला एवं संस्कृति
संदर्भ	❖ **वार्षिक 3-दिवसीय मेला** पट्ट उत्सव **जम्मू-कश्मीर** के डोडा जिले में शुरू हुआ। ❖ इसे यूनेस्को **अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर** (Intangible Cultural Heritage) का दर्जा देने की माँग तेजी से बढ़ रही है।
उत्सव के बारे में	**उत्सव के बारे में** ❖ **देवता:** यह उत्सव **भद्रवाह घाटी** के अधिष्ठाता देवता भगवान **वासुकी नाग** को समर्पित है। ❖ **ऐतिहासिक उत्पत्ति:** ➢ इसकी शुरुआत **16वीं शताब्दी** में हुई। ➢ इसका संबंध मुग़ल **सम्राट अकबर** और भद्रवाह (भद्रकाशी) के **राजा नाग पाल** के बीच हुई भेंट से है। ❖ **समय: प्रतिवर्ष नाग पंचमी** को मनाया जाता है, जो **कैलाश यात्रा के 7 दिन बाद** आता है। ❖ **प्रकृति:** यह उत्सव समावेशी, सामुदायिक और सौहार्द्र पर आधारित उत्सव के रूप में जाना जाता है। **सांस्कृतिक विशेषताएँ** ❖ **डिक्को नृत्य:** सभी धर्मों के पुरुषों और महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य, जो शांति और एकता का प्रतीक है। ❖ **ढक्कू नृत्य: डोगरा समुदाय** का पारंपरिक नृत्य, जो भारतीय लोक परंपराओं में महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

Topic 2 - अपतानी जनजाति

Syllabus	इतिहास एवं संस्कृति | जनजातियाँ
संदर्भ	**अरुणाचल प्रदेश** की **जीरो घाटी** की महिलाएँ पारंपरिक चेहरे के टैटू और लकड़ी की नथ पहनने वाली अंतिम पीढ़ी हैं।
अपतानी जनजाति कौन हैं?	❖ अरुणाचल प्रदेश की एक स्वदेशी जनजातीय समूह; जिन्हें टन्व, अपा तानी या आपा भी कहा जाता है। ❖ अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान, पारिस्थितिकीय ज्ञान और पारंपरिक प्रथाओं के लिए प्रसिद्ध। ❖ मुख्य रूप से पूर्वी हिमालय की लोअर सुबनसिरी जिले की जीरो घाटी में निवास करते हैं।
अपतानी चेहरे के टैटू और नाक प्लग (नथ)	**इतिहास और उद्देश्य:** ❖ यह प्रथा जनजातीय हमलों/अपहरण के दौरान शुरू हुई थी ताकि महिलाओं को बाहरी लोगों के लिए कम आकर्षक बनाया जा सके। ❖ बाद में यह जनजातीय पहचान, सम्मान और गरिमा का प्रतीक बन गई। ❖ अपातानी जनजाति में यह एक विशिष्ट सौंदर्य मानक बन गया। **प्रथा और प्रक्रिया:** ❖ लगभग 10 वर्ष की आयु में टैटू बनवाया जाता था, जो बुजुर्ग महिलाओं द्वारा किया जाता है। ❖ **टिप्पेई डिज़ाइन:** माथे से नाक तक एक लंबी रेखा; ठुड्डी पर पाँच रेखाएँ। ❖ **नथ (यापिंग हुलो):** बड़ी लकड़ी की नथ, जिसे कीटाणुशोधन के बाद डाला जाता था।

	❖ यह पारिवारिक सुरक्षा, परंपरा और जनजातीय गर्व का प्रतीक था। **पतन:** ❖ सरकार ने 1970 के दशक की शुरुआत में इस प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया ताकि सामाजिक कलंक को कम किया जा सके और महिलाओं के रोजगार में सहायता मिल सके। ❖ आज **केवल बुजुर्ग महिलाएँ** ही टैटू और नथ धारण करती हैं, जो इस विरासत को जीवित रखे हुए हैं।

Topic 3 - वृंदावनी वस्त्र

Syllabus	इतिहास | कला एवं संस्कृति
संदर्भ	**ब्रिटिश म्यूजियम** 2027 में **वृंदावनी वस्त्र** (16वीं सदी का रेशमी टेपेस्ट्री) को **असम** में 18 महीने की प्रदर्शनी के लिए उधार देगा।

वृंदावनी वस्त्र के बारे में

विशेषता	विवरण
उत्पत्ति	• **16वीं शताब्दी** में **असम** में **श्रीमंत शंकरदेव** के मार्गदर्शन में बुना गया
आयोजक	• **कोच राजा** नर नारायण
सामग्री	• **रेशमी वस्त्र**, **लैम्पस तकनीक** से बुना गया → ताने और बाने की जटिल बुनाई (2 बुनकरों की आवश्यकता)
विषयवस्तु	• कृष्ण के **बाल्यकाल** और **दिव्य लीलाओं** (कृष्ण लीला, विष्णु के अवतार) का चित्रण, वृंदावन की **पौराणिक** आकृतियों के साथ
पाठ्य एकीकरण	• शंकरदेव के **नाटक कालियादमन** की पंक्तियाँ शामिल
धार्मिक भूमिका	• असमिया **वैष्णव धर्म** और भक्ति आंदोलन का केंद्रीय तत्व। • **शंकरदेव के वैष्णववाद में मूर्ति-पूजा हतोत्साहित** होने के कारण यह पवित्र कथा कहने का एक अनूठा माध्यम बना। • यह **कला**, **अध्यात्म** और **धार्मिक अनुष्ठान** का संगम है।
ऐतिहासिक यात्रा	• असम → तिब्बत → यूरोप → 1905 में ब्रिटिश संग्रहालय द्वारा अधिग्रहित।

Topic 4 - हड़प्पा लिपि का रहस्योद्घाटन

Syllabus	भारतीय इतिहास | प्राचीन इतिहास
संदर्भ	केंद्रीय **संस्कृति मंत्रालय** ने **हड़प्पा लिपि पर एक सम्मेलन** आयोजित किया (11–13 सितम्बर, नई दिल्ली), जिसका आयोजन **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र** (IGNCA) द्वारा किया गया।
हड़प्पा लिपि – एक रहस्य	❖ **खोज:** 1920 के दशक में, सर जॉन मार्शल की टीम द्वारा। ❖ **कालखंड:** 2600–1900 ईसा पूर्व, सिंधु घाटी सभ्यता (IVC)।

शिलालेखों की प्रकृति	❖ मुहरों, मिट्टी के बर्तनों, टेराकोटा टैबलेट्स, धातुओं पर मिलते हैं। ❖ **चिह्न:** चित्रलिपि + पशु/मानव आकृतियाँ। ❖ **लिखावट:** दाएँ से बाएँ (चिह्नों की पुनरावृत्ति से पुष्टि) ❖ **संक्षिप्त शिलालेख:** (औसतन 5 चिह्न) → लंबे ग्रंथ नहीं (सबसे लंबा लेख = 26 चिह्न)।
भाषावैज्ञानिक बहस	❖ **ब्राह्मी संबंध:** आरंभिक विद्वानों (अलेक्जेंडर कनिंघम) ने सुझाव दिया कि ब्राह्मी हड़प्पा लिपि से विकसित हुई। ❖ **पारपोला का मत:** ब्राह्मी अरामाइक से विकसित हुई, हड़प्पा से नहीं। ❖ **वर्तमान स्थिति:** कोई विद्वत्तापूर्ण सहमति नहीं → अब तक अपठित।
प्रतिस्पर्धी सिद्धांत	❖ **संस्कृत/वैदिक संबंध:** कुछ विद्वानों का मत है कि यह लिपि ऋग्वैदिक मंत्रों (धार्मिक ग्रंथों) को दर्शाती है। ❖ **द्रविड़ मूल:** गोंडी भाषा (प्रोटो-द्रविड़ियन) → 90% तक पढ़ने का दावा। ❖ **संताली संबंध:** पारपोला के शोध से प्रेरित; मुंडा भाषाओं से जोड़ने का प्रयास। ❖ **विद्वानों की चेतावनी:** द्विभाषी ग्रंथों की कमी + विशाल भौगोलिक विस्तार → एकल भाषा की संभावना कम।
शोध संबंधी चुनौतियाँ	❖ **द्विभाषी अभिलेखों का अभाव** (जैसे मिस्र की चित्रलिपि के लिए रोसेटा स्टोन) ❖ **भौगोलिक विस्तार:** गुजरात से पंजाब, अफगानिस्तान से हरियाणा तक → भाषा विविधता संभव। ❖ **छोटे अभिलेख** → भाषावैज्ञानिक विश्लेषण कठिन। ❖ **विशेषज्ञों का मत:** अब तक कोई विश्वसनीय सफलता नहीं; व्यवस्थित, अंतर्विषयक शोध की आवश्यकता।
व्याख्या की राजनीति	❖ **तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन:** विश्वसनीय पठन के लिए $1 मिलियन का इनाम → हड़प्पावासियों के द्रविड़ मूल को बढ़ावा। ❖ **विपरीत मत:** कुछ लोग हड़प्पा को वैदिक निरंतरता और सरस्वती नदी (घग्गर-हकरा) से जोड़ते हैं ❖ यह बहस द्रविड़ पहचान बनाम आर्य आगमन सिद्धांत से प्रभावित है।
नीतिशास्त्र/निबंध के लिए उद्धरण	"हड़प्पा लिपि को पढ़ना भारत के प्रथम नगरों की आवाज़ को खोलना है।" – द हिंदू, अगस्त 2025।

Topic 5 - आदि वाणी पहल (Adi Vaani Initiative)

Syllabus	इतिहास | कला एवं संस्कृति | सरकारी पहल
संदर्भ	**भील लोक कथाओं** की एक हिंदी ई-पुस्तिका जल्द ही **आदि वाणी ऐप/वेबसाइट** पर जारी की जाएगी, जो जाति, प्रेम, रंगमंच और सामाजिक न्याय की मौखिक परंपराओं को उजागर करती है।
आदि वाणी – जनजातीय भाषा मंच	❖ भारत का **पहला एआई-सक्षम जनजातीय भाषा अनुवादक**, जिसे **जनजातीय कार्य मंत्रालय** (MoTA) द्वारा 2024–25 में लॉन्च किया गया। ❖ **संलग्न संस्थान:** IIT दिल्ली (मुख्य), BITS पिलानी, IIIT हैदराबाद, IIIT नया रायपुर। ❖ **विकास: "जनजातीय गौरव वर्ष"** के अंतर्गत भारत की संकटग्रस्त जनजातीय भाषाओं का संरक्षण, डिजिटलीकरण और संवर्धन। ❖ **कार्य:** द्विदिश अनुवाद (जनजातीय ↔ हिंदी/अंग्रेज़ी) ❖ **समर्थित भाषाएँ:** गोंडी, भीली, मुंडारी, संथाली (जल्द ही कुई और गारो) ❖ **विशेषताएँ:** निःशुल्क, सस्ती नवाचार; एंड्रॉइड और iOS पर उपलब्ध; उपयोगकर्ता फीडबैक प्रणाली।
भील जनजाति – कौन हैं?	❖ भारत के सबसे प्राचीन जनजातीय समूहों में से एक; ऑस्ट्रालॉयड समूह (द्रविड़ मूल से जुड़ा) ❖ नाम की उत्पत्ति द्रविड़ शब्द **बिल्लू/विल्लू** से = धनुष → कुशल धनुर्धारियों के रूप में प्रसिद्ध।

	❖ **निवास क्षेत्र:** राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र; साथ ही बिहार, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, झारखंड में भी। ❖ **इतिहास और प्रतिरोध** ➢ **महाकाव्य संबंध:** शबरी (रामायण) और एकलव्य (महाभारत) से जुड़ाव। ➢ **मध्यकालीन काल:** राजपूतों, मुगलों और मराठों से गुरिल्ला युद्ध लड़े। ➢ **औपनिवेशिक काल:** 1871 में "अपराधी जनजाति" घोषित; बंधुआ मजदूरी और विस्थापन का सामना किया। ➢ **आंदोलन:** ■ **भगत आंदोलन (1883):** गोविंद गुरु → **मानगढ़ नरसंहार (1913)** ■ **एकी आंदोलन (1920):** मोतीलाल तेजावत।

Topic 6 - आत्म-सम्मान आंदोलन	
Syllabus	आधुनिक भारतीय इतिहास | सामाजिक सुधार आंदोलन
संदर्भ	वर्ष 2025 **आत्मसम्मान आंदोलन** (Self-Respect Movement) की **100वीं वर्षगांठ** को चिह्नित करता है, जिसे **पेरियार ई. वी. रामास्वामी** ने **1925** में **तमिलनाडु** में प्रारंभ किया था।
यह क्या है?	❖ यह **जाति व्यवस्था, पितृसत्ता और धार्मिक रूढ़िवादिता** के विरुद्ध एक **उग्र सामाजिक सुधार आंदोलन** था। ❖ इसने **कर्मकांड** और **पदानुक्रम** के बजाय **तार्किकता**, **समानता** और **गरिमा** को बढ़ावा दिया। ❖ इसकी शुरुआत **1925 में तमिल साप्ताहिक 'कुडी अरसु'** के माध्यम से हुई।
नेता और प्रभाव	❖ **संस्थापक:** पेरियार ई.वी. रामासामी ❖ प्रेरणा स्रोत: **अयोथी थास, ज्योतिबा फुले और डॉ. अंबेडकर** ❖ प्रारंभिक समर्थन: **जस्टिस पार्टी** द्वारा, बाद में यह आंदोलन **द्रविड़र कज़गम** में परिवर्तित हुआ।
उद्देश्य	❖ **जातिगत पदानुक्रम और ब्राह्मणवादी प्रभुत्व** को समाप्त करना। ❖ **सामाजिक समानता, स्वाभिमान और लैंगिक न्याय** को बढ़ावा देना। ❖ सुधार को केवल अभिजात वर्ग तक सीमित न रखकर **सामान्य गैर-ब्राह्मण जनसमूह** तक पहुँचाना।
मुख्य विशेषताएँ	❖ **आत्म-सम्मान विवाह:** बिना पुजारी और बिना जातिगत अनुष्ठानों के। ❖ **महिला अधिकार:** विधवा पुनर्विवाह, तलाक, संपत्ति का अधिकार, गर्भपात का समर्थन। ❖ **प्रोत्साहित किया गया:** अंतरजातीय विवाह, लैंगिक समानता। ❖ धर्म, अंधविश्वास और पितृसत्ता की आलोचना। ❖ **कांग्रेस** के **धर्म-आधारित राष्ट्रवाद** और **गांधीवादी रूढ़िवादिता** का विरोध। ❖ **द्रविड़ पहचान और तर्कवादी विचारधारा** का समर्थन।

Topic 4 - सरदार वल्लभभाई पटेल	
Syllabus	आधुनिक भारतीय इतिहास | प्रमुख व्यक्तित्व
संदर्भ	भारत सरकार ने भारत के लौह पुरुष **सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती** मनाने के लिए **प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति** गठित की है।
सरदार वल्लभभाई पटेल कौन थे?	❖ स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता, भारत के प्रथम उपप्रधानमंत्री एवं गृहमंत्री। ❖ रियासतों के एकीकरण के लिए इन्हें **भारत के लौह पुरुष** की संज्ञा दी गई है। ❖ **पृष्ठभूमि** ➢ **खेड़ा सत्याग्रह (1918)** के दौरान महात्मा गांधी से प्रेरित हुए तथा भारत के स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े। ➢ **बारदौली सत्याग्रह (1928)** में जन नेता के रूप में उभरे → इन्हें **"सरदार"** की उपाधि मिली।
स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका	❖ खेड़ा और बारदौली सत्याग्रह का आयोजन → किसानों को संगठित किया। ❖ असहयोग आंदोलन (1920), सविनय अवज्ञा आंदोलन (1930), भारत छोड़ो आंदोलन (1942) में सक्रिय भागीदारी → कई बार जेल गए। ❖ गांधीजी के रचनात्मक कार्यक्रमों में कार्य किया। ❖ 1931 कराची कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे → गांधी-इरविन समझौते का समर्थन किया। पूर्ण स्वराज की माँग का समर्थन किया।
स्वतंत्रता के बाद योगदान (राष्ट्र-निर्माण)	❖ **संविधान सभा में भूमिका**: **मौलिक अधिकार**, **अल्पसंख्यक** और **प्रांतीय संविधान** पर समितियों की अध्यक्षता की। ❖ 562 देशी रियासतों का एकीकरण → 26 प्रशासनिक इकाइयों में समाहित किया → कूटनीति और रणनीतिक दृढ़ता (गाजर-छड़ी का सिद्धांत) से शांतिपूर्ण एकता सुनिश्चित की। ❖ विभाजन के दौरान हिंसा और शरणार्थी पुनर्वास का प्रबंधन किया। ❖ शासन व्यवस्था को सुदृढ़ किया → भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) की स्थापना की। ❖ कानून-व्यवस्था सुनिश्चित की और एकीकृत भारत की नींव रखी।

Topic 5 - विठ्ठलभाई पटेल	
Syllabus	आधुनिक भारत का इतिहास | प्रमुख व्यक्तित्व
संदर्भ	❖ **100वीं वर्षगांठ** के उपलक्ष्य में अगस्त 2025 में **दिल्ली** में **अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन** आयोजित किया गया। ❖ दिल्ली विधानसभा ने **"विठ्ठलभाई पटेल: भारत के संविधान और विधायी संस्थाओं के निर्माण में उनकी भूमिका"** पर दो दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया।
विठ्ठलभाई पटेल के बारे में	❖ **पेशा:** वकील, विधायक, स्वतंत्रता सेनानी ❖ **राजनीतिक प्रवेश:** वल्लभभाई पटेल से पहले राजनीति में सक्रिय हुए; बॉम्बे विधान परिषद के लिए निर्वाचित हुए। ➢ वल्लभभाई ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्वशासन और विधायी सक्रियता का समर्थन किया। ❖ **कांग्रेस में भूमिका:** गांधीजी के तरीकों से मतभेद के बावजूद कांग्रेस में शामिल हुए। ❖ **स्वराज पार्टी (1923):** असहयोग आंदोलन की वापसी (1922) के बाद **सी.आर. दास** और **मोतीलाल नेहरू** के साथ सह-स्थापना।

	➢ **उद्देश्य** → परिषदों में प्रवेश कर ब्रिटिश शासन को चुनौती देना। ➢ गांधीजी द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का विरोध किया।
प्रमुख योगदान 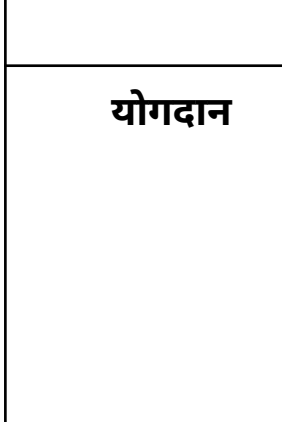	❖ **विधायी करियर:** ➢ केंद्रीय विधान सभा के लिए निर्वाचित (1923)। ➢ **1925 में पहले भारतीय अध्यक्ष/स्पीकर** बने। ➢ भगत सिंह–बटुकेश्वर दत्त बमकांड (1929) के दौरान अध्यक्षता की। ❖ **संसदीय सुधार:** ➢ विधानसभा संचालन में **वायसराय पर स्पीकर की प्रधानता** को स्थापित किया। ➢ विधानसभा की **सुरक्षा (वॉर्ड एंड वॉच प्रणाली)** का नियंत्रण प्राप्त किया → यह स्वायत्तता 2024 तक बनी रही। ➢ स्वतंत्र **संसद सचिवालय** और **विधान सभा विभाग** की स्थापना (1928–29) → भारत की विधायी स्वतंत्रता की नींव रखी।

Topic 6 - डॉ. भूपेन हजारिका

Syllabus	आधुनिक भारत का इतिहास | प्रमुख व्यक्तित्व
संदर्भ	असम ने भूपेन हजारिका के **जन्म शताब्दी वर्ष (1926–2026)** के उपलक्ष्य में राज्यव्यापी श्रद्धांजलियों और सांस्कृतिक आयोजनों के साथ वर्षभर चलने वाले समारोहों की शुरुआत की है।
जीवन & पृष्ठभूमि	❖ **उपनाम:** सुधाकंठ (अमृत स्वर वाले), ब्रह्मपुत्र के गायक कवि। ❖ **प्रारंभिक प्रतिभा:** 10 वर्ष की आयु में पहला गीत रिकॉर्ड किया (आकाशवाणी कोलकाता)। ❖ **प्रेरणा स्रोत:** पॉल रॉबसन और वैश्विक नागरिक अधिकार आंदोलनों से प्रभावित।
योगदान	❖ **संगीत एवं गीत:** मनुहे मनुहार बाबे, मॉय एती जाजाबर, बिस्तीर्ण परोरे जैसे गीतों में लोकधुनों को न्याय, मानवता और सौहार्द जैसे सार्वभौमिक विषयों से जोड़ा। ❖ **सिनेमा:** असमिया फिल्मों का निर्देशन (शकुंतला, प्रतिध्वनि, लोटी घोटी, एरा बाटर सुर, चामेली मेमसाब), हिंदी/बंगाली फिल्मों के लिए संगीत रचना (रुदाली, दमन, साज़)। ❖ **सामाजिक स्वर:** कला के माध्यम से गरीबी, असमानता, जाति और हाशिए पर पड़े वर्गों की समस्याओं को उजागर किया। ❖ **सार्वजनिक जीवन:** अध्यक्ष, संगीत नाटक अकादमी; 1967 में असम से विधायक निर्वाचित।
महत्त्व	❖ जनजातीय अधिकारों, भाषायी विविधता और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के पक्षधर। ❖ **सांस्कृतिक प्रतीक:** असमिया पहचान को नया रूप दिया, पूर्वोत्तर को भारतीय मुख्यधारा से जोड़ा। ❖ **वैश्विक आवाज़:** कला के माध्यम से बंधुत्व और समानता को प्रचारित किया, जिसकी गूंज भारत से परे भी हुई। ❖ **पुरस्कार:** दादासाहेब फाल्के पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, और भारत रत्न (2019, मरणोपरांत)।
नीतिशास्त्र/निबंध के लिए उद्धरण	"मनुष मनुषर जन्नो" – मनुष्य मानवता के लिए होता है। → सहानुभूति और नैतिक नागरिकता के लिए एक कालजयी आह्वान।

Topic 7 - डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन	
Syllabus	आधुनिक भारतीय इतिहास | प्रमुख व्यक्तित्व
संदर्भ	**5 सितंबर** 2025 को उनकी **जयंती** पर पुष्पांजलि अर्पित की गई, जिसे **शिक्षक दिवस** के रूप में भी मनाया जाता है।
वे कौन थे?	❖ प्रख्यात दार्शनिक, विद्वान, शिक्षाविद्, और राजनेता। ❖ भारत के **प्रथम** उपराष्ट्रपति (1952-1962) और **दूसरे** राष्ट्रपति (1962-1967)। ❖ मैसूर और कलकत्ता विश्वविद्यालयों में पढ़ाया; बाद में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में (स्पाल्डिंग प्रोफेसर ऑफ ईस्टर्न रिलीजन एंड एथिक्स)। ❖ उन्हें **भारतीय दर्शन के वैश्विक व्याख्याकार** के रूप में मान्यता प्राप्त है।
दार्शनिक एवं बौद्धिक योगदान	❖ **पूर्व और पश्चिम का समन्वय**: ➢ **अद्वैत वेदांत** को **पाश्चात्य तर्कवाद** के साथ एकीकृत किया। ➢ हिंदू दर्शन को **तार्किक और नैतिक प्रणाली** के रूप में प्रस्तुत किया। ❖ **धर्म की सार्वभौमिकता**: ➢ सभी धर्म एक ही सत्य की ओर जाने वाले **विभिन्न मार्ग** हैं। ➢ **सर्वधर्म सम्मान**, **अंतरधार्मिक सद्भाव**, और **वैश्विक आध्यात्मिक एकता** का समर्थन। ❖ **आध्यात्मिक मानवतावाद**: ➢ मानव जीवन के **नैतिक और आध्यात्मिक आयामों** पर बल। ➢ सच्ची शिक्षा का उद्देश्य: **मूल्य, नैतिकता और चरित्र** का विकास। ❖ **एकीकृत/समग्र मानववाद**: ➢ **आध्यात्मिक और भौतिक जीवन** के संतुलन की वकालत। ➢ मानव गरिमा की उत्पत्ति **प्रत्येक व्यक्ति के भीतर की दिव्यता** से होती है।
शिक्षा दर्शन एवं संस्थागत विरासत	❖ **शिक्षा का उद्देश्य: "मानव निर्माण"** – बौद्धिकता, चरित्र, नैतिक साहस, आलोचनात्मक चिंतन और सहानुभूति का विकास। शिक्षा केवल तकनीकी कौशल तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि मूल्यों और ज्ञान का समन्वय करना चाहिए। ❖ **शिक्षक की भूमिका:** नैतिक मार्गदर्शक, राष्ट्र निर्माता; उन्हें **सम्मान और उचित दर्जा** मिलना चाहिए। ❖ **पाठ्यक्रम दृष्टिकोण:** समग्र – आध्यात्मिक, नैतिक, सौंदर्यबोध और वैज्ञानिक शिक्षा का संतुलन। ❖ **संस्थागत योगदान: UGC** (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) के **प्रथम अध्यक्ष** – उच्च शिक्षा नीति/मानकों को तैयार करने में मदद की। उनके कार्य ने विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता और गुणवत्ता को आकार दिया।
राजनेता के रूप में योगदान	❖ **सोवियत संघ में राजदूत (1949–52):** शीत युद्ध कूटनीति में कुशलता, स्टालिन के साथ संबंध स्थापित किए। ❖ **उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति:** संवैधानिक मर्यादा को बनाए रखा; भारत को महत्वपूर्ण दौर (1962 भारत-चीन, 1965 भारत-पाक युद्ध) में मार्गदर्शन प्रदान किया। एकता, धर्मनिरपेक्षता, नैतिक शासन पर जोर दिया।

Science and Technology

Topic 1 - 2D सामग्री (2D Materials)

Syllabus	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
संदर्भ	**नीति आयोग** के फ्रंटियर टेक हब और भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बेंगलुरु ने **फ्यूचर फ्रंट क्वार्टरली इनसाइट्स 2025** के माध्यम से भारत की प्रौद्योगिकी रूपरेखा में 2डी सामग्रियों के महत्व को रेखांकित किया है।
2D सामग्री क्या हैं?	❖ **परिभाषा:** परमाणुविक रूप से पतली, परतदार क्रिस्टल संरचनाएँ जो एक या कुछ परमाणु परतों से बनी होती हैं, जहाँ परत के भीतर परमाणुओं के बीच मजबूत सहसंयोजक बंधन होता है, लेकिन परतों के बीच बंधन कमजोर होता है (वान डर वाल्स बलों द्वारा)। **उदाहरण:** ग्राफीन, मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड (MoS_2), टंगस्टन डाइसेलेनाइड (WS_2) ❖ **संरचना:** परमाणु स्तर पर सपाट चादर जैसी संरचना; इलेक्ट्रॉन इनमें स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं → त्वरित और कम ऊर्जा उपभोग करने वाले उपकरण संभव। ❖ **खोज: ग्राफीन** को 2004 में पृथक किया गया; इसके लिए **2010 में नोबेल पुरस्कार** प्रदान किया गया। ❖ **प्रकार:** ➢ ग्राफीन (कार्बन) ➢ TMDCs (ट्रांज़िशन मेटल डाइकाल्कोजेनाइड्स) ➢ हेक्सागोनल बोरॉन नाइट्राइड (h-BN) ➢ "ज़ेन्स" (Xenes) जैसे सिलिसीन (silicene)।
प्रमुख गुणधर्म	❖ **उच्च चालकता:** विद्युत और ऊष्मा का संचालन तांबे से बेहतर। ❖ **यांत्रिक मजबूती:** स्टील से ~200 गुना मजबूत; लचीला और खिंचाव योग्य। ❖ **क्वांटम प्रभाव:** स्पिन-वैली युग्मन, ट्यूनेबल बैंड गैप्स, क्यूबिट होस्टिंग। ❖ **बहुउपयोगी:** पारदर्शी, मोड़ने योग्य, अगली पीढ़ी की इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उपयुक्त। ❖ **परत नियंत्रण:** परतों के भीतर मजबूत बंधन, परतों के बीच कमजोर → आसानी से अलग की जा सकती हैं (exfoliation)।
अनुप्रयोग	❖ **सेमीकंडक्टर:** 2D ट्रांजिस्टर जो सिलिकॉन की सीमाओं को तोड़ते हैं; **मूर के नियम** को आगे बढ़ाने में सहायक। ❖ **क्वांटम और न्यूरोमोर्फिक कंप्यूटिंग:** AI हार्डवेयर और क्यूबिट्स के लिए **परमाणु-पतले मेमरिस्टर**। ❖ **ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स:** अल्ट्रा-पतले फोटो डिटेक्टर, एलईडी और सौर सेल। ❖ **औद्योगिक और थोक उपयोग:** ग्राफीन कॉम्पोज़िट्स – एयरोस्पेस, बैटरी, जल शोधन और ईवी सुपरकैपेसिटर में उपयोग।

Topic 2 - विक्रम 32-बिट प्रोसेसर (VIKRAM3201)	
Syllabus	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
संदर्भ	प्रधानमंत्री ने **सेमिकॉन इंडिया 2025** में भारत का **पहला स्वदेशी रूप से विकसित माइक्रोप्रोसेसर** - **'विक्रम 32-बिट प्रोसेसर (VIKRAM3201)'** का अनावरण किया, जो सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
यह क्या है?	❖ एक **32-बिट स्वदेशी** रूप से डिज़ाइन किया गया **प्रोसेसर** — भारत का **पहला मेड-इन-इंडिया सेमीकंडक्टर चिप**। ❖ अंतरिक्ष, रक्षा, एयरोस्पेस, ऑटोमोबाइल और औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए निर्मित। ❖ कठोर वातावरण (जैसे अंतरिक्ष मिशन) को सहन करने में सक्षम। ❖ **मिशन लिंक:** PSLV-C60 के **POEM-4 मॉड्यूल** में सफलतापूर्वक परीक्षण। ❖ **सहायक चिप: KALPANA3201** (32-बिट) → उपग्रह अनुप्रयोगों और ओपन-सोर्स टूलचेन संगतता के लिए विकसित। ❖ **Developed by** ➢ **इसरो** के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और **सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला (SCL), मोहाली** द्वारा **180 nm CMOS प्रक्रिया तकनीक** से निर्मित। ➢ **इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन** (ISM), 2021 के अंतर्गत।
उद्देश्य	❖ आयातित चिप्स पर निर्भरता कम करना। ❖ महत्वपूर्ण तकनीकों में सामरिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। ❖ एयरोस्पेस, रक्षा और उच्च-विश्वसनीयता वाली ऊर्जा प्रणालियों में अनुप्रयोगों का समर्थन करना।
महत्व	❖ सामरिक: वैश्विक चिप आपूर्ति श्रृंखला संकट के बीच भारत की तकनीकी संप्रभुता को मजबूत करता है। ❖ आर्थिक: भारत को सेमीकंडक्टर हब बनाने के दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है (₹1.6 लाख करोड़ की परियोजनाएँ स्वीकृत)। ❖ प्रतीकात्मक: स्वदेशी प्रोसेसर विकास में भारत के प्रवेश को चिह्नित करता है।

Topic 3 - ब्लड मून (Blood Moon)	
Syllabus	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी | खगोलशास्त्र
संदर्भ	7 सितंबर 2025 को पूर्ण चंद्र ग्रहण की वजह से भारत में ब्लड मून देखा गया।
ब्लड मून क्या है?	❖ यह एक **पूर्ण चंद्रग्रहण** होता है, जिसमें चंद्रमा सफेद के बजाय **लाल-तांबे के रंग** में दिखाई देता है। ❖ यह एक **पूर्णतः प्राकृतिक और पूर्वानुमेय खगोलीय घटना** है।
यह कैसे घटित होता है?	❖ जब **पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच** आ जाती है और सूर्य की सीधी रोशनी को चंद्रमा तक पहुँचने से रोक देती है। ❖ पृथ्वी का वायुमंडल सूर्य की रोशनी को **मोड़ता और प्रकीर्णित** करता है, जिससे कुछ प्रकाश चंद्रमा तक पहुँचता है। ❖ नीला प्रकाश **प्रकीर्णित** हो जाता है जबकि लाल प्रकाश वायुमंडल से **अपवर्तित** होकर चंद्रमा पर पड़ता है → इस कारण चंद्रमा लाल दिखाई देता है। ❖ यह प्रक्रिया **रेले प्रकीर्णन (Rayleigh Scattering)** कहलाती है – वही प्रक्रिया जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है।

विशेषताएँ	❖ उन क्षेत्रों में दिखाई देता है जहाँ ग्रहण के समय चंद्रमा क्षितिज के ऊपर होता है। ❖ **अवधि:** ग्रहण के समय के अनुसार **कई घंटे** तक रह सकता है। ❖ यह पृथ्वी के **वायुमंडलीय संघटन** के बारे में संकेत प्रदान करता है।

Topic 4 - राष्ट्रीय बायोफाउंड्री नेटवर्क

Syllabus	विज्ञान और प्रौद्योगिकी | जैव प्रौद्योगिकी
संदर्भ	❖ भारत ने **बायोई3 नीति** (अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, रोजगार) के तहत **2025** में अपना **पहला राष्ट्रीय बायोफाउंड्री नेटवर्क** लॉन्च किया। ❖ **लक्ष्य**: स्वदेशी बायोमैन्युफैक्चरिंग क्षमता को मजबूत करना और **2030 तक $300 अरब** की जैव-अर्थव्यवस्था का लक्ष्य प्राप्त करना।
राष्ट्रीय बायोफाउंड्री नेटवर्क के बारे में	❖ **क्या है**: 6 प्रमुख संस्थानों का एक **सहयोगात्मक मंच**। ❖ **नोडल मंत्रालय**: जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ❖ **उद्देश्य और लक्ष्य** ➢ स्वदेशी **जैव-उत्पादन क्षमता** को बढ़ावा देना। ➢ **बायोई3 लक्ष्यों** (अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, रोजगार) को प्राप्त करना। ➢ प्रयोगशाला अनुसंधान को **बाज़ार-उन्मुख उत्पादों** में परिवर्तित करना। ➢ स्टार्टअप्स, युवा नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करना। ➢ भारत को सतत जैव-प्रौद्योगिकी में एक **वैश्विक केंद्र** के रूप में स्थापित करना।
बायोफाउंड्री क्या है?	❖ एक **उच्च तकनीकी सुविधा** जहाँ जैव-उत्पादों का डिज़ाइन, प्रोटोटाइप, परीक्षण और स्केलिंग किया जाता है। ❖ इसमें **सिंथेटिक बायोलॉजी, जीन एडिटिंग, और AI-आधारित जैव-उत्पादन** का उपयोग होता है। ❖ जैव-प्रौद्योगिकी में अनुसंधान से ले कर बाजार तक की प्रक्रिया को सक्षम बनाता है।
मुख्य विशेषताएँ	❖ **एकीकृत नेटवर्क:** 6 प्रमुख जैव-प्रौद्योगिकी संस्थानों का **राष्ट्रीय सहयोग मंच** ❖ **एंड-टू-एंड सुविधा:** डिज़ाइन → प्रोटोटाइप → परीक्षण → स्केल-अप। ❖ **वैश्विक साझेदारी:** अंतरराष्ट्रीय बायोफाउंड्री नेटवर्क्स के साथ सहयोग। ❖ **रोजगार और स्टार्टअप:** रोजगार सृजन + इनक्यूबेशन समर्थन। ❖ **सततता:** जलवायु सहनशीलता,, अपशिष्ट में कमी, चक्रीय जैव-अर्थव्यवस्था। ❖ **ओपन एक्सेस:** अकादमिक, उद्योग और स्टार्टअप्स के लिए साझा अवसंरचना।
बायोई3 चैलेंज (युवाओं हेतु)	❖ **थीम**: "डिज़ाइन माइक्रोब्स, मॉलिक्यूल्स एंड मोर।" ❖ **पात्रता**: स्कूल (कक्षा 6–12), विश्वविद्यालय छात्र, शोधकर्ता एवं स्टार्टअप्स। ❖ **पुरस्कार:** ➢ **₹1 लाख** प्रत्येक **10 मासिक** विजेताओं को। ➢ **100 नवप्रवर्तकों** को BIRAC द्वारा **₹25 लाख** तक का **फंडिंग समर्थन**।
नीतिशास्त्र/निबंध के लिए उद्धरण	"जैव प्रौद्योगिकी को प्रयोगशाला (लैब) और धरती (भूमि - लोगों) दोनों की सेवा करनी चाहिए" – **बायोई3 विज़न** से प्रेरित।

Topic 5 - उच्च-प्रदर्शन जैव-विनिर्माण मंच (High-Performance Biomanufacturing Platforms)	
Syllabus	विज्ञान और प्रौद्योगिकी | जैव प्रौद्योगिकी
संदर्भ	**जैव प्रौद्योगिकी विभाग** (DBT) और **BIRAC** (जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद) ने नई दिल्ली में BioE3 नीति के तहत उच्च-प्रदर्शन जैव-विनिर्माण मंच लॉन्च किए।
यह क्या है?	❖ उन्नत **बायो-फाउंड्रीज़** और **जैव-विनिर्माण हब** का राष्ट्रीय नेटवर्क। ❖ प्रयोगशाला से उत्पादन तक **जैव-आधारित नवाचारों** को स्केल करने के लिए **उपकरण, तकनीक और आधारभूत संरचना** प्रदान करता है। ❖ **लॉन्च:** विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, जितेंद्र सिंह द्वारा। ❖ **नीतिगत ढांचा:** BioE3 नीति का हिस्सा – पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी।
उद्देश्य	❖ जैव-विनिर्माण को तेज करना और आयात निर्भरता को कम करना। ❖ **हरित विकास** और **2047 तक बहु-ट्रिलियन डॉलर जैव-अर्थव्यवस्था** को बढ़ावा देना। ❖ स्टार्टअप्स, MSMEs, शिक्षाविदों और उद्योग को **जैव प्रौद्योगिकी नवाचार** में समर्थन देना।
मुख्य विशेषताएँ	❖ **21 बायो-एनेबलर्स** – प्रमुख फोकस क्षेत्र: ➢ माइक्रोबियल स्ट्रेन्स और स्मार्ट प्रोटीन ➢ प्रोबायोटिक्स और जैव-रसायन ➢ सेल थेरेपी और mRNA आधारित दवाएँ ➢ समुद्री जैव नवाचार और जैव ईंधन।
महत्व	❖ **आर्थिक:** भारत → वैश्विक जैव-अर्थव्यवस्था में अग्रणी (वैश्विक क्षमता का 1/5 हिस्सा)। ❖ **रणनीतिक:** आयात में कटौती, जैव प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा। ❖ **सामाजिक:** युवा-नेतृत्व वाले नवाचार, रोजगार सृजन और समावेशी विकास को प्रोत्साहन → विकसित भारत @2047 की दिशा में योगदान। ❖ **आत्मनिर्भर भारत और जलवायु प्रतिबद्धताओं** से जुड़ा हुआ। ❖ **क्षमता, रोजगार और नवाचार** को बढ़ावा देता है।

Topic 6 - एस्चेरिचिया कोलाई (E. coli)	
Syllabus	विज्ञान | स्वास्थ्य
संदर्भ	❖ **बायोटेक नवाचार:** शोधकर्ताओं ने E. coli को **आनुवंशिक रूप से संशोधित** कर **स्व-चालित रासायनिक सेंसर** (self-powered chemical sensors) में बदल दिया है, जो सीधे इलेक्ट्रॉनिक्स से इंटरफ़ेस कर सकता है। ❖ **आउटब्रेक अलर्ट: अमेरिका** में **फास्ट फूड चेन** (जैसे मैकडोनाल्ड्स) से जुड़ा E. coli संक्रमण सामने आया, जिसके चलते कुछ वस्तुओं को हटाना पड़ा।
ई. कोलाई के बारे में	❖ एक छड़-आकार का जीवाणु, जो **एंटरोबैक्टीरिएसी (Enterobacteriaceae) परिवार** से संबंधित है। ❖ मनुष्यों एवं पशुओं की आंतों में पाया जाता है। 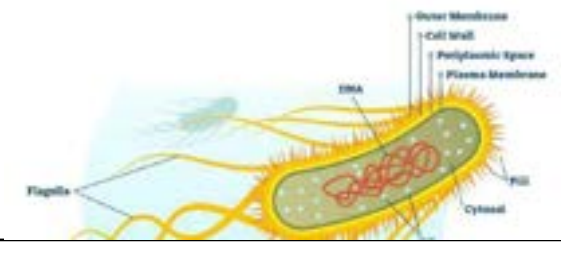

	❖ अधिकांश स्ट्रेन हानिरहित/लाभकारी, लेकिन कुछ रोग उत्पन्न करते हैं। ❖ E. coli **जल प्रदूषण** का एक **प्रमुख सूचक** है।
बीमारियाँ और संचरण	❖ हानिकारक स्ट्रेन → डायरिया (दस्त), मूत्र पथ संक्रमण (UTI), निमोनिया, श्वसन रोग पैदा करती हैं। ❖ **प्रसार/संक्रमण** → दूषित भोजन, पानी या मल-संपर्क के माध्यम से फैलता है।
यह आपको बीमार कैसे बनाता है	❖ हानिकारक स्ट्रेन **शिगा टॉक्सिन** उत्पन्न करते हैं → आंत की परत को क्षति पहुँचती है → डायरिया होता है। ❖ इन्हें **STEC (Shiga toxin-producing E. coli)** कहा जाता है। ❖ गंभीर मामलों में → **हैमोलिटिक यूरीमिक सिंड्रोम (HUS)** → किडनी विफलता का कारण बन सकता है।
उपचार	❖ अधिकांश **संक्रमण स्वयं ठीक** हो जाते हैं (बिना उपचार के समाप्त)। ❖ सरल रोकथाम: भोजन को अच्छी तरह पकाएं, हाथ धोएं, पानी को स्वच्छ करें, कच्चे/दूषित खाद्य पदार्थों से बचें। ❖ बीमारी के दौरान हाइड्रेशन अत्यंत आवश्यक है।

Topic 7 - CEREBO – स्वदेशी मस्तिष्क उपकरण

Syllabus	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी | स्वास्थ्य
संदर्भ	❖ **CEREBO**, हाथ से पकड़ने योग्य (hand-held) एक **निदान उपकरण**, जो 1 मिनट के भीतर **ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी** (TBI) का पता लगा सकता है। ❖ भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद **(ICMR)** + अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान **(AIIMS) भोपाल** + **NIMHANS** + **बायोस्कैन रिसर्च** द्वारा संयुक्त रूप से विकसित।
CEREBO क्या है?	❖ **पोर्टेबल**, **गैर-आक्रामक** (non-invasive), **विकिरण-मुक्त** मस्तिष्क चोट डिटेक्टर। ❖ **निकट-अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी** और **मशीन लर्निंग** तकनीक का उपयोग करता है। ❖ कम लागत वाला, आसानी से उपयोग योग्य, और **रंग-कोडित परिणाम** देने वाला उपकरण।
विशेषताएँ और उपयोग	❖ **1 मिनट से कम समय में** मस्तिष्क में रक्तस्राव और सूजन (Edema) का पता लगाता है। ❖ शिशुओं और गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षित। ❖ एम्बुलेंस, ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र, ट्रॉमा सेंटर, आपदा क्षेत्रों में **पैरामेडिक्स** या **अप्रशिक्षित स्टाफ** द्वारा उपयोग योग्य। ❖ **मल्टी-सेंटर ट्रायल्स** द्वारा सत्यापित; **आपातकालीन और सैन्य उपयोग** के लिए स्वीकृत।
महत्व	❖ **ग्रामीण** और **वंचित क्षेत्रों** में नैदानिक अंतर को पाटता है। ❖ **प्रारंभिक पहचान और प्राथमिकता निर्धारण** में मदद → मृत्यु दर और दीर्घकालिक जटिलताओं को कम करता है। ❖ महँगे CT/MRI सेटअप पर निर्भरता को कम करता है। ❖ आघात चिकित्सा (Trauma Medicine) के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अपनाए जाने की क्षमता रखता है।
ट्रॉमैटिक ब्रेन इंजरी (TBI)	❖ **परिभाषा:** सिर पर चोट के कारण मस्तिष्क की कार्यप्रणाली में व्यवधान। ❖ **कारण:** सड़क दुर्घटनाएँ (~60%), गिरना (20–25%), हिंसा (~10%)। ❖ **परिणाम**: ➢ **तत्काल:** बेहोशी, दौरे, भ्रम

	➢ **जटिलताएँ:** रक्तस्राव, सूजन, कोमा ➢ **दीर्घकालिक:** स्मृति हानि, अवसाद, संज्ञानात्मक गिरावट, न्यूरोडीजेनेरेटिव रोगों का बढ़ता जोखिम। ❖ **छिपा हुआ जोखिम:** हल्की TBI अक्सर निदान नहीं होती → समय के साथ बिगड़ती है।

Topic 8 - बहु-चरणीय मलेरिया वैक्सीन – एडफाल्सीवैक्स (AdFalciVax)	
Syllabus	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी | स्वास्थ्य
संदर्भ	भारत सरकार ने पांच भारतीय कंपनियों को **एडफाल्सीवैक्स** – भारत की **पहली** स्वदेशी **मल्टी-स्टेज मलेरिया वैक्सीन** – का निर्माण और व्यावसायीकरण करने के लिए लाइसेंस प्रदान किए है।
एडफाल्सीवैक्स (AdFalciVax) क्या है?	❖ भारत का पहला पुनः संयोजित (recombinant) काइमेरिक बहु-चरणीय मलेरिया वैक्सीन। ❖ **लक्ष्य:** प्लास्मोडियम फाल्सीपेरम (Plasmodium falciparum) – सबसे घातक मलेरिया परजीवी को लक्षित करता है। ❖ **एंटीजन डिज़ाइन:** पूर्ण लंबाई PfCSP + Pfs230 और Pfs48/45 का संलयन → व्यापक प्रतिरक्षा। ❖ **होस्ट सिस्टम:** लैक्टोकॉकस लैक्टिस (Lactococcus lactis) नामक सुरक्षित बैक्टीरिया का उपयोग करके उत्पादित। ❖ **विकासकर्ता:** ICMR–RMRC (भुवनेश्वर) द्वारा, ICMR–NIMR और राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान (NII), नई दिल्ली के सहयोग से।
उद्देश्य	❖ मलेरिया **संक्रमण** और **प्रसार** को रोकना। ❖ सामुदायिक प्रसार को कम करना → **मलेरिया उन्मूलन लक्ष्य 2030** को समर्थन देना।
मुख्य विशेषताएँ	❖ परजीवी के रक्तप्रवाह में प्रवेश करने से पहले ही प्रभावी। ❖ सुलभ, विस्तार योग्य, स्थिर → कमरे के तापमान पर 9+ महीने तक प्रभावी। ❖ बहु-चरणीय क्रिया → संक्रमण और प्रसारण, दोनों चरणों में सुरक्षा। ❖ पूर्व-क्लिनिकल परीक्षणों में प्रमाणित।
महत्त्व	❖ भारत = वैश्विक मलेरिया मामलों का 1.4%; दक्षिण-पूर्व एशिया के कुल बोझ का 66%। ❖ **आत्मनिर्भर भारत** को समर्थन: आयातित वैक्सीन पर निर्भरता घटेगी; स्वदेशी R&D को बढ़ावा। ❖ स्वास्थ्य सुरक्षा एवं उन्मूलन लक्ष्यों की दिशा में बड़ा कदम।

Topic 9 - चंद्र मॉड्यूल प्रक्षेपण यान (LMLV)	
Syllabus	विज्ञान और प्रौद्योगिकी | अंतरिक्ष
संदर्भ	इसरो ने चंद्र मॉड्यूल प्रक्षेपण यान (एलएमएलवी) के विकास की घोषणा की, जो भारत का अब तक का **सबसे भारी रॉकेट** होगा, जिसके **2035 तक तैयार** होने की संभावना है।
LMLV क्या है?	❖ ISRO का **अगली पीढ़ी का हेवी-लिफ्ट** लॉन्च व्हीकल। (नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल - **NGLV का उन्नत संस्करण**) ❖ भारत का सबसे शक्तिशाली रॉकेट, जिसे **चंद्र** और **अंतरग्रहीय मिशनों** के लिए बनाया गया है।
उद्देश्य	❖ 2040 तक मानवयुक्त चंद्र अभियानों और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को सक्षम बनाना।

	❖ चंद्रमा तक भारी पेलोड ले जाना + गहन अंतरिक्ष अन्वेषण को समर्थन देना। ❖ मानव अंतरिक्ष उड़ान तकनीक में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना।
विशेषताएँ	❖ **पेलोड क्षमता** ➢ **चंद्रमा तक:** लगभग 27 टन ➢ **LEO (200–2000 किमी) तक:** लगभग 80 टन। ❖ **प्रणोदन प्रणाली:** उन्नत क्रायोजेनिक और सेमी-क्रायोजेनिक इंजन। ❖ **चरण:** तीन-चरणीय रॉकेट ➢ पहले दो चरण: तरल ईंधन ➢ तीसरा चरण: क्रायोजेनिक ईंधन।

इसरो के प्रक्षेपण यानों का विकास क्रम

प्रक्षेपण यान	अवधि	प्रमुख विशेषताएँ एवं पेलोड क्षमता	उल्लेखनीय मिशन
साउंडिंग रॉकेट	1963	थुंबा से नाइक अपाचे रॉकेट्स का प्रक्षेपण	प्रारंभिक वायुमंडलीय अनुसंधान
SLV-3 (उपग्रह प्रक्षेपण यान)	1980	ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के नेतृत्व में **पहला स्वदेशी रॉकेट**; पेलोड ~40 किग्रा (LEO में)	**रोहिणी उपग्रह** को कक्षा में स्थापित किया
ASLV (संवर्धित SLV)	1987–1994	स्ट्रैप-ऑन बूस्टर का उपयोग; पेलोड ~150 किग्रा	सीमित सफलता; विकासात्मक प्लेटफ़ॉर्म
PSLV (ध्रुवीय SLV)	1994–वर्तमान	चार-चरणीय (ठोस और तरल); पेलोड 1,000–1,750 किग्रा (LEO में)	चंद्रयान-1 (2008), मंगलयान (2013)
GSLV (भू तुल्यकालिक SLV)	1990s–वर्तमान	**क्रायोजेनिक अपर स्टेज** का उपयोग; पेलोड 2,000–2,500 किग्रा (GTO में)	संचार उपग्रह
LVM-3 / GSLV Mk-III	2017–वर्तमान	ISRO का **सबसे भारी परिचालन** रॉकेट; पेलोड ~4,000 किग्रा (GTO में)	चंद्रयान-2 (2019), चंद्रयान-3 (2023)
LMLV (लूनर मॉड्युलर LV)	प्रस्तावित 2035	नियोजित हेवी-लिफ्ट लॉन्चर; पेलोड ~27 टन (चंद्रमा), ~80 टन (LEO में)	मानव अंतरिक्ष उड़ानों हेतु चंद्रमा और उससे आगे के मिशन

Topic 10 - एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली (IADWS)	
Syllabus	विज्ञान और प्रौद्योगिकी | रक्षा
संदर्भ	अगस्त 2025 में **DRDO** ने **मिशन सुदर्शन चक्र** के तहत **IADWS** का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया।
एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली (IADWS) के बारे में	❖ भारत की **पहली स्वदेशी** रूप से विकसित, **बहु-स्तरीय वायु रक्षा प्रणाली।** ❖ **लेयर्ड डिफेंस में एकीकरण:** ➢ **क्विक रिएक्शन सरफेस-टू-एयर मिसाइल (QRSAM)** → मध्यम दूरी के लिए। ➢ **वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम (VSHORADS)** → अत्यंत कम दूरी के लिए। ➢ **लेजर-आधारित डायरेक्टेड एनर्जी वेपन (DEW)** → नजदीकी ड्रोन/यूएवी निष्क्रियकरण के लिए। ❖ **विकासकर्ता:** DRDO द्वारा **मिशन सुदर्शन चक्र (2025) के तहत**। ❖ **केंद्रीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर:** DRDL, हैदराबाद द्वारा विकसित ➢ सभी घटकों (रडार, सेंसर, संचार डेटा आदि) का एकीकरण → वास्तविक समय में पहचान, निर्णय और कार्रवाई संभव।
प्रमुख घटक	❖ **QRSAM** ➢ DRDO द्वारा सेना की बख्तरबंद टुकड़ियों के लिए डिज़ाइन किया गया। ➢ **रेंज:** 3–30 किमी ➢ **विशेषताएँ:** मूवमेंट में खोज एवं ट्रैकिंग, 360° राडार कवरेज। ❖ **VSHORADS** ➢ चौथी पीढ़ी की **MANPADS** प्रणाली, पोर्टेबल और उन्नत मिनिएचराइज्ड सिस्टम। ➢ कम ऊँचाई पर उड़ने वाले खतरों के विरुद्ध **अंतिम रक्षा पंक्ति**। ➢ **थल सेना**, **नौसेना** और **वायु सेना** द्वारा तैनात की जा सकती है। ❖ **डायरेक्टेड एनर्जी वेपन (DEW)** ➢ DRDO की **CHESS लैब, हैदराबाद** द्वारा विकसित। ➢ उच्च-ऊर्जा **लेज़र प्रणाली** (**रेंज < 3 किमी**)। ➢ UAVs और स्वार्म ड्रोन पर परीक्षण → संरचनात्मक क्षति और सेंसर निष्क्रियता। ➢ इस तकनीक के साथ भारत कुछ चुनिंदा वैश्विक शक्तियों में शामिल हो गया है।

Topic 11 - ओरेश्निक हाइपरसोनिक मिसाइल	
Syllabus	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी | रक्षा
संदर्भ	**रूसी राष्ट्रपति** व्लादिमीर पुतिन ने **ओरेश्निक मिसाइल** के उत्पादन की घोषणा की और 2025 के अंत तक **बेलारूस में इसे तैनात** करने की योजना बनाई।
मिसाइल के बारे में	❖ **देश: रूस** ("Oreshnik" का अर्थ → हेज़ल वृक्ष) ❖ **प्रकार: हाइपरसोनिक** IRBM (मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल) ❖ **गति:** मैक 10 (ध्वनि की गति से 10 गुना तेज़) ❖ **रेंज:** लगभग 5,000 किमी (3,100 मील)

	❖ **वारहेड्स:** ➢ MIRVs (मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टार्गेटेबल री-एंट्री व्हीकल्स) से सुसज्जित ➢ **पारंपरिक** या **नाभिकीय** वारहेड ले जाने में सक्षम ❖ हाइपरसोनिक गति + उड़ान के दौरान दिशा बदलने की क्षमता + बहु-वारहेड संयोजन → इसे अवरोधन (Intercept) करना बेहद कठिन बनाता है।

Topic 11 - RS-28 सर्मत ICBM (सैटन-2)

Syllabus	विज्ञान और प्रौद्योगिकी | रक्षा
संदर्भ	**अमेरिका-रूस** के बीच बढ़ते तनाव के बीच **रूस की RS-28 सर्मत** अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल **(ICBM)** पर फिर से ध्यान केंद्रित हुआ है, जिसे **NATO** द्वारा **"सैटन-2"** नाम दिया गया है।
RS-28 सर्मत के बारे में	❖ **रूस** की नई पीढ़ी की **अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल**। ❖ **नामकरण**: **सर्माटियन जनजाति** (ईसा पूर्व 4वीं–5वीं शताब्दी) के नाम पर।
मुख्य विशेषताएँ 	❖ **दुनिया की सबसे भारी ICBM** → वजन: 208 टन ❖ **रेंज:** 18,000 किमी ❖ **गति:** 25,500 किमी/घंटा (~मैक 20) ❖ **पेलोड क्षमता:** 10 टन (नाभिकीय/पारंपरिक वारहेड्स) ❖ **वारहेड्स:** 16 तक MIRVs + **एवनगार्ड** (Avangard) हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स। ❖ **FOBS क्षमता** (फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम) → निम्न कक्षा के माध्यम से प्रक्षेपण, यहाँ तक कि विपरीत दिशा से भी हमला संभव। ❖ यह मिसाइल **हिरोशिमा बम से 2,000 गुना अधिक** विनाशकारी वारहेड्स ले जाने में सक्षम है।

Topic 12 - डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणाली (LRHW)

Syllabus	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी | रक्षा
संदर्भ	**अमेरिकी सेना** ने **ऑस्ट्रेलिया** में आयोजित **तालिस्मन सेबर सैन्य अभ्यास** के दौरान **'डार्क ईगल' LRHW** को तैनात किया।
डार्क ईगल के बारे में 	❖ **अमेरिकी** सेना की **लॉन्ग-रेंज हाइपरसोनिक वेपन** (LRHW)। ❖ **लॉकहीड मार्टिन** और **नॉर्थ्रॉप ग्रुम्मन** द्वारा विकसित। ❖ रणनीतिक आक्रमण अभियानों के लिए निर्मित → A2/AD रक्षा प्रणालियों को भेदना, दुश्मन की लंबी दूरी की मारक क्षमता को दबाना और तीव्र सटीक हमले करना। ❖ **मुख्य विशेषताएँ** ➢ **मारक दूरी:** ~1,700 मील (2,735 किमी)। ➢ **गति: मैक 17**, अत्यधिक गतिशील → अवरोधन करना कठिन। ➢ **उड़ान पथ:** अंतरिक्ष की सीमा तक ऊपर जाता है → ऊपरी वायुमंडल → लक्ष्य की ओर दिशा बदलकर हमला। ➢ **प्रणोदन: ठोस ईंधन** आधारित **दो-चरणीय** रॉकेट बूस्टर।

Topic 13 - खोर्रमशहर-5 (Khorramshahr-5)	
Syllabus	विज्ञान और प्रौद्योगिकी | रक्षा
संदर्भ	रिपोर्टों के अनुसार, **ईरान** ने अपना पहला **अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) – खोर्रमशहर-5** विकसित कर लिया है या परीक्षण की तैयारी कर रहा है।
खोर्रमशहर-5 के बारे में	❖ **देश** → ईरान ❖ **प्रकार** → अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) ❖ **रेंज** → लगभग 12,000 किमी → महाद्वीपों के पार लक्ष्य भेदने में सक्षम ❖ **गति** → मैक 16 (लगभग 20,000 किमी/घंटा) → अवरोधन करना अत्यंत कठिन ❖ **पेलोड** → लगभग 2 टन वारहेड → संभवतः नाभिकीय; MIRV-सक्षम (Multiple Independently targetable Reentry Vehicle)
वे देश जिनके पास ICBM है	❖ रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, फ्रांस, भारत, यूनाइटेड किंगडम, इज़राइल, उत्तर कोरिया। ❖ **भारत की अग्नि-V** → ठोस ईंधन आधारित ICBM (आधिकारिक रूप से **इंटरमीडिएट रेंज**)।

Topic 14 - गोल्डन डोम (Golden Dome)	
Syllabus	विज्ञान और प्रौद्योगिकी | रक्षा
संदर्भ	**अमेरिका** के **राष्ट्रपति** ने **इज़राइल के आयरन डोम** से प्रेरित होकर अमेरिका के लिए **$175 बिलियन** का **गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच** की घोषणा की है।
गोल्डन डोम के बारे में	❖ यह एक **बहु-स्तरीय मिसाइल रक्षा प्रणाली** है, जो **अंतरिक्ष-आधारित** सेंसर और इंटरसेप्टर्स को **भूतल प्रणालियों** (जैसे पैट्रियट, THAAD, एजिस BMD, GMD) के साथ **एकीकृत** करती है। ❖ इसे **अमेरिका को लंबी दूरी** और **अंतरिक्ष से प्रक्षेपित मिसाइलों से सुरक्षित रखने** के लिए डिज़ाइन किया गया है। ❖ **प्रमुख विशेषताएँ** ➢ **सैटेलाइट नेटवर्क** → मिसाइलों की पहचान और ट्रैकिंग के लिए सैकड़ों उपग्रह। ➢ **अंतरिक्ष-आधारित इंटरसेप्टर्स** → मिसाइलों को उनके विभिन्न प्रक्षेपवक्र चरणों में निष्क्रिय करने की क्षमता। ➢ **उन्नत ट्रैकिंग तकनीक** → वास्तविक समय निगरानी के लिए अंतरिक्ष-आधारित रडार और सेंसर। ➢ **लेज़र हथियार** → उड़ान के मध्य में मिसाइलों को नष्ट करने की क्षमता।

Topic 15 - भारत पूर्वानुमान प्रणाली (BharatFS)	
Syllabus	विज्ञान और प्रौद्योगिकी
संदर्भ	**पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री** ने राज्यसभा को **भारत पूर्वानुमान प्रणाली** (BharatFS) के शुभारंभ के बारे में सूचित किया।
BharatFS के बारे में	❖ भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित उच्च-रिज़ॉल्यूशन मौसम पूर्वानुमान मॉडल। ❖ **लाँच:** भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा (पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत)। ❖ **विकासकर्ता:** भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान **(IITM), पुणे** - **IMD** और राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र **(NCMRWF)** के सहयोग से। ❖ **संचालित:** सुपरकंप्यूटर **आर्का (IITM)** और **अरुणिका (NCMRWF-नोएडा)** द्वारा। ❖ **उद्देश्य: पंचायत स्तर** पर पूर्वानुमान + **चरम मौसम घटनाओं** की बेहतर **भविष्यवाणी**।
मुख्य विशेषताएँ	❖ **त्रिकोणीय क्यूबिक ऑक्टाहेड्रल (TCo) ग्रिड** पर आधारित → 6 किमी × 6 किमी क्षैतिज ग्रिड रिज़ॉल्यूशन (ग्लोबल फोरकास्ट सिस्टम ~12 किमी और वैश्विक औसत 9–14 किमी से बेहतर)। ❖ **सटीकता:** चरम वर्षा के लिए 30% बेहतर; विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में 64% तक सुधार। ❖ **पूर्वानुमान समय:** 4–6 घंटे में पूर्वानुमान उपलब्ध (पहले 12–14 घंटे लगते थे)। ❖ **डेटा स्रोत:** 40+ **डॉपलर वेदर रडार** से वास्तविक समय डेटा का उपयोग। ❖ **कवरेज:** उष्णकटिबंधीय क्षेत्र (30°S–30°N), **पूरे भारतीय उपमहाद्वीप** को शामिल करता है।
महत्त्व	❖ **कृषि:** स्थानीय पूर्वानुमान → फसल योजना, सिंचाई, कटाई में सहायक। ❖ **जल एवं आपदा प्रबंधन:** जलाशयों का प्रबंधन, बाढ़ जोखिम में कमी, जलवायु लचीलापन में सुधार। ❖ **आत्मनिर्भरता:** मौसम विज्ञान में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा। ❖ **वैश्विक नेतृत्व:** पूर्वानुमान रिज़ॉल्यूशन में अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ से आगे। ❖ **महिला सशक्तिकरण:** 4 महिला वैज्ञानिकों के नेतृत्व में → **नारी शक्ति दृष्टिकोण** के अनुरूप।

Environment & Geography

Topic 1 - भारत की जीवाश्म विरासत

Topic	भारतीय इतिहास | विरासत
संदर्भ	भारत की जीवाश्म विरासत, जिसमें 47 मिलियन वर्ष पुराने **साँप वसुकि इंडिकस** जैसी दुर्लभ खोजें शामिल हैं, चोरी, विध्वंस और अवैध नीलामी के कारण खतरे में है क्योंकि कोई राष्ट्रीय जीवाश्म संरक्षण कानून या केंद्रीय कोषागार मौजूद नहीं है।
जीवाश्म विरासत क्या है?	❖ जीवाश्म वे **संरक्षित अवशेष** या **प्राचीन जीवन** (जैसे पौधे, जानवर, सूक्ष्मजीव) **के चिह्न** होते हैं (जो चट्टानों में लाखों वर्षों तक संरक्षित रहते हैं)। ❖ जीवाश्म विरासत में वे **स्थल**, **नमूने** और **भूगर्भीय संरचनाएँ** शामिल हैं जो पृथ्वी के भूगर्भीय और जैविक महत्व को दर्शाती हैं। ❖ इसका प्रबंधन **भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI)** द्वारा **खनन मंत्रालय** के अंतर्गत किया जाता है। ❖ **देखो अपना देश** और **राष्ट्रीय भू-पर्यटन नीति** के तहत जीवाश्म उद्यानों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
भारत की जीवाश्म विरासत	❖ **विविध रिकॉर्ड:** प्रीकैम्ब्रियन से लेकर सेनोज़ोइक युग तक - पौधे, डायनासोर के अंडों के घोंसले, Vasuki indicus (विशाल साँप), Indohyus (व्हेल का पूर्वज)। ❖ **विशिष्ट अंतर्दृष्टियाँ:** गोंडवाना लैंड के अलगाव के बाद - डायनासोर के विकास, स्तनधारियों के उद्भव और समुद्री संक्रमणों के प्रमाण।
भारत के लिए जीवाश्मों का महत्व	❖ **वैज्ञानिक:** जीव के विकास के प्रमाण (जैसे: Indohyus → व्हेल, गोंडवाना वनस्पति/जीव)। ❖ **सांस्कृतिक:** शालिग्राम अमोनाइट्स का हिंदू पूजा में उपयोग। ❖ **शैक्षणिक:** छात्रों के लिए प्राकृतिक इतिहास का संग्रह। ❖ **आर्थिक:** भू-पर्यटन को बढ़ावा (जैसे: डायनासोर पार्क, बालासिनोर, गुजरात)। ❖ **प्लेट टेक्टोनिक्स और महाद्वीपीय विस्थापन का अध्ययन।** ❖ **प्राकृतिक संसाधन अन्वेषण:** जीवाश्म अध्ययन से तेल और खनिज की खोज को दिशा मिलती है।

भारत में प्रमुख जीवाश्म स्थल

स्थल	राज्य	महत्व
कच्छ और खंभात बेसिन	गुजरात	डायनासोर और समुद्री जीवाश्म
नर्मदा घाटी	मध्य प्रदेश	❖ कशेरुकी और मानव पूर्वजों के समृद्ध जीवाश्म ❖ **भेड़ाघाट–लामेटा घाट** - ➢ विश्व धरोहर स्थलों की **संभावित सूची** में शामिल। ➢ भारत का **पहला भूवैज्ञानिक पार्क।**
हिमालय की तलहटी - शिवालिक जीवाश्म पार्क	हिमाचल, उत्तराखंड	कशेरुकी जीवाश्म (हाथी, घोड़े आदि)।
लोनार क्रेटर	महाराष्ट्र	प्रभाव क्रेटर जिसमें सूक्ष्मजीवी जीवाश्म।

रामगढ़ क्रेटर	बारां, राजस्थान	❖ मेसोप्रोटेरोज़ोइक युग; अब एक **भू-विरासत स्थल**; ❖ 10वीं सदी का **शिव मंदिर** और **प्रागैतिहासिक गुफा मंदिर।**
जैसलमेर	राजस्थान	❖ जुरासिक युग का **फाइटोसॉर** जीवाश्म (200 मिलियन वर्ष पुराना) → **मेघा गाँव** → जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर की खोज। ❖ **आकल** वुड जीवाश्म पार्क (डेजर्ट नेशनल पार्क)
सालखन जीवाश्म पार्क	सोनभद्र, उत्तर प्रदेश	विविध वनस्पति जीवाश्म

नई भू-विरासत मान्यताएँ

❖ **पांडवुला गुट्टा (तेलंगाना)** और **रामगढ़ क्रेटर (राजस्थान)** को GSI द्वारा **भू-विरासत स्थल** घोषित किया गया।

Topic 2 - ध्वनि प्रदूषण (Noise Pollution)

Syllabus	पर्यावरण | शहरी विकास | स्वास्थ्य
संदर्भ	भारत के शहरों में ध्वनि प्रदूषण धीरे-धीरे एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा बनकर उभरा है। इसे वायु (प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत कानूनी दर्जा प्राप्त है, और यह उच्च रक्तचाप, नींद विकार, तनाव और संज्ञानात्मक गिरावट से जुड़ा हुआ है, फिर भी व्यवस्थित निगरानी और प्रवर्तन सीमित हैं।
ध्वनि प्रदूषण को समझना	❖ **परिभाषा: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड** (CPCB) के अनुसार, ध्वनि वह अवांछित या हानिकारक ध्वनि है जो असुविधा, चिड़चिड़ापन या स्वास्थ्य हानि का कारण बने। सुखद ध्वनियों को संगीत माना जाता है। ❖ **कानूनी वर्गीकरण: वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981** के तहत **वायु प्रदूषक** के रूप में मान्यता प्राप्त। ❖ **नियमन:** पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत तैयार **ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000** द्वारा नियंत्रित। ❖ **WHO सुरक्षित सीमाएँ:** ➢ दिन में: 50 डेसिबल (dB) ➢ रात में: 40 डेसिबल (dB) ➢ **2025 तक उल्लंघन:** भारत के 44 शहरों में सुरक्षित सीमा का उल्लंघन।

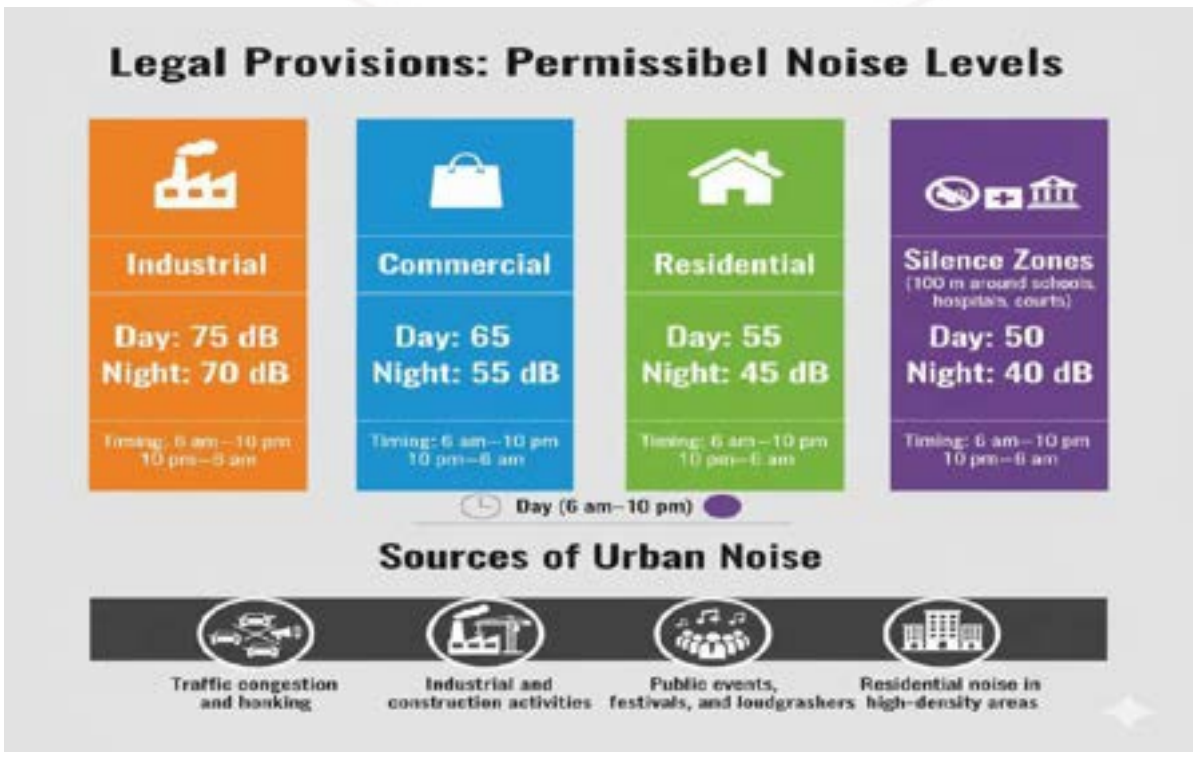

स्वास्थ्य प्रभाव	❖ उच्च रक्तचाप, हृदय संबंधी तनाव और नींद विकार। ❖ संज्ञानात्मक गिरावट, उत्पादकता में कमी और मानसिक तनाव। ❖ संवेदनशील वर्ग विशेष रूप से प्रभावित: सड़क किनारे विक्रेता, ट्रैफिक पुलिस, डिलीवरी कर्मी और अनौपचारिक बस्तियाँ। ❖ दीर्घकालिक संपर्क से जीवन प्रत्याशा में कमी।
लगातार ध्वनि प्रदूषण के कारण	❖ **अपर्याप्त निगरानी**: वायु गुणवत्ता की तुलना में ध्वनि डेटा असंगत और अपूर्ण। ❖ **कमजोर प्रवर्तन**: शोरगुलपूर्ण व्यवहारों को सांस्कृतिक रूप से स्वीकार किया जाना → नियमों का पालन नहीं होता। ❖ **विखंडित शासन**: प्रदूषण बोर्ड, नगर निगम और पुलिस के बीच जिम्मेदारी का बंटवारा → समन्वय की कमी। ❖ **प्रतीकात्मक उपाय**: हॉर्न प्रतिबंध या पटाखों पर रोक जैसे उपाय प्रणालीगत/वास्तविक स्रोतों को संबोधित नहीं करते।
आगे की राह	❖ **साक्ष्य-आधारित निगरानी**: रीयल-टाइम सेंसर और मशीन लर्निंग से स्रोत पहचान (जैसे – ट्रैफिक, उद्योग, निर्माण) को बढ़ावा। ❖ **स्वास्थ्य निगरानी**: स्कूल, अस्पताल और कम आय वाले समुदायों के आसपास ध्वनि संपर्क का ट्रैकिंग। ❖ **शहरी नियोजन**: हरित बफर, ज़ोनिंग, और टिकाऊ परिवहन (इलेक्ट्रिक बस, साइकिल) के साथ ध्वनि नियंत्रण को एकीकृत करना। ❖ **शासन में सुधार**: प्रवर्तन को मजबूत करना, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाना, जवाबदेही सुनिश्चित करना। ❖ **सामुदायिक भागीदारी**: जागरूकता अभियान और स्थानीय नेताओं के साथ साझेदारी से सांस्कृतिक मान्यताओं में बदलाव।
ध्वनि: एक सार्वजनिक स्वास्थ्य और समानता का मुद्दा	❖ कमजोर वर्ग सबसे अधिक प्रभावित होते हैं और वे खुद को बचाने में सबसे असमर्थ होते हैं। ❖ शांत जीवन की स्थिति को **विशेषाधिकार नहीं**, बल्कि **सार्वभौमिक अधिकार** माना जाना चाहिए। ❖ ध्वनि नियंत्रण को **स्वच्छ वायु एजेंडा**, **शहरी योजना**, और **सार्वजनिक स्वास्थ्य रणनीतियों** में शामिल करना जीवन की रक्षा कर सकता है और सामाजिक समानता को बढ़ावा दे सकता है।
निष्कर्ष	भारत का शहरी ध्वनि संकट एक **छिपा हुआ लेकिन बढ़ता हुआ खतरा** है जो **सार्वजनिक स्वास्थ्य और समानता** को प्रभावित करता है। प्रभावी समाधान के लिए मजबूत निगरानी, सख्त प्रवर्तन, टिकाऊ शहरी डिजाइन और सक्रिय सामुदायिक सहभागिता आवश्यक है।

Topic 3 - स्वतंत्र पर्यावरण लेखा परीक्षक (Independent Environment Auditors)	
Syllabus	पर्यावरण और शासन
संदर्भ	❖ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय **(MoEFCC)** ने **पर्यावरण लेखा परीक्षा नियम, 2025** प्रस्तुत किए हैं। ❖ इन नियमों के तहत **परियोजनाओं के अनुपालन** की पुष्टि के लिए स्वतंत्र, मान्यता प्राप्त पर्यावरण लेखा परीक्षकों की एक **श्रेणी** गठित की गई।
स्वतंत्र पर्यावरण लेखा परीक्षक (IEAs) क्या हैं?	❖ तृतीय-पक्ष इकाइयाँ जिन्हें परियोजनाओं के पर्यावरणीय अनुपालन की निगरानी, सत्यापन और रिपोर्टिंग हेतु नियुक्त किया जाता है। ❖ इनका उद्देश्य पर्यावरणीय शासन में पारदर्शिता, वैज्ञानिकता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
IEAs की आवश्यकता क्यों है?	❖ **मौजूदा निगरानी सीमित है:** केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCBs) की क्षमता सीमित है (जनशक्ति, अवसंरचना, संसाधन)। ❖ **अनुपालन अंतराल:** कैग रिपोर्ट और MoEFCC समीक्षाओं से स्पष्ट है कि स्वीकृति के बाद की निगरानी कमजोर है (वार्षिक रूप से केवल 5% परियोजनाओं का निरीक्षण)। ❖ **हितों का टकराव:** परियोजना प्रस्तावक अक्सर स्व-घोषित अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं → पक्षपात की संभावना। ❖ तेजी से अवसंरचना विकास → पारिस्थितिकीय दबाव। ❖ **जन विश्वास:** पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है, नागरिकों का विश्वास मजबूत होता है। ❖ **व्यवसाय सुगमता** और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप।
प्रमुख विशेषताएँ	❖ **प्रमाणीकरण और पंजीकरण:** पर्यावरण लेखा परीक्षा नामित एजेंसी (EADA) के माध्यम से। ❖ **यादृच्छिक आवंटन:** पक्षपात/हितों के टकराव को रोकने के लिए। ❖ **जिम्मेदारियाँ:** ➢ पर्यावरणीय कानूनों के अनुपालन की पुष्टि करना। ➢ सैंपलिंग, विश्लेषण और क्षतिपूर्ति की गणना करना। ➢ ग्रीन क्रेडिट नियम, अपशिष्ट प्रबंधन, वन/पर्यावरण कानूनों का पालन सुनिश्चित करना। ➢ परियोजना प्रस्तावकों द्वारा स्व-घोषित अनुपालन रिपोर्ट का लेखा-परीक्षण करना।
निगरानी तंत्र	❖ **स्टीयरिंग समिति:** MoEFCC के अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में + नियामक निकायों के प्रतिनिधि। ❖ प्रगति की निगरानी, चुनौतियों का समाधान और सुधार प्रस्तावित करना।
अपेक्षित परिणाम	❖ **सशक्त अनुपालन:** स्वतंत्र लेखा परीक्षा विश्वसनीयता और प्रवर्तन को सुदृढ़ करेगी। ❖ **एकीकरण:** ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम, इकोमार्क और विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व को समर्थन। ❖ **क्षमता निर्माण:** प्रशिक्षित पेशेवरों की संख्या बढ़ेगी; नियामक उच्च जोखिम वाले मामलों पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। ❖ **पारदर्शिता और जवाबदेही:** यादृच्छिक लेखा परीक्षक आवंटन से हितों का टकराव कम होगा। ❖ **डेटा-आधारित शासन:** डिजिटाइज्ड रिकॉर्ड बेहतर निर्णय और हस्तक्षेप को सक्षम बनाते हैं। ❖ **अनुपालन की शीघ्र पहचान:** आपदाओं को रोका जा सकता है (जैसे: विशाखापत्तनम गैस रिसाव 2020)। ❖ **उद्योगों के लिए ESG अनुपालन को बढ़ावा:** वैश्विक जलवायु और हरित वित्त मानकों के अनुरूप।
चुनौतियाँ	❖ **स्थानीय स्तर** पर **प्रवर्तन** (जिला, ब्लॉक, पंचायत) अभी भी **कमजोर** रह सकता है।

	❖ सफलता स्थानीय कर्मचारियों को सशक्त बनाने और मूल निगरानी सुनिश्चित करने पर निर्भर करती है। ❖ **लेखा परीक्षकों की विश्वसनीयता:** कॉरपोरेट प्रभाव का खतरा। ❖ **हितों का टकराव:** यदि भुगतान परियोजना प्रवर्तकों द्वारा किया जाए। ❖ लेखा परीक्षकों के लिए मान्यता एवं निगरानी तंत्र का अभाव।
नीतिशास्त्र/निबंध के लिए उद्धरण	"स्वतंत्र लेखा परीक्षक पर्यावरणीय सुशासन की अंतरात्मा के प्रहरी होते हैं।" – द हिंदू, अगस्त 2025।

Topic 4 - राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण (NDAIAPA)

Syllabus	पर्यावरण | जलवायु परिवर्तन
संदर्भ	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय **(MoEFCC)** ने **पेरिस समझौते (2015)** के तहत **कार्बन उत्सर्जन व्यापार व्यवस्था** को सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण (NDA) की स्थापना की है।
राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण (NDA) के बारे में	❖ **अधिदेश**: पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के तहत अनिवार्य (COP29, बाकू, 2024 में अंतिम रूप दिया गया)। ❖ **संरचना**: अंतर-मंत्रालयी समिति (21 सदस्य), अध्यक्षता: MoEFCC के सचिव द्वारा। ❖ **सदस्य**: विदेश मंत्रालय (MEA), इस्पात मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नीति आयोग आदि के अधिकारी। ❖ **उद्देश्य**: अंतरराष्ट्रीय कार्बन बाजारों के तहत कार्बन क्रेडिट परियोजनाओं की निगरानी और अनुमोदन करना।
प्रमुख कार्य	❖ उत्सर्जन कटौती व्यापार के लिए पात्र गतिविधियों/परियोजनाओं की सूची की सिफारिश करना। ❖ अनुच्छेद 6 के तहत परियोजनाओं का मूल्यांकन और अनुमोदन करना। ❖ परियोजनाओं को राष्ट्रीय सतत विकास लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के साथ संरेखित करना। ❖ भारत के **NDC लक्ष्यों** की पूर्ति हेतु **उत्सर्जन कटौती इकाइयों** (ERUs) के उपयोग को स्वीकृति देना। ❖ हरित हाइड्रोजन, कार्बन कैप्चर, वनीकरण आदि को बढ़ावा देना।
कार्बन बाजार तंत्र	❖ **अनुच्छेद 6.2:** शमन परिणामों का द्विपक्षीय व्यापार। ❖ **अनुच्छेद 6.4:** संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यवेक्षित वैश्विक कार्बन क्रेडिट बाजार।
भारत की राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान	❖ 2005 के स्तर से GDP की **उत्सर्जन तीव्रता में 45%** की कमी। ❖ 2030 तक विद्युत क्षमता का **50% गैर-जीवाश्म** स्रोतों से।

(NDC) प्रतिबद्धताएँ (2030 तक)	❖ वनीकरण के माध्यम से **2.5–3 अरब टन** CO_2 समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक।
महत्व	❖ **वैश्विक कार्बन बाजारों** में भारत की भूमिका को सशक्त करता है। ❖ स्वच्छ ऊर्जा, वनीकरण और सतत विकास को बढ़ावा देता है। ❖ स्वच्छ तकनीकों में **निजी क्षेत्र के निवेश** को प्रोत्साहित करता है। ❖ भारत को **विकास आवश्यकताओं** और **जलवायु दायित्वों** के बीच **संतुलन** बनाने में मदद करता है। ❖ भारत की **जलवायु कूटनीति** और सतत विकास लक्ष्यों **(SDGs)** के साथ संरेखण को मजबूत करता है।

Topic 5 - ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (GCP)

Syllabus	पर्यावरण | जलवायु परिवर्तन
संदर्भ	❖ केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने GCP के अंतर्गत ग्रीन क्रेडिट प्रदान करने की संशोधित पद्धति अधिसूचित की है। ❖ यह पूर्व प्रणाली को प्रतिस्थापित करता है और पात्रता, क्रेडिट गणना, समय-सीमा व क्रेडिट के उपयोग के संबंध में परिवर्तन करता है।
ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (GCP) के बारे में	❖ यह एक **बाजार-आधारित प्रोत्साहन तंत्र** है जिसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने व्यक्तियों, समुदायों, उद्योगों आदि द्वारा स्वैच्छिक पर्यावरण-अनुकूल कार्यों (केवल कार्बन उत्सर्जन कटौती से आगे) को प्रोत्साहित करने हेतु प्रारंभ किया। ❖ **शुरुआत:** भारत के **LiFE (लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट) आंदोलन** के हिस्से के रूप में शुरू किया गया। **COP-28** में **UAE** के साथ मिलकर **"ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव"** के रूप में वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत। ❖ **कानूनी आधार / नियम:** पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत 12 अक्टूबर 2023 को अधिसूचित **"हरित क्रेडिट नियम, 2023"**। ❖ **उद्देश्य:** स्वैच्छिक पर्यावरणीय कार्यों (जैसे वृक्षारोपण, जल संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन) को बढ़ावा।
नियमों में प्रमुख बदलाव	**क्रेडिट प्रदान करना** ❖ **पहले:** 2 वर्षों में 1,100 पेड़/हेक्टेयर → पेड़ों के जीवित रहने की दर और कैनोपी (canopy) की गुणवत्ता की उपेक्षा की आलोचना हुई। ❖ **अब:** ➢ न्यूनतम 5 वर्षों तक अवनत वनभूमि पर पुनर्स्थापन के बाद ही क्रेडिट। ➢ वृक्षों की जीवित रहने की दर और छत्र घनत्व (≥40%) पर आधारित। **2. क्रेडिट का व्यापार** ❖ **पहले:** बाजार-आधारित व्यापार की अनुमति थी। ❖ **अब:** गैर-व्यापार योग्य, केवल होल्डिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के बीच स्थानांतरण की अनुमति। **3. क्रेडिट का अनुमेय उपयोग** ❖ एक बार के लिए विनिमय योग्य: ➢ प्रतिपूरक वनीकरण दायित्वों के लिए ➢ कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) अनुपालन के लिए ➢ अन्य कानूनी वृक्षारोपण दायित्वों के लिए। ❖ क्रेडिट का उपयोग ESG रिपोर्टिंग के लिए भी किया जा सकता है। ❖ कानूनी अनुपालन के लिए उपयोग के बाद क्रेडिट समाप्त हो जाता है।

परिवर्तन के पीछे तर्क	❖ **संख्या की तुलना में गुणवत्ता को प्राथमिकता:** दीर्घकालिक रूप से जीवित रहने और कैनोपी वृद्धि पर ध्यान। ❖ **विश्वसनीयता और स्थायित्व:** 57,986 हेक्टेयर अवनत भूमि पंजीकृत; संशोधित नियमों से विश्वास और प्रभावशीलता बढ़ने की अपेक्षा है। ❖ **प्रतीकात्मक वृक्षारोपण अभियानों से दूरी।**
महत्व	❖ भारत की जलवायु प्रतिरोधक क्षमता को सशक्त करता है। ❖ जैव विविधता और पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन में सुधार। ❖ पर्यावरणीय संरक्षण में कॉर्पोरेट जवाबदेही को प्रोत्साहित करता है।

Topic 6 - संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र (Joint Crediting Mechanism – JCM)

Syllabus	पर्यावरण | जलवायु परिवर्तन
संदर्भ	**भारत** और **जापान** ने **संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र** (JCM) को लागू करने के लिए सहयोग ज्ञापन (MoC) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य कम-कार्बन प्रौद्योगिकी परियोजनाओं को बढ़ावा देना है।
संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र क्या है?	❖ जेसीएम **जापान** और **भागीदार देशों** (जैसे भारत) के बीच एक **द्विपक्षीय कार्बन बाज़ार तंत्र** है, जिसका उद्देश्य विकासशील देशों में **पेरिस समझौते (UNFCCC)** के **अनुच्छेद 6.2** के तहत **निम्न-कार्बन प्रौद्योगिकियों** को बढ़ावा देना और ग्रीनहाउस गैस **(GHG) उत्सर्जन** को कम करना है। ❖ **शुरुआत:** जापान सरकार द्वारा ❖ परियोजनाओं से होने वाली उत्सर्जन कटौती के **क्रेडिट** जापान और मेज़बान देश **दोनों को** प्राप्त होते है। ❖ **स्वच्छ विकास तंत्र (CDM) से अंतर: क्योटो प्रोटोकॉल** के CDM के विपरीत, JCM में मेज़बान देश साझेदार के रूप में कार्य करते हैं, न कि केवल निष्क्रिय प्राप्तकर्ता के रूप में।
भारत–जापान JCM (2025)	❖ **फ्रेमवर्क नाम:** ग्रीन एनर्जी फोकस फॉर अ बेटर फ्यूचर। ❖ **प्रशासनिक निकाय (भारत में):** पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत **राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण**। ❖ **कवरेज:** उपकरण, मशीनरी, प्रणालियाँ और बुनियादी ढांचे का स्थानीयकरण।

Topic 7 - रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, 1992

Topic	पर्यावरण | जलवायु शासन
संदर्भ	2025 में रियो अर्थ समिट (1992) के 33 वर्ष पूरे हो रहे हैं, यह एक ऐतिहासिक घटना थी जिसने वैश्विक सतत विकास और जलवायु शासन को आकार दिया।
रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन (1992) के बारे में	❖ **यह क्या है**: **संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन** (UNCED) → रियो डी जनेरियो, ब्राज़ील (जून 1992)। ❖ **भागीदारी**: 172 देश, 108 राष्ट्राध्यक्ष, 2,400+ एनजीओ। ❖ **महत्व**: पर्यावरण और विकास को जोड़ने का पहला बड़ा वैश्विक प्रयास।
प्रमुख विशेषताएँ	❖ **सतत विकास** को **वैश्विक एजेंडा** के रूप में प्रस्तुत किया गया। ❖ **CBDR** (साझा लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व) सिद्धांत को अपनाया। ❖ प्राकृतिक संसाधनों पर **संप्रभु अधिकार** की पुष्टि।

	❖ पर्यावरण को व्यापार, समानता और विकास से जोड़ा। ❖ जैव विविधता, मरुस्थलीकरण और जलवायु कार्रवाई पर फोकस।
मुख्य परिणाम	❖ **रियो घोषणा (1992):** 27 मार्गदर्शक सिद्धांत ❖ **एजेंडा 21:** सतत विकास के लिए वैश्विक, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर स्वैच्छिक कार्य योजना। ❖ **संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC):** वैश्विक जलवायु शासन के लिए रूपरेखा; इससे क्योटो प्रोटोकॉल (1997) और पेरिस समझौता (2015) अस्तित्व में आए। ❖ **संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता कन्वेंशन (UNCBD):** जैव विविधता संरक्षण और लाभों के न्यायसंगत वितरण के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि। ❖ **संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम सम्मेलन (UNCCD):** भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए वैश्विक ढांचा।
महत्त्व	❖ **बहुपक्षीय जलवायु सहयोग** की नींव रखी। ❖ जलवायु विमर्श में **समानता** और **न्याय** को मुख्यधारा में लाया। ❖ **ग्लोबल साउथ** (भारत और G77) की भूमिका को मज़बूत किया। ❖ क्योटो प्रोटोकॉल (1997) और पेरिस समझौते (2015) का आधार। ❖ चुनौतियों के बावजूद **वैश्विक पर्यावरणीय एकजुटता** का प्रतीक।

Topic 8 - कोयला क्षेत्र का विनियमन

Syllabus	पर्यावरण | ऊर्जा | जलवायु परिवर्तन
संदर्भ	26 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में **"कोयला संचालन का विनियमन: NGT के दृष्टिकोण से पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव"** नामक रिपोर्ट जारी की गई।
ऊर्जा के लिए भारत की कोयले पर निर्भरता	❖ **ऊर्जा सुरक्षा:** भारत का 70% बिजली उत्पादन कोयले से होता है; कोयले का घरेलू भंडार लगभग 350 अरब टन है। ❖ **औद्योगिक आधार:** कोयला इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, रेलवे जैसे प्रमुख उद्योगों को ऊर्जा प्रदान करता है। ❖ **लागत और लॉक-इन:** मौजूदा अवसंरचना और सस्ते कोयला संयंत्रों के कारण दीर्घकालिक निर्भरता। ❖ **रोजगार निर्भरता:** कोयला-खनन राज्यों में लाखों लोग नियोजित। ❖ **नवीकरणीय ऊर्जा की अस्थिरता:** सौर/पवन ऊर्जा में उतार-चढ़ाव के बीच कोयला **निरंतर बेसलोड बिजली** प्रदान करता है ❖ **संक्रमण बाधाएँ:** वित्त, तकनीकी हस्तांतरण और श्रमिक अनुकूलन की कमी।
पर्यावरणीय और स्वास्थ्य प्रभाव	❖ **वायु प्रदूषण:** कोयला-प्रधान क्षेत्रों (झरिया, एन्नोर) में PM10 स्तर सुरक्षित सीमा से 5 गुना अधिक। ❖ **जल प्रदूषण:** फ्लाई ऐश के रिसाव से नदियाँ और कृषि भूमि प्रदूषित। ❖ **जैव विविधता की हानि:** वनों का विनाश, वन्यजीव आवासों का विघटन। ❖ **जन स्वास्थ्य:** श्वसन रोग, सिलिकोसिस, तंत्रिका संबंधी विकारों में वृद्धि। ❖ **आजीविका की हानि:** कृषि, मत्स्य पालन और चराई में बाधा → लोग पलायन के बाध्य।
शासन और नियामकीय चिंताएँ	❖ **कमजोर प्रवर्तन:** उत्सर्जन मानकों में हेरफेर के मामले (जैसे एन्नोर संयंत्र घोटाला)। ❖ **कम मुआवजा:** किसानों को कम भुगतान या राहत में देरी। ❖ **FRA उल्लंघन:** वनाधिकार अधिनियम (FRA) का उल्लंघन कर आदिवासी सहमति की उपेक्षा।

	❖ **प्रतीकात्मक भागीदारी:** स्थानीय समुदायों को निर्णय प्रक्रिया से बाहर रखा गया।
प्रमुख सिफारिशें	❖ पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) के साथ **स्वास्थ्य प्रभाव आकलन** (HIA) करवाना। ❖ **समुदाय की भागीदारी** सुनिश्चित करना → स्थानीय मॉनिटरिंग समितियाँ बनाना। ❖ **निरंतर निगरानी** अनिवार्य करना → **स्वतंत्र ऑडिट** (वायु, जल, मिट्टी, स्वास्थ्य)। ❖ अभियान मोड में **पारिस्थितिक पुनर्स्थापन** → MoEFCC व राज्य सरकारों द्वारा। ❖ **जस्ट ट्रांज़िशन रणनीति** अपनाना → जीविकोपार्जन विविधीकरण व कौशल प्रशिक्षण पर ध्यान।
आगे की राह	❖ **ऊर्जा मिश्रण का विविधीकरण:** कोयले के साथ सौर, अपतटीय पवन और हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा देना। ❖ **जस्ट ट्रांजिशन फंड:** विस्थापित श्रमिकों के पुनर्वास और वैकल्पिक रोजगार के लिए सहायता। ❖ **स्वास्थ्य-केंद्रित योजना:** कोयला परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए HIA को अनिवार्य बनाना। ❖ **मजबूत जवाबदेही:** एनजीटी और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (PCBs) को अधिक निगरानी शक्तियाँ देना। ❖ **कोयला अपशिष्ट की चक्रीय अर्थव्यवस्था:** फ्लाई ऐश का उपयोग सीमेंट, ईंटों, सड़कों में करें ताकि पर्यावरणीय प्रभाव कम हो। ❖ **जलवायु वित्त:** संक्रमण निधि के लिए G-20, हरित पर्यावरण निधि (GCF), और जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप (JETP) का उपयोग करना।
निष्कर्ष	कोयला भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बना रहेगा, लेकिन यदि **समुदाय की भागीदारी**, **सख्त विनियमन** और **न्यायसंगत संक्रमण** सुनिश्चित नहीं किया गया, तो इसके **सामाजिक और पर्यावरणीय लागत** इसके **लाभों से अधिक** हो सकते हैं। एक संतुलित मार्ग को **ऊर्जा**, **समानता** और **जलवायु उत्तरदायित्व** को एक साथ सुनिश्चित करना चाहिए।
नीतिशास्त्र/निबंध के लिए उद्धरण	"ऊर्जा न्याय को विकास और गरिमा के बीच संतुलन बनाना चाहिए।" - **संयुक्त राष्ट्र विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025** से लिया गया।

Topic 9 - मालदीव और लक्षद्वीप में समुद्री जल-स्तर वृद्धि

Syllabus	पर्यावरण | जलवायु परिवर्तन
संदर्भ	**मालदीव** में **कोरल माइक्रोएटॉल्स** पर आधारित एक नई अध्ययन से पता चलता है कि **मध्य हिंद महासागर** में समुद्र स्तर 1950 के दशक के अंत से लगातार बढ़ रहा है।
यह क्यों महत्वपूर्ण है?	❖ छोटे द्वीप समूह (मालदीव; लक्षद्वीप) जलवायु परिवर्तन के प्रभावों (समुद्र स्तर वृद्धि, समुद्री हीटवेव, कोरल क्षति) के अग्रिम संकेतक हैं, जिनका प्रभाव सुरक्षा, आजीविका, जैव विविधता और क्षेत्रीय कूटनीति पर पड़ता है।
मुख्य आंकड़े	❖ **समुद्र स्तर वृद्धि:** ~0.3 मीटर (1930–2019)। ❖ **वृद्धि दर:** 1930 के दशक की तुलना में **5 गुना** अधिक। ❖ **1959 से:** औसतन 3.2 मिमी/वर्ष की वृद्धि, पिछले 20–30 वर्षों में ~4 मिमी/वर्ष। ❖ **कुल मिलाकर:** 50 वर्षों में 30–40 सेमी की वृद्धि। ❖ **मध्य हिंद महासागर** तटीय क्षेत्रों की तुलना में तेज़ी से बढ़ रहा है, क्षेत्रीय कारकों के कारण।
कारण	❖ **तापीय प्रसार**: गर्म महासागर का प्रसार होता हैं।

	❖ **हिमनद और बर्फ की चादरों का पिघलना**: हिमालय, आर्कटिक, अंटार्कटिका की बर्फ पिघलने से जल की वृद्धि। ❖ **हिंद महासागर में अधिक गर्मी**: महासागरीय धाराओं को तेज करता है, वृद्धि को तीव्र करता है। ❖ **जलवायु अस्थिरता**: एल नीनो, हिन्द महासागर द्विध्रुव (IOD), पवनों में परिवर्तन से उतार-चढ़ाव होता हैं।
प्रभाव	❖ **पर्यावरणीय:** कोरल ब्लीचिंग, रीफ का पतन, समुद्री कटाव, मैंग्रोव क्षति → प्राकृतिक सुरक्षा में कमी। ❖ **सामाजिक:** विस्थापन और जबरन पलायन का खतरा। ❖ **आर्थिक:** मत्स्य पालन, नारियल खेती, पर्यटन पर खारापन और कटाव का प्रभाव; कोरल रीफ क्षति → मछली भंडार में गिरावट; अवसंरचना का विनाश। ❖ **भूराजनीतिक:** जलवायु शरणार्थी सुरक्षा और शासन पर दबाव डाल सकते हैं ❖ **शासन संबंधी चुनौतियाँ:** रक्षा/पर्यटन उद्देश्यों हेतु भूमि अधिग्रहण बनाम स्थानीय अधिकार। ❖ **लक्षद्वीप** में पंचायतों का कार्य न करना → **लोकतांत्रिक क्षति।**
आगे की राह	❖ **निगरानी:** कोरल माइक्रोएटॉल्स + टाइड गेज + उपग्रह। ❖ **तटीय स्थिरता:** मैंग्रोव, समुद्री दीवारें, जलवायु-सुरक्षित अवसंरचना (प्रकृति-आधारित रक्षा)। पर्यटन परियोजनाओं (जैसे ताज लैगून विला) के लिए EIA अनिवार्य। ❖ **क्षेत्रीय सहयोग:** डेटा साझाकरण और संयुक्त अनुकूलन; साझा आपदा प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल, जलवायु तकनीक का आदान-प्रदान। ❖ **वैश्विक कार्रवाई:** पेरिस समझौते के उत्सर्जन लक्ष्यों की पूर्ति; अनुकूलन वित्त के लिए जलवायु कूटनीति। ❖ **भारत के लिए:** लक्षद्वीप को प्राथमिकता – पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण, आपदा तैयारी, अनुकूलन निवेश।
निष्कर्ष	हिंद महासागर में समुद्री जल-स्तर में वृद्धि अनुमान से पहले और तीव्र हो रही है। कोरल माइक्रोएटोल्स महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक साक्ष्य प्रदान करते हैं। द्वीपों और तटीय समुदायों की रक्षा हेतु तत्काल अनुकूलन, सहयोग और उत्सर्जन में कटौती आवश्यक है।
नीतिशास्त्र/निबंध के लिए उद्धरण	"समुद्री जल-स्तर में वृद्धि केवल भूमि के लिए खतरा नहीं हैं, बल्कि पहचान, संप्रभुता और अस्तित्व के लिए भी हैं।" – इंडियन एक्सप्रेस, अगस्त 2025।

Topic 10 - उत्तर और उत्तर-पश्चिम भारत में प्राकृतिक आपदाएँ

Syllabus	जलवायु परिवर्तन | आपदा प्रबंधन
संदर्भ	हाल ही में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर में आई बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएँ हिमालयी और उप-हिमालयी क्षेत्रों की बढ़ती जलवायु संवेदनशीलता को उजागर करती हैं, जिसे अव्यवस्थित विकास और कमजोर आपदा शासन ने और भी गंभीर बना दिया है।
कारण	❖ **भौगोलिक:** हिमालयी विवर्तनिकी, नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र, शुष्क थार मरुस्थल। ❖ **जलवायु संबंधी**: ➢ वैश्विक तापन → मानसून की तीव्रता में बढ़ोतरी। ➢ अधिक बादल फटना और अत्यधिक वर्षा की घटनाएँ। ➢ हिमालय और हिंद महासागर का गर्म होना वर्षा पैटर्न को बदल रहा है। ❖ **पर्यावरणीय क्षरण**: ➢ वनों की कटाई, रेत खनन, और बाढ़ क्षेत्र में अतिक्रमण।

	❖ **अनियोजित विकास**: ➢ पारिस्थितिकी रूप से नाजुक हिमालय में सड़क, सुरंग, जलविद्युत परियोजनाएँ। ➢ पर्यटन विस्तार ने वहन क्षमता को नजरअंदाज किया है। ➢ **अनियोजित शहरीकरण** → ढलानों की अस्थिरता, खराब जल निकासी। ❖ **नीतिगत खामियाँ**: ➢ नीतियाँ का राहत-केन्द्रित होना, रोकथाम पर कम ध्यान। ➢ कमजोर भूमि-उपयोग कानून, जलवायु अनुकूलन की कमी। ➢ स्थानीय स्तर पर आपदा तैयारी कमजोर।
जलवायु परिवर्तन से संबंध	❖ **IPCC और WMO:** दक्षिण एशिया अत्यधिक बाढ़-प्रवण क्षेत्र है। ❖ सतह तापमान में वृद्धि → बादल फटने की घटनाएँ। ❖ हिमनद पिघलना → GLOF (हिमनदी झील विस्फोट बाढ़) का खतरा बढ़ा।
प्रभाव	❖ **मानवीय और आर्थिक प्रभाव** ➢ **जीवन और विस्थापन:** मृत्यु, विस्थापन, मानसिक आघात, मजबूर पलायन। ➢ **कृषि:** धान की फसल नष्ट (पंजाब/हरियाणा), बागवानी और नकदी फसलें बर्बाद (हिमाचल) ➢ **अवसंरचना:** सड़कें, पुल, बिजली और संचार व्यवस्था ध्वस्त। ➢ **पर्यटन:** हिमाचल और उत्तराखंड की पर्यटन अर्थव्यवस्था सबसे अधिक प्रभावित। ❖ **पारिस्थितिक प्रभाव** ➢ हिमालय → नाज़ुक और भूस्खलन-प्रवण। ➢ बाढ़ क्षेत्र में अतिक्रमण → जल अवशोषण घटा → जल निकासी बाधित → बाढ़ की तीव्रता बढ़ी। ➢ वन एवं वन्यजीव गलियारों का विघटन → जैव विविधता ह्रास → मृदा क्षरण, राजस्थान में मरुस्थलीकरण।
शासन की प्रतिक्रिया	❖ **राष्ट्रीय स्तर:** NDMA का गठन, NDRF की तैनाती, IMD पूर्वानुमान, CDRI (आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन)। ❖ **राज्य स्तर:** राहत, SDRF की तैनाती (बचाव), वित्तीय सहायता की मांग, राज्य आपदा प्रबंधन योजनाएँ। ❖ NDMA और SDMAs → भूस्खलन, बाढ़ के लिए अद्यतन SOPs। ❖ **हालिया अपडेट:** ➢ सरकार ने **हिमाचल** और **उत्तराखंड** में **बाढ़** और **भूस्खलन** के लिए **प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली** शुरू की (2024)। ➢ **ISRO** द्वारा **ग्लेशियल लेक एटलस** प्रकाशित (2023) → 2,400+ झीलों का मानचित्रण। ➢ राजस्थान, दिल्ली में राष्ट्रीय हीट एक्शन प्लान लागू। ➢ भारत का हिमालय अध्ययन पर राष्ट्रीय मिशन → सतत विकास हेतु। ➢ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में **मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयाँ** तैनात। ➢ 2025: **राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम न्यूनीकरण नीति** का मसौदा समीक्षाधीन।
आपदा प्रबंधन की चुनौतियाँ	❖ राहत व पुनर्वास में केंद्र-राज्य समन्वय की कमी। ❖ आपदा तैयारी के लिए अपर्याप्त फंडिंग (<1% बजट आवंटन), जबकि चुनौतियाँ बढ़ रही हैं। ❖ जलवायु जोखिम आँकड़े योजना में शामिल नहीं; स्थानीय शासन और प्रशिक्षण कमजोर। ❖ सामुदायिक स्तर पर तैयारी व भागीदारी सीमित।
आगे की राह	❖ **तैयारी:** रीयल-टाइम मौसम और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (IMD/ISRO) → AI, ड्रोन और उपग्रह डेटा का उपयोग।

	❖ **पर्यावरण-संवेदनशील योजना:** सख्त ज़ोनिंग, वहन क्षमता अध्ययन, ढलान स्थिरता उपाय। ❖ **नदी प्रबंधन:** आर्द्रभूमि व पारंपरिक जल प्रणालियों का पुनर्स्थापन, बेसिन स्तर योजना। ❖ **कृषि:** जलवायु-सहिष्णु फसलें, पीएम फसल बीमा योजना के तहत बीमा। ❖ **संस्थागत सुधार:** NDMA को सुदृढ़ करें, जलवायु लचीलापन मुख्यधारा में लाएँ → जिला व ग्राम स्तर पर आपदा शासन का विकेंद्रीकरण। ❖ **समुदाय आधारित आपदा तैयारी:** (जैसे उत्तराखंड में महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा राहत कार्य)। ❖ **पारंपरिक ज्ञान का समावेश:** कुल्लू की लकड़ी वास्तुकला, राजस्थान में मरुस्थलीय जल संचयन। ❖ **वैश्विक अनुभव:** जापान (पूर्वानुमान), नीदरलैंड्स (बाढ़ प्रबंधन), भूटान (GLOF तैयारी में समुदाय की भागीदारी)।
निष्कर्ष	उत्तर भारत की आपदाएँ जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक नाजुकता और मानवीय कुप्रबंधन का सम्मिश्रण प्रदर्शित करती हैं। लोगों, आजीविका और पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए रोकथाम-आधारित, पर्यावरण-संवेदनशील और जलवायु-लचीली आपदा नीति अनिवार्य है।

Topic 11 - भारत में जलवायु अनुकूल शहरों का निर्माण

Syllabus	र्यावरण | जलवायु परिवर्तन | आपदा प्रबंधन
संदर्भ	भारतीय शहरों को बाढ़, गर्म हवाओं, चक्रवातों और भूकंपों से बढ़ते जोखिम का सामना करना पड़ रहा है; तत्काल जलवायु अनुकूल योजना की आवश्यकता है।
वर्तमान शहरी सुभेद्यत्ताएँ	❖ **बाढ़:** 2/3 शहरी निवासी जोखिम में; 2070 तक आर्थिक नुकसान $30 अरब से अधिक हो सकता है। ❖ **अत्यधिक गर्मी:** शहरों में कंक्रीट के कारण तापमान 3–5°C अधिक; इससे मृत्यु दर, स्वास्थ्य समस्याएँ और उत्पादकता में गिरावट। ❖ **परिवहन:** 25% सड़कें बाढ़-प्रवण; आंशिक जलमग्नता से प्रमुख शहर परिवहन ठप हो सकता है। ❖ **आवास:** खराब डिजाइन → हीट ट्रैपिंग घर, बाढ़-प्रवण झुग्गियाँ; 2070 तक 144 मिलियन नए घरों की आवश्यकता। ❖ **नगर सेवाएँ:** कमजोर कचरा, जल निकासी और ऊर्जा प्रणालियाँ जलवायु-आघात को बढ़ाती हैं।
जलवायु अनुकूल शहरों की आवश्यकता	❖ बाढ़, हीटवेव और आपदाओं से **जीवन की रक्षा।** ❖ **अर्थव्यवस्था की सुरक्षा:** शहर GDP और नौकरियों का >70% उत्पन्न करते हैं। ❖ **समावेशन को बढ़ावा:** आपदाओं के दौरान शहरी गरीबों की सुरक्षा। ❖ **हानि में कमी:** लचीलापन दीर्घकालिक लागत को कम करता है और निवेश को आकर्षित करता है। ❖ यदि लचीलापन नहीं अपनाया गया, तो भारत को **2070 तक प्रति वर्ष $30 अरब** का नुकसान हो सकता है।
चुनौतियाँ	❖ **कमजोर शहरी निकाय (ULBs):** स्टाफ, फंड और विशेषज्ञता की कमी। ❖ **विखंडित शासन:** राज्य, शहर और उप-निकायों के बीच जिम्मेदारियों का ओवरलैप। ❖ **वित्तीय बाधाएँ:** सीमित राजस्व, धीमी जलवायु वित्त तक पहुँच। ❖ **खराब नियोजन:** आर्द्रभूमि/बाढ़-प्रवण क्षेत्रों पर अतिक्रमण जोखिम बढ़ाता है। ❖ **असमानता:** झुग्गी/प्रवासी आबादी उच्च-जोखिम क्षेत्रों में।
उठाए गए कदम	❖ **एनएपीसीसी (जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना) और एसएपीसीसी:** जलवायु अनुकूलन के लिए राष्ट्रीय/राज्य ढाँचे।

	❖ **सतत आवास मिशन:** हरित भवन, लचीला परिवहन और अपशिष्ट प्रबंधन। ❖ **स्मार्ट सिटीज़ और अमृत मिशन:** शहरी बुनियादी ढाँचे में लचीलेपन पर ध्यान। ❖ **हीट एक्शन प्लान:** पूर्व चेतावनी, शीतलन केंद्र, जागरूकता (अहमदाबाद मॉडल)। ❖ **पीएमएवाई-शहरी:** जलवायु-स्मार्ट आवास का समावेश।
रेजिलिएंट शहरों के लिए रणनीतियाँ	❖ **शहरी योजना:** कॉम्पैक्ट डिजाइन, आपदा-प्रतिरोधी कोड, उच्च-जोखिम निर्माण पर रोक। ❖ **बाढ़ प्रबंधन:** आधुनिक जल निकासी, आर्द्रभूमि पुनर्स्थापन, पूर्वानुमान आधारित चेतावनी प्रणाली। ❖ **गर्मी के प्रति अनुकूलन:** वृक्षों की छाया, ठंडी छतें, छायायुक्त गलियारे, बाहरी कार्यों का समायोजन। ❖ **परिवहन:** ऊँचे और वैकल्पिक सड़क/मेट्रो, जो बाढ़ के दौरान भी कार्यशील रहें। ❖ **नगरपालिका सेवाएँ:** जलवायु-प्रूफ जल, अपशिष्ट, स्वच्छता; चक्रीय अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। ❖ **वित्त एवं साझेदारी:** PPPs, ग्रीन बॉन्ड, जलवायु निधि, नागरिक भागीदारी। ❖ **क्षमता निर्माण:** ULB स्टाफ का प्रशिक्षण, GIS/AI जोखिम मैपिंग, संस्थागत सुदृढ़ीकरण।
निष्कर्ष	शहरी जलवायु लचीलापन सतत विकास, सामाजिक न्याय और पारिस्थितिक संतुलन सुनिश्चित करता है। भारत के शहरों को अब जलवायु अनिश्चितताओं के अनुकूल बनकर अपने भविष्य की सुरक्षा करनी होगी।

Topic 12 - लिपुलेख दर्रा

Topic	भारतीय भूगोल | स्थलाकृति
संदर्भ	**भारत–चीन** के बीच **सीमा व्यापार** पुनः शुरू होने के बाद भारत ने **लिपुलेख पर नेपाल के दावे को खारिज** कर दिया है।
लिपुलेख दर्रे के बारे में	❖ **स्थान:** कुमाऊं क्षेत्र, **उत्तराखंड** → **भारत–नेपाल–चीन** ट्राई जंक्शन (त्रिसंधि) के निकट। ❖ **संपर्क:** उत्तराखंड (भारत) को तिब्बत (चीन) से जोड़ता है। ❖ **सीमा व्यापार:** ➢ **चीन के साथ व्यापार** के लिए **भारत का पहली सीमा चौकी** (1992) ➢ बाद में → शिपकी ला (हिमाचल प्रदेश, 1994) और नाथू ला (सिक्किम, 2006)।
महत्व	❖ **प्राचीन व्यापार मार्ग:** पारंपरिक भारत–तिब्बत व्यापार संबंध। ❖ **धार्मिक महत्व:** कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग का हिस्सा। ❖ **रणनीतिक स्थिति:** उच्च हिमालयी दर्रा → हिमालयी सीमांत और भारत की उत्तरी रक्षा का प्रवेश द्वार।

Topic 13 - सुंदरबन टाइगर रिज़र्व (STR)

Topic	पर्यावरण और जैव विविधता | वन्यजीव
संदर्भ	❖ सुंदरबन टाइगर रिज़र्व (STR) के क्षेत्र में 1,044.68 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है → अब यह भारत का **दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिज़र्व** है (**पहला**: नागार्जुनसागर–श्रीशैलम TR)। ❖ कुल क्षेत्रफल: 3,629.57 वर्ग किमी (पहले 7वें स्थान पर था)। ❖ यह विस्तार **राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL)** द्वारा अनुमोदित किया गया - जो **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972** के तहत एक **वैधानिक निकाय** है।
सुंदरबन टाइगर रिज़र्व (STR) के बारे में	➢ **स्थान:** पश्चिम बंगाल; विश्व के सबसे बड़े मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा। ➢ **यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल (1987)** + प्रोजेक्ट टाइगर नेटवर्क का हिस्सा। ➢ मैंग्रोव–बाघ पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वैश्विक रूप से विशिष्ट।
स्थापना	❖ टाइगर रिज़र्व घोषित – 1973 (प्रोजेक्ट टाइगर के पहले चरण में) ❖ राष्ट्रीय उद्यान – 1984 ❖ बायोस्फीयर रिज़र्व – 1989; UNESCO मान्यता – 2001 ❖ रामसर स्थल घोषित – 2019।
जैव विविधता	**वनस्पति (Flora)** ❖ मुख्यतः **मैंग्रोव** वनस्पति: ➢ **सुंदरी** (हैरिटिएरा फोम्स) ➢ **गेवा** (एक्सकोएकेरिया अगालोचा) ➢ **गोलपाटा** (नाइपा फ्रुटिकन्स) ❖ ये वनस्पतियाँ **लवणीय** और **ज्वारीय** परिस्थितियों के अनुकूल होती हैं और **श्वसन जड़ें** (pneumatophores) विकसित करती हैं। **जीव-जंतु (Fauna)** ❖ **रॉयल बंगाल टाइगर** – विश्व का **एकमात्र मैंग्रोव बाघ आवास**; ये बाघ नदी मुहानों को तैरकर पार कर सकते हैं। ❖ अन्य प्रजातियाँ: ➢ खारे पानी का मगरमच्छ, फिशिंग कैट, वॉटर मॉनिटर लिजार्ड (जल गोह) ➢ ऑलिव रिडले कछुए, चीतल हिरण ➢ समृद्ध पक्षी-विविधता → किंगफिशर, बगुले ➢ जलीय जैव विविधता जिसमें **हिल्सा मछली** शामिल है – स्थानीय आजीविका के लिए महत्वपूर्ण।
अद्वितीय विशेषताएँ	❖ विश्व के **सबसे बड़े डेल्टा का हिस्सा**, जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों द्वारा निर्मित है। ❖ **बांग्लादेश** के सुंदरबन रिज़र्व फ़ॉरेस्ट के साथ एक **सीमापार पारिस्थितिकी तंत्र**। ❖ पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों के लिए प्राकृतिक चक्रवात अवरोधक के रूप में कार्य करता है। ❖ मज़बूत सांस्कृतिक–मानव संपर्क → मछुआरों, मधु (शहद) संग्राहकों की आजीविका इस पर निर्भर हैं।

Topic 14 - लाल सागर (Red Sea)	
Topic	विश्व भूगोल
संदर्भ	लाल सागर में समुद्र के नीचे इंटरनेट केबल को नुकसान पहुँचने से एशिया और मध्य पूर्व में कनेक्टिविटी बाधित हुई।
लाल सागर के बारे में	❖ उत्तर-पूर्वी अफ्रीका और अरब प्रायद्वीप के बीच स्थित संकीर्ण अंतर्देशीय सागर; रिफ्ट वैली प्रणाली का हिस्सा। ❖ भूमध्यसागर (स्वेज़ नहर के माध्यम से) को अरब सागर (बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य के माध्यम से) से जोड़ता है। ❖ पड़ोसी देश: मिस्र, सूडान, इरिट्रिया, जिबूती, सऊदी अरब, यमन; अक़ाबा की खाड़ी पर जॉर्डन और इज़राइल। ❖ लंबाई: लगभग 1,930 किमी (स्वेज़ से बाब-एल-मंदेब तक)।
समुद्र-तल (सबमरीन) केबल्स	❖ समुद्र तल पर स्थित फाइबर-ऑप्टिक केबल्स अंतरराष्ट्रीय डेटा ट्रैफिक का लगभग 95% वहन करती हैं। ❖ **संरचना:** काँच के रेशे + सुरक्षात्मक परतें; डेटा को प्रकाश तरंगों के रूप में संप्रेषित करती हैं। ❖ **कार्य:** वैश्विक इंटरनेट, क्लाउड सेवाएँ और अंतर्राष्ट्रीय संचार सक्षम करती हैं। ❖ **संवेदनशीलता:** प्राकृतिक आपदाओं, लंगर से खिंचाव, भूकंप और तोड़फोड़ से प्रभावित होने की संभावना।

SMA, SBL and Ethics

Topic 1 - हॉकी एशिया कप 2025

Syllabus	खेल
संदर्भ	भारत ने राजगीर, बिहार में आयोजित फाइनल मुकाबले में **कोरिया** को **4-1** से हराकर अपना **चौथा पुरुष एशिया कप** खिताब जीता और 2026 एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए सीधी योग्यता प्राप्त की।
प्रतियोगिता के बारे में	❖ यह एक **चतुर्वर्षीय** पुरुष हॉकी प्रतियोगिता है, जिसका आयोजन एशियाई हॉकी महासंघ द्वारा किया जाता है। ❖ एशिया की सबसे प्रतिष्ठित महाद्वीपीय चैम्पियनशिप मानी जाती है। ❖ विजेता को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिलता है।
मेजबानी और शुभंकर	❖ **मेजबान: राजगीर, बिहार** (29 अगस्त – 7 सितम्बर 2025)। यह पहली बार था जब बिहार ने इस टूर्नामेंट की मेजबानी की। ❖ **शुभंकर:** चाँद – लाल चोगा और जादूगर की टोपी पहने **बाघ**, जो कौशल, साहस और फुर्ती का प्रतीक है; वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व से प्रेरित।
मुख्य आकर्षण	❖ **विजेता:** भारत ने फाइनल में कोरिया को 4-1 से हराया। ❖ **भारत का चौथा खिताब:** अब शीर्ष विजेताओं की सूची में पाकिस्तान (3) और कोरिया (5) के साथ शामिल। ❖ **अजेय अभियान:** चीन (7-0) और मलेशिया पर बड़ी जीत। ❖ **महत्त्व:** 2026 एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप का सीधा टिकट सुरक्षित।

Topic 2 - शासन में राजनीतिक हस्तक्षेप

Syllabus	भारतीय राजनीति | नैतिकता
संदर्भ	महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री द्वारा सोलापुर में अवैध खुदाई के खिलाफ अभियान के दौरान IPS अधिकारी अंजना कृष्णा को फटकार लगाना शासन में राजनीतिक हस्तक्षेप को उजागर करता है।
यह क्या है?	❖ राजनेताओं या पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा सिविल सेवकों पर अनुचित प्रभाव डालना। ❖ यह निष्पक्षता, वैधता, योग्यता-आधारित शासन और कानून के शासन को कमजोर करता है।
मुख्य विशेषताएँ	❖ **अनुचित दबाव:** राजनेता छापों, अनुमतियों या प्रशासनिक निर्णयों को प्रभावित करते हैं। ❖ **संरक्षण नेटवर्क:** पदस्थापन, ठेके और कल्याण योजनाओं में पक्षपात, जो पार्टी निष्ठा से जुड़ा होता है। ❖ **निष्पक्षता का क्षरण:** नौकरशाही सत्तारूढ़ दलों का उपकरण बन जाती है। ❖ **अल्पकालिक सोच:** लोकलुभावन उपाय दीर्घकालिक शासन की तुलना में चुनावी लाभ को प्राथमिकता देते हैं। ❖ **कमज़ोर जवाबदेही:** दोष अस्पष्ट हो जाता है, ज़िम्मेदारी तय नहीं होती।
नैतिक मुद्दे	❖ **संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन:** अनुच्छेद 14 की अवहेलना, नियम-आधारित शासन को कमजोर करता है। ❖ **हितों का टकराव:** नेता सार्वजनिक कर्तव्य की तुलना में पार्टी/निजी हितों को प्राथमिकता देते हैं। ❖ **जन विश्वास का क्षरण:** नागरिक पक्षपात महसूस करते हैं, जिससे लोकतंत्र कमजोर होता है। ❖ **अधिकारियों का मनोबल गिरना:** धमकी, स्थानांतरण, अपमान से ईमानदारी कम होती है। ❖ **लिंग और सम्मान संबंधी चिंताएँ:** महिला अधिकारियों के प्रति असम्मान कार्यस्थल नैतिकता का उल्लंघन है।

	❖ **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC) का अवलोकन:** सिविल सेवा का राजनीतिकरण ईमानदारी के लिए सबसे बड़ा खतरा है।
दार्शनिक अंतर्दृष्टि	❖ **प्लेटो:** शासन न्याय से निर्देशित होना चाहिए, न कि जुनून/स्वार्थ से। ❖ **अरस्तू:** "कानून को शासन करना चाहिए, न कि मनुष्यों को"; हस्तक्षेप नियमों को मनमानी में बदल देता है। ❖ **कांत:** जब राजनीति नौकरशाही पर दबाव डालती है, तो सार्वजनिक कल्याण के प्रति कर्तव्य का उल्लंघन होता है। ❖ **मैक्स वेबर:** राजनीतिक प्रभाव नौकरशाही की निष्पक्षता और तर्कसंगत-वैध अधिकार को नष्ट करता है।
चुनौतियाँ	❖ **कानूनी सुरक्षा** का अभाव; मौखिक आदेश भी प्रभावी बने रहते हैं। ❖ बार-बार तबादले (<16 महीने) निरंतरता को कमजोर करते हैं और चापलूसी को पुरस्कृत करते हैं। ❖ सिविल सेवा बोर्ड कमज़ोर, अधिकारियों की रक्षा करने में विफल। ❖ राजनेताओं की जवाबदेही कम; कोई बाध्यकारी नैतिक आचार संहिता नहीं। ❖ चुप्पी की संस्कृति; प्रतिशोध के डर से रिपोर्टिंग और सुधार रुक जाते हैं।
आगे की राह	❖ **निश्चित कार्यकाल व बोर्ड:** सुरक्षित पोस्टिंग के लिए एआरसी की सिफारिशें लागू हों। ❖ **कानूनी समर्थन:** सिविल सेवा आचरण नियमों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करना। ❖ **राजनेताओं के लिए आचार संहिता:** संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए बाध्यकारी नियम। ❖ **शिकायत निवारण:** हस्तक्षेप की रिपोर्टिंग हेतु स्वतंत्र प्राधिकरण। ❖ **प्रशिक्षण व नैतिक नेतृत्व:** अधिकारियों में नैतिकता व संघर्ष समाधान की क्षमता विकसित करना। ❖ **जन जागरूकता:** मीडिया व नागरिक निगरानी से जवाबदेही सुनिश्चित करना।
निष्कर्ष	राजनीतिक हस्तक्षेप निष्पक्षता, न्याय और संवैधानिक नैतिकता को कमजोर करता है। विधि का शासन, ARC सुधार, नैतिक नेतृत्व और संस्थागत सुरक्षा नौकरशाही की रक्षा और लोकतांत्रिक शासन की दृढ़ता के लिए अपरिहार्य हैं।

Topic 3 - भारत में घरेलू क्षेत्र

Syllabus	समाजशास्त्र | कमजोर वर्ग
संदर्भ	लैंगिक भूमिकाओं, दहेज हत्या, घरेलू हिंसा और महिलाओं के अवैतनिक कार्य के अवमूल्यन पर बढ़ती बहसें घरेलू क्षेत्र में संकट को उजागर करती हैं।
घरेलू क्षेत्र (Domestic Sphere) क्या है?	❖ घरेलू क्षेत्र परिवार, घर, देखभाल, लैंगिक भूमिकाओं और घरों के भीतर अंतर-वैयक्तिक संबंधों का निजी क्षेत्र है। ❖ पारंपरिक रूप से **महिलाओं की भूमिका**, भावनात्मक श्रम और अवैतनिक काम से जुड़ा है। ❖ यह क्षेत्र लैंगिक, जाति, वर्ग, कानून और सामाजिक मानदंडों के मुद्दों से जुड़ा हुआ है।
वर्तमान वास्तविकता	❖ **हिंसा और असमानता:** 30% महिलाएँ अंतरंग साथी द्वारा हिंसा का सामना करती हैं (NFHS-5), केवल 14% शिकायत करती हैं; प्रतिवर्ष ~7,000 दहेज मृत्यु ❖ **समय उपयोग सर्वेक्षण (2024): NSSO** ➢ महिलाएं → प्रतिदिन 7 घंटे अवैतनिक घरेलू कार्य + 2.5 घंटे देखभाल। महिलाएँ पुरुषों की तुलना में घरेलू कामों पर 5 गुना अधिक समय बिताती हैं। ➢ पुरुष → 26 मिनट घरेलू कार्य + 16 मिनट देखभाल। ❖ **अदृश्य योगदान:** अवैतनिक कार्य = ~7% GDP (₹22.5 लाख करोड़, SBI 2023)।

	❖ **मान्यता की कमी:** आंगनवाड़ी, आशा, मध्याह्न भोजन कार्यकर्ताओं को "स्वयंसेवक" माना जाता है।
समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण	❖ **पार्सन्स का कार्यात्मकवाद:** घरेलू क्षेत्र को समाज की स्थिरता का आधार मानता है। ❖ **नारीवादी आलोचना:** घरेलू श्रम अदृश्य, अवमूल्यित और लिंग आधारित। ❖ **इंटरसेक्शनैलिटी:** जाति और वर्ग घरेलू पदानुक्रम को आकार देते हैं (जैसे घरेलू कामगार)।
नैतिक और संवैधानिक आयाम	❖ **समानता का उल्लंघन:** अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता) और अनुच्छेद 15 (भेदभाव का निषेध)। ❖ **गरिमा का हनन:** अनुच्छेद 21 (घरेलू हिंसा, वैवाहिक बलात्कार पर बहस)। ❖ **निर्देशक सिद्धांतों की अनदेखी:** ➢ अनुच्छेद 39(d) – पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन ➢ अनुच्छेद 42 – कार्य की न्यायसंगत और मानवीय स्थिति तथा मातृत्व राहत। ❖ **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC):** पितृसत्ता = सुशासन, न्याय और ईमानदारी में सबसे बड़ी बाधा। ❖ **हालिया सुप्रीम कोर्ट निर्णय (2024–25):** वैवाहिक बलात्कार को असंवैधानिक माना; गृहिणियों के अधिकारों का विस्तार किया।
सामाजिक-आर्थिक महत्त्व	❖ **आर्थिक सब्सिडी:** महिलाओं का अवैतनिक श्रम मजदूरी लागत को कम करता है और अर्थव्यवस्था को समर्थन देता है। ❖ **पुस्त पीढ़ी प्रभाव:** देखभाल बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और समग्र विकास तथा बुजुर्गों की भलाई के लिए आवश्यक है → भविष्य की मानव पूंजी सुनिश्चित करता है। ❖ **सामाजिक एकता:** घर में हिंसा विश्वास, लोकतंत्र और उत्पादकता को कमजोर करती है।
चुनौतियाँ	❖ "त्याग" को महिमामंडित करने वाले पितृसत्तात्मक मानदंड। ❖ नीतिगत अवहेलना (वैवाहिक बलात्कार अपराध नहीं, घरेलू हिंसा से कमजोर संरक्षण)। ❖ देखभाल कार्यकर्ताओं का आर्थिक अवमूल्यन। ❖ जाति/वर्ग के आधार पर श्रम का लिंग आधारित विभाजन। ❖ संस्थागत चुप्पी और कमजोर विमर्श।
आगे की राह	❖ **कानूनी सुधार:** वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करें; घरेलू हिंसा अधिनियम को मजबूत करें; देखभाल कार्यकर्ताओं को औपचारिक मान्यता और वेतन। ❖ **आर्थिक मान्यता:** अवैतनिक घरेलू कार्य को राष्ट्रीय लेखांकन में शामिल करें (समय उपयोग सर्वेक्षण); देखभालकर्ताओं के लिए पेंशन और सामाजिक सुरक्षा। ❖ **सांस्कृतिक बदलाव:** साझा घरेलू भूमिकाओं के लिए अभियान; शिक्षा में लैंगिक संवेदनशीलता। ❖ **नीतिगत समर्थन:** सार्वभौमिक बाल-देखभाल, वृद्ध-देखभाल; मातृत्व + पितृत्व लाभ। ❖ **डेटा और निगरानी:** लैंगिक-संवेदनशील नीतियों हेतु नियमित समय उपयोग सर्वेक्षण।
निष्कर्ष	घरेलू क्षेत्र निजी नहीं, बल्कि सार्वजनिक चिंता का विषय है। महिलाओं के श्रम का मूल्यांकन, गरिमा की गारंटी और जिम्मेदारियों का पुनर्वितरण न्याय, समानता और वास्तविक "नारी-शक्ति आधारित लोकतंत्र" के लिए आवश्यक है।
नीतिशास्त्र/निबंध के लिए उद्धरण	"घरेलू क्षेत्र राजनीतिक रूप से तटस्थ नहीं है – यह न्याय या अन्याय का पहला स्थल है।" – द हिंदू, जुलाई 2025

Topic 4 - भारत के कामकाजी युवाओं में अकेलापन	
Syllabus	समाज | समाजशास्त्र
संदर्भ	अकेलापन भारत के **कामकाजी युवाओं (25–35 वर्ष)** के बीच सबसे बड़ी **"कॉर्पोरेट बीमारी"** के रूप में उभर रहा है, जो शहरी प्रवास और आधुनिक कार्य संस्कृति से प्रेरित है।
यह क्या है?	❖ एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति भावनात्मक रूप से अलग-थलग और सामाजिक रूप से अकेला महसूस करता है, भले ही वह लोगों से घिरा हो। ❖ शहरों में बढ़ता हुआ चलन: बेंगलुरु, गुरुग्राम, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई।
आँकड़े व तथ्य	❖ **56% लोग** एकाकीपन स्वीकार करते हैं; 23% महसूस करते हैं लेकिन नकारते हैं; 21% अकेला महसूस नहीं करते। ❖ **लैंगिक अंतर:** 64% महिलाएं बनाम 36% पुरुष एकाकीपन की रिपोर्ट करते हैं। ❖ **डेटिंग ऐप उपयोग:** 19% पुरुष बनाम 4% महिलाएं ❖ प्रवासी युवाओं पर अधिक प्रभाव → पैतृक घर व सामाजिक नेटवर्क से दूर। ❖ **WHO (2021):** अकेलापन अब एक **सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती** है, जिसका संबंध अवसाद, चिंता, और प्रतिरक्षा की कमी से है।
कारण	❖ **शहरीकरण व प्रवासन** ➢ रोज़गार हेतु विस्थापन → परिवार/सामुदायिक समर्थन नेटवर्क से कटाव। ➢ बड़े शहरों में गुमनामी → गहरे संबंध बनाना कठिन। ➢ अस्थायी/किराए के मकानों में रहना → सामुदायिक जड़ें बनने में बाधा। ❖ **बदलते पारिवारिक ढाँचे** ➢ संयुक्त परिवार से एकल परिवारों की ओर बदलाव → अंतर्निहित सामाजिक समर्थन में कमी। ➢ विवाह/संतान में देरी → भावनात्मक शून्यता। ❖ **कार्य-संस्कृति का असर (वर्क-स्लीप-पार्टी चक्र)** ➢ लंबे कार्य-घंटे व दबाव → सामाजिक मेलजोल का समय व ऊर्जा कम। ➢ प्रतिस्पर्धी वातावरण → भाईचारा घटा, अलगाव बढ़ा। ❖ **सतही सामाजिकता**: दोस्ती सहकर्मियों व पार्टी सर्किल तक सीमित → भावनात्मक गहराई का अभाव। ❖ डिजिटल कनेक्टिविटी का विरोधाभास ➢ सोशल मीडिया → व्यापक लेकिन सतही संबंध; FOMO और सामाजिक तुलना को जन्म देता है। ➢ तकनीकी विकल्प – वास्तविक साथ की बजाय डेटिंग ऐप्स और सोशल मीडिया पर निर्भरता। ❖ व्यक्तिवाद – करियर और आय > रिश्ते। ❖ **मानसिक स्वास्थ्य कलंक**: अकेलेपन को स्वीकारने या मदद लेने में हिचक।
प्रभाव	❖ **मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ:** चिंता, अवसाद, बर्नआउट और तनाव का बढ़ा हुआ जोखिम। ❖ **कमजोर सामाजिक पूंजी:** विश्वास, सहयोग और सामुदायिक संबंधों में कमी। ❖ **शारीरिक स्वास्थ्य में गिरावट:** खराब नींद, कमजोर प्रतिरक्षा और पुरानी बीमारियों का खतरा। ❖ **सामाजिक अलगाव:** एक दुष्चक्र जिसमें एकाकीपन सामाजिक संपर्क शुरू करना और कठिन बना देता है। ❖ **परिवार निर्माण में देरी:** विवाह और पितृत्व/मातृत्व टलता है ❖ **सांस्कृतिक बदलाव:** पुनः अरेंज्ड मैरिज का चलन। ❖ **कार्यस्थल पर हानि:** उत्पादकता में कमी, त्यागपत्र, कमजोर सहयोग।

आगे की राह	❖ **कार्यस्थल पहल:** कर्मचारी कल्याण को बढ़ावा देना, टीम गतिविधियाँ प्रोत्साहित करना, कार्य-जीवन संतुलन को बढ़ावा देना। ❖ **सामुदायिक निर्माण:** साझा स्थानों का निर्माण (को-लिविंग, सामुदायिक केंद्र, शहरी समूह), रुचि आधारित समूह और स्थानीय आयोजन। ❖ **डिजिटल डिटॉक्स और उद्देश्यपूर्ण संबंध:** सोशल मीडिया के विवेकपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहित करना और आमने-सामने संवाद को प्राथमिकता देना। ❖ **सांस्कृतिक जुड़ाव:** त्योहार, अनुष्ठान, जातीय संगठन। ❖ **परिवार और मित्र समर्थन:** परिवार और करीबी दोस्तों से सक्रिय संवाद बनाए रखना। ❖ **नीतिगत समर्थन:** शहरी युवा क्लब, मनोरंजन स्थल और प्रवासी समर्थन।
निष्कर्ष	कामकाजी युवाओं का अकेलापन शहरीकरण और आधुनिक कार्य संस्कृति से उत्पन्न एक **समाजशास्त्रीय चुनौती** है। इसका समाधान सामाजिक रिश्तों को मजबूत करने, कार्यस्थल सुधार और सामुदायिक सहयोग में निहित है, ताकि युवाओं का समग्र कल्याण सुनिश्चित किया जा सके।

Topic 5 - भारत में वृद्धावस्था और स्वास्थ्य बोझ

Syllabus	भारतीय समाज/समाजशास्त्र | कमजोर वर्ग | वृद्धजन
संदर्भ	भारत की बुजुर्ग जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, जो स्वास्थ्य, वित्तीय और बीमा संबंधी चुनौतियों का सामना कर रही है; आउट-ऑफ-पॉकेट (स्व-वित्तपोषित) स्वास्थ्य व्यय अभी भी अत्यधिक है।
पृष्ठभूमि	❖ **वृद्धजन (60+ वर्ष) की जनसंख्या:** ~149 मिलियन (2022) → 2050 तक अनुमानित **347 मिलियन (20.8%)**। ❖ **दोहरा भार**: ➢ **स्वास्थ्य:** पुरानी गैर-संक्रामक बीमारियाँ (मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, गठिया) ➢ **वित्त:** आय में कमी, उच्च निर्भरता, कमजोर सामाजिक सुरक्षा। ❖ **आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय:** स्वास्थ्य खर्च का ~48% → कर्ज, संकटपूर्ण वित्तीय प्रबंधन।
प्रमुख स्वास्थ्य चिंताएँ	❖ **बाह्य-रोगी देखभाल (Out-Patient):** पुराना दर्द, बुखार, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, श्वसन/हृदय संबंधी समस्याएं। ❖ **आंतरिक-रोगी देखभाल (In-Patient):** हृदय रोग, स्ट्रोक, मधुमेह की जटिलताएँ, संक्रमण के लिए अस्पताल में भर्ती। ❖ **स्वास्थ्य सुधार समस्याएँ:** लंबे समय तक अस्पताल में रहना, बार-बार संक्रमण, ICU की आवश्यकता, लागत के कारण अनुपालन में कमी।
बीमा कवरेज	❖ **योजनाएँ:** PM-JAY, CMCHIS, CGHS, ESIC, और निजी बीमा ❖ **बीमा स्थिति:** केवल **20% वृद्धजन बीमित**; पुरुष एवं शहरी > महिला एवं ग्रामीण ❖ **बाधाएँ:** जागरूकता की कमी (52.9%), उच्च प्रीमियम, जटिल पंजीकरण प्रक्रिया। ❖ **बहिष्करण:** पेलिएटिव केयर, फिजियोथेरेपी, पुनर्वास, घरेलू ऑक्सीजन शामिल नहीं।
उठाए गए कदम	❖ **PM-JAY का विस्तार (2024): 70 वर्ष से अधिक उम्र** के नागरिकों के लिए सार्वभौमिक कवरेज। ❖ **राज्य एकीकरण:** जैसे तमिलनाडु और केरल ने स्थानीय योजनाओं को PM-JAY के साथ एकीकृत किया। ❖ **NPHCE:** जेरियाट्रिक (वृद्ध) क्लीनिक एवं क्षेत्रीय केंद्रों की स्थापना।

	❖ **स्वास्थ्य बीमा सुधार:** सरलीकृत पंजीयन प्रक्रिया, व्यापक कवरेज। ❖ **सार्वजनिक अस्पताल सुदृढ़ीकरण:** केरल और तमिलनाडु में बेहतर जेरियाट्रिक अवसंरचना।
चुनौतियाँ	❖ उच्च आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय, ग्रामीण-शहरी विभाजन। ❖ कम बीमा कवरेज, उच्च प्रीमियम, और अपवर्जन। ❖ केवल ~6,000 प्रशिक्षित जेरियाट्रिशियन। ❖ निवारक और पेलिएटिव देखभाल की उपेक्षा। ❖ लैंगिक असमानता: वृद्ध महिलाएँ अधिक कमजोर।
आगे की राह	❖ **वित्तीय संरक्षण:** PM-JAY का विस्तार, प्रीमियम पर सीमा, मध्य आयु वर्ग को बचत के लिए प्रोत्साहन। ❖ **पहुँच:** सार्वजनिक अस्पतालों को मजबूत करना, स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण पहुँच। ❖ **निवारक स्वास्थ्य:** वृद्धों के लिए टीकाकरण, PHCs पर प्रारंभिक स्क्रीनिंग। ❖ **जागरूकता और साक्षरता:** राष्ट्रव्यापी बीमा अभियान, सरलीकृत नामांकन। ❖ **मानव संसाधन:** मेडिकल कॉलेजों में जेरियाट्रिक विभाग; ASHA और PHC कर्मचारियों को प्रशिक्षण।
निष्कर्ष	भारत के वृद्ध समाज को **स्वास्थ्य सेवा की सुलभता, वहन क्षमता और बीमा** में तत्काल सुधार की आवश्यकता है। वृद्धजनों के लिए **गरिमा, वित्तीय सुरक्षा और उचित चिकित्सा सहायता** सुनिश्चित करना **समावेशी विकास** के लिए अत्यंत आवश्यक है।

Topic 6 - भारत में भ्रष्टाचार

Syllabus	शासन | भ्रष्टाचार
संदर्भ	राजस्थान उच्च न्यायालय ने पेपर लीक घोटाले के कारण **SI भर्ती 2021** को रद्द कर दिया।
परिभाषा	❖ **भ्रष्टाचार** → सौंपे गए सार्वजनिक अधिकार का निजी लाभ के लिए दुरुपयोग। ❖ यह शुचिता (ईमानदारी), पारदर्शिता और जवाबदेही का उल्लंघन करता है। ❖ यह कर्तव्यनिष्ठ नैतिकता, सद्गुण नैतिकता (ईमानदारी), और सामाजिक अनुबंध के दायित्वों का उल्लंघन है।
मुख्य आंकड़े	❖ **वैश्विक रैंकिंग:** ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में भारत 180 में से 96वें स्थान पर → स्कोर: 39/100 → पिछले 5 वर्षों से स्थिर। ❖ **सबसे प्रभावित क्षेत्र:** भूमि अभिलेख, पुलिस, नगरपालिका सेवाएँ, सार्वजनिक खरीद। ❖ **डिजिटल शासन का प्रभाव:** DBT, ई-गवर्नेंस, JAM ट्रिनिटी ने रिसाव कम किया → लेकिन भ्रष्टाचार अनुबंध, नियामक और लॉबिंग स्तर पर स्थानांतरित हो गया। ❖ **वार्षिक नुकसान:** भ्रष्टाचार के कारण अनुमानित ₹921 अरब (~$11 अरब), जो GDP का लगभग 1.26% है → अवसंरचना और सार्वजनिक सेवाओं को प्रभावित करता है।
भ्रष्टाचार के प्रकार (2nd ARC अनुसार)	❖ **छोटा भ्रष्टाचार:** बुनियादी सेवाओं के लिए छोटी घूस (भूमि अभिलेख, राशन, नगरपालिका सेवाएँ)। ❖ **बड़ा/श्वेत कॉलर भ्रष्टाचार:** बड़ी हेराफेरी, बैंक धोखाधड़ी, सार्वजनिक परियोजनाओं में गलत लेखांकन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस विफलताएँ। ❖ **राजनीतिक भ्रष्टाचार:** वोट खरीदना, अवैध चुनावी फंडिंग, लॉबिंग, भाई-भतीजावाद। ❖ **प्रशासनिक/नौकरशाही भ्रष्टाचार:** खरीद में धोखाधड़ी, टेंडर में हेरफेर, फर्जी लाभार्थी। ❖ **साँठगाँठ/मिलाजुला भ्रष्टाचार:** राजनेताओं, नौकरशाहों और व्यापारियों का गठजोड़।

कारण	❖ **प्रशासनिक:** जटिल नियम + विवेकाधीन शक्तियाँ + कमजोर निगरानी; निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी। ❖ **आर्थिक:** कम वेतन, रेंट-सीकिंग प्रोत्साहन; कमजोर सेवा वितरण → मूलभूत सेवाओं के लिए घूस (राशन, पेंशन, पुलिस, स्वास्थ्य)। ❖ **राजनीतिक:** अपराधीकरण, अनियंत्रित चुनावी वित्तपोषण, व्यापार और राजनीति का गठजोड़। ❖ **सामाजिक और सांस्कृतिक:** "चाय-पानी" का सामान्यीकरण; "चलता है" रवैया → छोटे भ्रष्टाचार की स्वीकृति। ❖ **संस्थागत कमजोरी:** न्याय में देरी, कमजोर व्हिसलब्लोअर कानून, भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों का कमजोर प्रवर्तन; विभिन्न संस्थाओं का अतिव्यापी क्षेत्राधिकार (CBI, ED, लोकपाल, CVC)। ❖ **मनोवैज्ञानिक:** नैतिक उदासीनता, तर्कसंगतता। ❖ **नैतिक शिक्षा की कमी:** स्कूलों और नौकरशाही में मूल्य आधारित प्रशिक्षण का अभाव।
प्रभाव	❖ **व्यक्तिगत स्तर पर:** ➢ योग्यता और निष्पक्षता का ह्रास। ➢ ईमानदार अधिकारियों के लिए नैतिक दुविधाएँ। ➢ गरीब/कमजोर को अधिकारों से वंचित करना। ❖ **आर्थिक**: सार्वजनिक निवेश को विकृत करता है, व्यवसाय की लागत बढ़ाता है (रिश्वत/परमिट लागत), लेनदेन लागत बढ़ाता है और FDI की गुणवत्ता कम करता है; ऑडिट की चूक से राजकोषीय असंतुलन छिप सकता है। ❖ **सामाजिक**: विश्वास को कम करता है, असमानता बढ़ाता है (सबसे गरीब लोग रिश्वत का सबसे बड़ा हिस्सा चुकाते हैं), सार्वजनिक वस्तुओं (स्वास्थ्य, शिक्षा) की गुणवत्ता घटती है। ❖ **राजनीतिक**: जवाबदेही को कमजोर करता है, लोकलुभावन प्रतिक्रिया और अस्थिरता को बढ़ावा देता है; चयनात्मक प्रवर्तन और दण्डमुक्ति को जन्म देता है, लोकतंत्र और शासन को कमजोर करता है।
भ्रष्टाचार-रोधी ढाँचा	❖ **संस्थाएँ**: लोकपाल और लोकायुक्त, CVC, CBI, ED, राज्य सतर्कता आयोग, व्हिसलब्लोअर संरक्षण प्राधिकरण (कम उपयोग) ❖ **कानून**: भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018), बेनामी लेनदेन अधिनियम, 2016, RTI अधिनियम, 2005, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 ❖ **ऑडिट और विधायी निगरानी**: CAG, संसदीय समितियाँ, मीडिया द्वारा उजागर CAG रिपोर्ट ❖ **तकनीकी उपकरण**: ई-टेंडरिंग, ई-प्रोक्योरमेंट, PFMS, आधार-लिंक्ड DBT; 2025: "सतर्क भारत पोर्टल" लॉन्च – नागरिक-आधारित सतर्कता हेतु।
आगे की राह	❖ **नैतिक पुनर्संरेखण:** गांधीवादी ट्रस्टीशिप, मूल्य आधारित प्रशिक्षण (द्वितीय ARC)। ❖ **संस्थागत सशक्तिकरण:** लोकपाल, CVC को सशक्त करें; RPSC/UPSC में पारदर्शिता। ❖ **प्रशासनिक सुधार:** विवेकाधीन शक्तियाँ कम करें; अनुबंधों में डिजिटलीकरण और ब्लॉकचेन को बढ़ावा देना। ❖ **सामाजिक परिवर्तन:** नागरिक-नैतिकता, RTI, मीडिया और सिविल सोसायटी को बढ़ावा। सामाजिक अंकेक्षण और जवाबदेही उपकरणों का विस्तार। ❖ **कानूनी उपाय:** फास्ट-ट्रैक अदालतें, मजबूत व्हिसलब्लोअर संरक्षण।
निष्कर्ष	भ्रष्टाचार केवल **आर्थिक अपराध नहीं, बल्कि नैतिक विफलता** है। भारत को **नियम-आधारित अनुपालन** से **मूल्य-आधारित शासन** की ओर बढ़ना होगा ताकि सार्वजनिक विश्वास बहाल हो और संवैधानिक न्याय साकार हो सके।
नीतिशास्त्र/निबंध के लिए उद्धरण	"भ्रष्टाचार की कीमत गरीब चुकाते हैं।" – **पोप फ्रांसिस** "पारदर्शिता केवल एक सद्गुण नहीं, बल्कि लोकतंत्र में एक आवश्यकता है।" – द हिंदू, अगस्त 2025।

Topic 7 - विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTGs)	
Syllabus	भारतीय समाज/समाजशास्त्र | कमजोर वर्ग | जनजातियाँ
संदर्भ	**जनजातीय कार्य मंत्रालय** (MoTA) ने आगामी जनगणना में **PVTGs की अलग से गणना** करने के लिए जनगणना आयुक्त को निर्देश दिया है ताकि नीतिगत लक्ष्यों को बेहतर ढंग से प्राप्त किया जा सके।
PVTGs कौन हैं?	❖ **अनुसूचित जनजातियों (STs)** के भीतर एक उप-श्रेणी जिन्हें भारत सरकार ने **अत्यंत निम्न विकास संकेतकों** के कारण विशेष ध्यान देने योग्य माना है। ❖ **उत्पत्ति: ढेबर आयोग (1960–61)** ने 'प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स (PTGs)' की श्रेणी की पहचान की। → वर्ष **2006 में नाम बदलकर PVTGs** किया गया। ❖ **संख्या:** प्रारंभ में 52 (पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, 1974–79), अब **75** (**18 राज्यों** और **1 केंद्र शासित प्रदेश** (अंडमान व निकोबार द्वीप समूह) में फैले हुए है)। ❖ **अधिकतम संख्या**: **ओडिशा (13 समूह)** → इसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ❖ **उदाहरण**: बैगा, अबूझ माड़िया, जारवा, ओंगे, सेंटिनलीज, शोम्पेन, **सहरिया** (राजस्थान - **एकमात्र समूह**)।
पहचान के मानदंड (ढेबर आयोग एवं बाद के संशोधन)	❖ **पूर्व-कृषि तकनीक स्तर:** शिकार, संग्रहण, झूम खेती में संलग्न। ❖ **स्थिर या घटती जनसंख्या:** अत्यधिक असुरक्षा का संकेतक। ❖ **अत्यंत निम्न साक्षरता दर:** अनुसूचित जनजातियों की औसत से भी कम। ❖ **जीविका-आधारित अर्थव्यवस्था:** सीमित आर्थिक विविधता, प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक निर्भरता। ❖ **भौगोलिक अलगाव:** दूरस्थ, दुर्गम क्षेत्रों में निवास।
PVTGs के समक्ष चुनौतियाँ	❖ **गहरी जड़ें जमाए गरीबी:** भूमि स्वामित्व की कमी, बाजारों तक सीमित पहुँच। ❖ **शिक्षा:** सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील शिक्षा का अभाव, खराब बुनियादी ढाँचा, अत्यधिक निम्न साक्षरता दर (10–20% बनाम 77.7% राष्ट्रीय औसत)। ❖ **खराब स्वास्थ्य संकेतक:** उच्च शिशु मृत्यु दर (IMR), मातृ मृत्यु दर (MMR), तपेदिक (TB), मलेरिया, सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारियाँ - स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता और स्वच्छ पेयजल की पहुँच सीमित। ❖ **खाद्य असुरक्षा और कुपोषण:** ठिगनापन (ST - 37.9%), वजन कम होना (19.6%), एनीमिया की उच्च दरें। ❖ **आवासीय क्षेत्र की हानि और विस्थापन:** विकास परियोजनाओं, वन नीतियों से खतरा। ❖ **पारंपरिक ज्ञान का क्षय:** अद्वितीय सांस्कृतिक प्रथाओं, भाषाओं, और टिकाऊ आजीविका विधियों का क्षरण। ❖ **शोषण:** साहूकारों, बिचौलियों, और भूमि हड़पने वालों द्वारा शोषण। ❖ **कम आबादी:** कुछ समूहों की अत्यंत छोटी और घटती जनसंख्या, विलुप्त होने का जोखिम (उदाहरण के लिए, ग्रेट अंडमानीज़ - ~50 व्यक्ति, जरावा - ~500 व्यक्ति)।
पृथक गणना की आवश्यकता	❖ **अब तक कोई अलग जनगणना नहीं हुई:** सामान्य ST श्रेणी में शामिल ❖ **सटीक डेटा** → स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका के लिए बेहतर लक्ष्य निर्धारण। ❖ योजनाओं जैसे **PM JANMAN** (₹24,104 करोड़, 2023) के लिए बुनियादी ढांचा अंतराल की पहचान में मदद। ❖ निवास अधिकारों की सुरक्षा और सांस्कृतिक संरक्षण सुनिश्चित करना। ❖ मौजूदा PVTG मानदंडों की प्रासंगिकता का मूल्यांकन और सुधार या गिरावट का आकलन।
संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा	❖ **अनुच्छेद 15(4), 16(4), 46:** अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा, रोजगार और कल्याण के लिए विशेष प्रावधान। ❖ **अनुच्छेद 275:** अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय विकास के लिए अनुदान।

	❖ **पाँचवीं अनुसूची: 10 राज्यों** पर लागू, **जनजातीय सलाहकार परिषदों** (TACs) का प्रावधान और जनजातीय भूमि हस्तांतरण पर प्रतिबंध। ❖ **छठी अनुसूची: 4 उत्तर-पूर्वी राज्यों** पर लागू, **स्वायत्त जिला परिषदों** (ADCs) के लिए प्रावधान जो शासन में अधिक स्वायत्तता प्रदान करता है। ❖ **पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम (PESA), 1996:** अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को प्राकृतिक संसाधनों, स्थानीय विकास पर अधिकार देता है। ❖ **वन अधिकार अधिनियम (2006):** वन अधिकारों को मान्यता देता है, जिसमें सामुदायिक वन संसाधन (CFR) अधिकार शामिल हैं, जो PVTG की आजीविका के लिए महत्वपूर्ण हैं।

Miscellaneous

Topic 1 - सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक (SYSM)

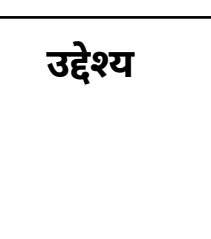

Syllabus	पुरस्कार एवं सम्मान
संदर्भ	**79वें स्वतंत्रता दिवस** की पूर्व संध्या पर, **राष्ट्रपति** ने **ऑपरेशन सिंदूर** के लीडर्स को 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल प्रदान किए।
सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक के बारे में 	❖ **स्थापना:** 26 जून 1980 ❖ **उद्देश्य:** युद्ध/शत्रुता के दौरान असाधारण स्तर की विशिष्ट सेवाओं को मान्यता देना। ❖ **पात्रता:** ➢ थल सेना, नौसेना, वायु सेना के सभी रैंक। ➢ प्रादेशिक सेना, सहायक एवं रिजर्व बल, नर्सिंग अधिकारी एवं सेवाएं। ➢ **मरणोपरांत भी** प्रदान किया जा सकता है।

Topic 2 - प्रोजेक्ट आरोहण

Syllabus	शिक्षा एवं कल्याण
संदर्भ	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण **(NHAI)** ने देशभर में टोल प्लाज़ा कर्मचारियों के बच्चों की **शैक्षिक आकांक्षाओं** को समर्थन देने के लिए **प्रोजेक्ट आरोहण** शुरू किया।
प्रोजेक्ट के बारे में	❖ **शुरुआत:** भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा। ❖ **क्रियान्वयन भागीदार:** SMEC ट्रस्ट का **भारत केयर्स**। ❖ **लक्ष्य समूह:** टोल प्लाज़ा कर्मचारियों के बच्चे, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अल्पसंख्यक और प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी।
उद्देश्य	❖ शिक्षा में **वित्तीय बाधाओं** को दूर करना। ❖ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुँच सुनिश्चित करना। ❖ सामाजिक–आर्थिक अंतर को पाटना। ❖ समग्र समर्थन प्रदान करना → छात्रवृत्ति + मार्गदर्शन + कौशल विकास + करियर परामर्श।
वित्त पोषण एवं लाभ	❖ **प्रथम चरण का आवंटन:** ₹1 करोड़ (जुलाई 2025 – मार्च 2026) ❖ **कवरेज:** 500 छात्र (कक्षा 11 से स्नातक तक) ➢ **छात्रवृत्ति:** ₹12,000 वार्षिक (वित्त वर्ष 2025–26) ❖ 50 प्रतिभाशाली छात्र (स्नातकोत्तर/उच्च अध्ययन)। ➢ **छात्रवृत्ति:** ₹50,000 प्रति छात्र।

Topic 3 - अभ्यास ज़ापाद 2025	
Syllabus	रक्षा & सुरक्षा
संदर्भ	भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल रूस के **निज़नी स्थित मुलिनो प्रशिक्षण मैदान** में आयोजित बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास **ज़ापाद 2025** में भाग लेने के लिए रवाना हुआ।
अभ्यास ज़ापाद 2025 के बारे में	❖ ज़ापाद (रूसी में "पश्चिम") → रूस द्वारा आयोजित **चतुर्वार्षिक** (हर 4 वर्ष) **बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास**। ❖ **ज़ापाद 2025** रूस के निज़नी स्थित मुलिनो प्रशिक्षण मैदान में आयोजित किया जा रहा है। ❖ **भारत की भागीदारी:** भारत त्रि-सेवा दल (ट्राई-सर्विस कंटिन्जेंट) के साथ भाग ले रहा है: ➢ 57 थलसेना कर्मी, 7 वायुसेना कर्मी, 1 नौसेना कर्मी। ❖ मुख्य उद्देश्य → **उच्च-तीव्रता युद्ध** एवं **बहुराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आतंकवाद-रोधी अभियान**। ❖ **इतिहास:** सोवियत युग से इसकी जड़ें जुड़ी हैं; वर्तमान में 2009 से हर 4 साल में आयोजित हो रहा है। ❖ भारत ने पहली बार **2021** में भाग लिया था।

Topic 4 - अभ्यास मैत्री (Exercise MAITREE)	
Syllabus	अंतरराष्ट्रीय संबंध | रक्षा कूटनीति
संदर्भ	अभ्यास मैत्री का **14वाँ** संस्करण (भारत–थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास) 1 से 14 सितंबर 2025 तक **उमरोई, मेघालय** में आयोजित किया जाएगा।
अभ्यास मैत्री के बारे में	❖ **भारतीय सेना** और **रॉयल थाई सेना** के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास। ❖ **फोकस:** संयुक्त अभियानों के लिए रणनीति, तकनीक और प्रक्रियाओं में श्रेष्ठ अभ्यासों का आदान-प्रदान।
प्रमुख विशेषताएँ (2025 संस्करण) 	❖ **क्षेत्र:** अर्ध-शहरी भूभाग में संयुक्त कंपनी-स्तरीय **आतंकवाद-रोधी अभियान**। ❖ **महत्व:** 5 साल बाद भारत में पुनः आयोजन। ❖ **पिछला संस्करण (थाईलैंड, 2019):** ➢ **स्थान:** ताक प्रांत।

Topic 5 - युद्ध अभ्यास सैन्य अभ्यास	
Syllabus	अंतरराष्ट्रीय संबंध | रक्षा कूटनीति
संदर्भ	**भारत** और **अमेरिका** ने टैरिफ तनावों के बावजूद **युद्ध अभ्यास** का अब तक का सबसे बड़ा संस्करण (18वां) **फोर्ट वेनराइट, अलास्का (2025)** में शुरू किया है।
अभ्यास के बारे में	❖ **प्रकार: भारत** और **अमेरिका** के बीच **द्विपक्षीय सेना अभ्यास** ❖ **शुरुआत:** 2004 में, अमेरिका-भारत रक्षा सहयोग पहल के तहत। ❖ **आवृत्ति:** वार्षिक, भारत और अमेरिका के बीच वैकल्पिक रूप से (बारी-बारी से) आयोजित। ❖ **मुख्य फोकस:** आतंकवाद-रोधी अभियानों, शांति स्थापना, तथा उच्च ऊँचाई/उप-आर्कटिक युद्ध पर ध्यान केंद्रित।

	❖ **नवीनतम संस्करण (18वां):** युद्ध अभ्यास 2025 ➢ **तिथियाँ:** 1–14 सितम्बर 2025 ➢ **स्थान:** फोर्ट वेनराइट, युकोन और डॉनेली प्रशिक्षण क्षेत्र, **अलास्का, अमेरिका।**

भारत–अमेरिका सैन्य अभ्यास

अभ्यास	संबंधित बल	फोकस क्षेत्र	नवीनतम संस्करण
युद्ध अभ्यास	थल सेना	संयुक्त युद्ध, शांति स्थापना, HADR, उच्च ऊंचाई अभियान	18वां संस्करण → अलास्का, अमेरिका (सितम्बर 2025)
वज्र प्रहार	सेना (विशेष बल)	आतंकवाद-रोधी, विशेष अभियान, इंटरऑपरेबिलिटी	16वां संस्करण → **उमरोई, मेघालय**, भारत (8–21 अगस्त 2025)
मालाबार	नौसेना (**क्वाड**: भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया)	समुद्री सुरक्षा, पनडुब्बी-रोधी युद्ध, नेविगेशन की स्वतंत्रता	29वां संस्करण → गुआम, प्रशांत महासागर (जून 2025)
कोप इंडिया	वायु सेना	वायु युद्ध, गतिशीलता, निगरानी, संयुक्त योजना	2024 संस्करण → कलैकुंडा, पश्चिम बंगाल
टाइगर ट्रायम्फ	त्रि-सेनाएँ (सेना, नौसेना, वायु सेना)	HADR, उभयचर अभियान, संयुक्त समन्वय	2023 संस्करण → विशाखापत्तनम और काकीनाडा
रेड फ्लैग	वायु सेना	उन्नत वायु युद्ध प्रशिक्षण (अमेरिका नेतृत्व)	भारत ने 2024 में Nellis AFB में भाग लिया

Topic 6 - अभ्यास ब्राइट स्टार 2025

Syllabus	रक्षा एवं सुरक्षा
Context	भारतीय सशस्त्र बल और मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ (IDS) **बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास ब्राइट स्टार 2025** में भाग लेंगे, जिसकी मेज़बानी **मिस्र और अमेरिका** द्वारा की जा रही है।
अभ्यास के बारे में	❖ **प्रकार: द्विवार्षिक बहुपक्षीय त्रि-सेवा** सैन्य अभ्यास, मध्य पूर्व–उत्तर अफ्रीका (MENA) क्षेत्र में। ❖ **शुरुआत:** 1980 (मूल रूप से द्विपक्षीय: मिस्र–अमेरिका)। ❖ **मेज़बान देश:** मिस्र (अमेरिका के साथ साझेदारी में)। ❖ **भारत की भागीदारी:** 2023 संस्करण से नियमित रूप से।

Topic 7 - भारत में बढ़ता कैंसर का बोझ

Syllabus	स्वास्थ्य | शिक्षा
संदर्भ	❖ भारत में कैंसर एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती के रूप में उभर रहा है। ❖ हर **9 में से 1** भारतीय को अपने जीवनकाल में कैंसर का खतरा है। ❖ **संसदीय समिति (2024):** कैंसर से होने वाली मौतें **2025 तक 20% बढ़कर 8.8 लाख वार्षिक** तक पहुँच सकती हैं।

	❖ टीबी, मधुमेह और हृदय रोगों के बढ़ते मामलों के साथ भारत के **"कैंसर राजधानी"** बनने का खतरा है।
वर्तमान स्थिति	❖ **प्रकोप:** ICMR के अनुसार 2025 तक **हर साल 15.7 लाख नए मामले** (संभावित रूप से कम रिपोर्टिंग)। ❖ **मृत्यु दर:** हर साल 0.1–1% की वृद्धि, देर से पहचान के कारण स्थिति और बिगड़ती है। ❖ **प्रमुख कैंसर प्रकार:** ➢ **महिलाओं में:** स्तन कैंसर (प्रमुख) ➢ **मुँह का कैंसर:** तंबाकू, सुपारी सेवन ➢ **फेफड़ों का कैंसर:** धूम्रपान + प्रदूषण ➢ **गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर:** HPV वैक्सीन से रोके जाने योग्य। ❖ **क्षेत्रीय असमानता:** पूर्वोत्तर राज्यों में पेट, ग्रासनली और फेफड़ों के कैंसर अधिक। ❖ **तंबाकू सेवन में गिरावट के बावजूद** मुँह का कैंसर बढ़ रहा है (2009–10 में 34.6% से 2016–17 में 28.6%)।
बढ़ते बोझ के कारण	❖ **जीवनशैली:** निष्क्रिय जीवन, जंक फूड, मोटापा। ❖ **नशे की लत:** तंबाकू और शराब (भारत → WHO के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा तंबाकू उपभोक्ता)। ❖ **प्रदूषण:** PM2.5, औद्योगिक खतरे, असुरक्षित कार्य स्थितियाँ। ❖ **जनसांख्यिकी/आनुवंशिकी:** जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, स्क्रीनिंग की कमी।
मुख्य चुनौतियाँ	❖ **देर से पहचान:** केवल <5% आबादी राष्ट्रीय स्क्रीनिंग में शामिल; 75% मामले उन्नत अवस्था में पहचाने जाते हैं। ❖ **अवसंरचना की कमी:** ~1 करोड़ मरीजों के लिए केवल 2000 ऑन्कोलॉजिस्ट; रेडियोथेरेपी मशीनों की कमी। ❖ **उच्च लागत:** 80% लोग इलाज (₹2–6 लाख) नहीं वहन कर पाते; जेब से खर्च (OOPE) लाखों को गरीबी में धकेलता है। ❖ **जागरूकता की कमी:** कलंक + पारंपरिक चिकित्सा पर निर्भरता → पहचान/निदान में देरी। ❖ **डेटा की कमी:** कमजोर कैंसर रजिस्ट्री → कम रिपोर्टिंग; समिति का सुझाव – कैंसर को **अधिसूचित रोग** घोषित किया जाए।
सरकारी पहलें	❖ **राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम (NPCDCS)**: कैंसर + गैर-संचारी रोगों (NCDs) के लिए स्क्रीनिंग और रेफरल। ❖ **PM-JAY (प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना)**: कैंसर उपचार के लिए ₹5 लाख का कवर। ❖ **राष्ट्रीय कैंसर ग्रिड (NCG)**: एकसमान प्रोटोकॉल के लिए 300+ केंद्रों को एकीकृत किया गया। ❖ **प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY)**: AIIMS और तृतीयक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का विस्तार। ❖ **HPV टीका रोलआउट**: यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम (UIP) के तहत लड़कियों (9–14 वर्ष) के लिए। ❖ **मिशन कैंसर-मुक्त भारत (2025)**: प्रारंभिक पहचान, ग्रामीण पहुँच, AI-आधारित निदान पर ध्यान।
वैश्विक अनुभव	❖ WHO (2024): कैंसर → मौत का विश्व में दूसरा सबसे बड़ा कारण (2022 में 2 करोड़ नए मामले)। ❖ **सर्वश्रेष्ठ प्रथाएँ:** ➢ **UK:** निःशुल्क जन-आधारित स्क्रीनिंग। ➢ **ऑस्ट्रेलिया:** HPV वैक्सीन के माध्यम से गर्भाशय ग्रीवा कैंसर का लगभग उन्मूलन। ➢ **रवांडा:** सीमित संसाधनों में सफल HPV वैक्सीन रोलआउट।
आगे की राह	❖ कैंसर को अधिसूचित रोग घोषित करें + डिजिटल रजिस्ट्रियों को मजबूत करें। ❖ स्तन, गर्भाशय ग्रीवा और मुँह के कैंसर के लिए सार्वभौमिक स्क्रीनिंग (AI-आधारित निदान)। ❖ **सस्ती देखभाल:** सरकारी कैंसर अस्पतालों का विस्तार, जेनेरिक दवाएँ, PM-JAY का व्यापक कवरेज। ❖ **रोकथाम पर ध्यान:** तंबाकू/शराब नियंत्रण, स्वस्थ आहार, FIT इंडिया मूवमेंट।

	❖ **HPV टीकाकरण:** स्कूल-आधारित + जागरूकता अभियान से झिझक दूर करें। ❖ **अनुसंधान और नवाचार:** स्वदेशी दवाएँ, जैव-प्रौद्योगिकी समाधान। ❖ **विकेंद्रीकरण:** जिला स्तर पर कैंसर देखभाल केंद्र। ❖ **PPP मॉडल:** निजी क्षेत्र, NGO की भागीदारी से निदान + देखभाल। ❖ **मानसिक स्वास्थ्य:** परामर्श, दर्द प्रबंधन, होस्पाइस देखभाल (hospice care) को मजबूत करें। ❖ **अंतरराष्ट्रीय सहयोग:** WHO, IAEA और वैश्विक नेटवर्क के साथ साझेदारी।

Topic 8 - राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक (SEEI) 2024

Syllabus	रिपोर्ट और सूचकांक | पर्यावरण | ऊर्जा
संदर्भ	ऊर्जा दक्षता पर **राज्यवार प्रगति** का मूल्यांकन करने हेतु **ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE)** ने 29 अगस्त 2025 को **राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक (SEEI) 2024** जारी किया।
राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक (SEEI) क्या है?	❖ यह एक **समग्र सूचकांक** है जो राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की ऊर्जा दक्षता प्रगति को ट्रैक करता है। ❖ इसे **ऊर्जा दक्षता ब्यूरो** (ऊर्जा मंत्रालय) और **एलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकॉनमी** (AEEE) द्वारा विकसित किया गया है। ❖ **प्रथम संस्करण:** 2018 | **2024 = छठा संस्करण** ❖ **कवरेज:** 36 राज्य/केंद्रशासित प्रदेश ❖ **सूचकांक:** 66 मात्रात्मक और गुणात्मक संकेतक (जैसे ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी) को अपनाना, ईवी (विद्युत वाहन) नीतियां, मांग पक्ष प्रबंधन (डीएसएम) कार्यक्रम) ❖ **क्षेत्र:** भवन, उद्योग, परिवहन, कृषि, डिस्कॉम, नगरपालिका सेवाएँ, क्रॉस-सेक्टोरल। ❖ **उद्देश्य:** ➢ ऊर्जा उपयोग की **डेटा-आधारित निगरानी**। ➢ राज्यों के बीच **स्वस्थ प्रतिस्पर्धा** और **नवाचार** को बढ़ावा देना। ➢ भारत के **नेट-ज़ीरो 2070 विजन** के साथ राज्यों को संरेखित करना।
प्रमुख निष्कर्ष (SEEI 2024)	❖ **प्रदर्शन श्रेणियाँ:** ➢ **फ्रंट रनर्स (>60%):** आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु ➢ **अचीवर्स (50–60%):** असम, केरल ➢ **कंटेंडर्स (30–50%):** हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ओडिशा, उत्तर प्रदेश ➢ **एस्पिरेंट्स (<30%):** शेष राज्य। ❖ **समूहवार अग्रणी राज्य (ऊर्जा खपत के आधार पर):** ➢ **समूह 1 (>15 MTOE):** महाराष्ट्र ➢ **समूह 2 (5–15 MTOE):** आंध्र प्रदेश ➢ **समूह 3 (1–5 MTOE):** असम ➢ **समूह 4 (<1 MTOE):** त्रिपुरा।
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) के बारे में	❖ **स्थापना:** मार्च 2002, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत। ❖ **नोडल मंत्रालय:** ऊर्जा मंत्रालय। ❖ **भूमिका**: ➢ उपकरणों के लिए **स्टार रेटिंग कार्यक्रम** लागू करना।

	➢ **नीतियाँ**, **संहिता** और **भवन विनियम** तैयार करना। ➢ राज्यों को **SEEI** और **कार्य योजनाओं** के माध्यम से मार्गदर्शन देना। ➢ भारत के जलवायु और ऊर्जा संक्रमण लक्ष्यों को समर्थन देना।

Topic 9 - इंडिया रैंकिंग्स 2025

Syllabus	रैंकिंग्स एवं सूचकांक
संदर्भ	**शिक्षा मंत्रालय** ने **इंडिया रैंकिंग्स 2025** जारी की है, जो पूरे भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करती है। यह रैंकिंग **राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF)** के तहत प्रकाशित की जाती है।
इंडिया रैंकिंग्स के बारे में	❖ **क्या है:** विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और विशेष संस्थानों की **वार्षिक रैंकिंग**, जो **2015 में शुरू किए गए NIRF** के माध्यम से की जाती है। ❖ **प्रकाशक: शिक्षा मंत्रालय**, डेटा स्रोत: स्कोपस, वेब ऑफ साइंस, और डर्वेंट इनोवेशन। ❖ **उद्देश्य:** ➢ उच्च शिक्षा में **जवाबदेही, पारदर्शिता और गुणवत्ता** को बढ़ावा देना ➢ **छात्रों, अभिभावकों और नीति निर्माताओं** को मार्गदर्शन देना ➢ उच्च शिक्षण संस्थानों को **NEP 2020** और **2047 तक भारत को ज्ञान महाशक्ति** बनाने के विजन से जोड़ना।
मूल्यांकन के मानदंड (भार)	❖ **शिक्षण, अधिगम और संसाधन:** 30% – संकाय, छात्र संख्या, वित्तीय संसाधन। ❖ **अनुसंधान और पेशेवर अभ्यास:** 30% – प्रकाशन, उद्धरण, पेटेंट। ❖ **स्नातक परिणाम:** 20% – प्लेसमेंट, उच्च शिक्षा, वेतन। ❖ **आउटरीच और समावेशन:** 10% – लिंग, क्षेत्रीय विविधता, समावेशन। ❖ **छवि (Perception):** 10% – अकादमिक और सार्वजनिक प्रतिष्ठा।
प्रमुख प्रवृत्तियाँ (2025)	❖ **IIT मद्रास:** ➢ **सामान्य श्रेणी में प्रथम स्थान** (लगातार 7वें वर्ष) ➢ **इंजीनियरिंग श्रेणी में प्रथम स्थान** (लगातार 10वें वर्ष)। ❖ **IIISc बेंगलुरु:** ➢ **विश्वविद्यालय श्रेणी में प्रथम स्थान** (लगातार 10वें वर्ष) ➢ **अनुसंधान संस्थानों में प्रथम स्थान** (लगातार 5वें वर्ष)।

Topic 10 - वैश्विक शांति सूचकांक (Global Peace Index - GPI) 2025	
Syllabus	रिपोर्ट्स एवं सूचकांक
संदर्भ	वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में आइसलैंड को लगातार 18वें वर्ष सबसे शांतिपूर्ण देश (1वां स्थान) घोषित किया गया, जबकि भारत को **163 देशों में 115वां स्थान** मिला तथा भारत के स्कोर में मामूली सुधार दर्ज हुआ है।
वैश्विक शांति सूचकांक क्या है?	❖ यह एक **वार्षिक सूचकांक** है जो **163 देशों में शांति की स्तिथि** को मापता है (विश्व की 99.7% जनसंख्या को कवर करता है)। ❖ **प्रकाशन संस्था:** इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस (IEP), **सिडनी** ❖ **मूल्यांकन के मानदंड:** 23 संकेतक | 3 प्रमुख क्षेत्र: ➢ **सामाजिक सुरक्षा एवं स्थिरता:** अपराध, राजनीतिक स्थिरता, शरणार्थी प्रभाव। ➢ **चल रहे संघर्ष:** युद्ध, आतंकवाद, नागरिक अशांति। ➢ **सैन्यकरण:** रक्षा खर्च, हथियार व्यापार, सशस्त्र बलों की संख्या।
2025 की रैंकिंग	❖ **शीर्ष स्थान**: **आइसलैंड** (लगातार 18वें वर्ष सबसे शांतिपूर्ण), आयरलैंड, न्यूजीलैंड, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड। ❖ **निम्नतम**: रूस, यूक्रेन, सूडान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, यमन।
भारत और GPI 2025	❖ **रैंक:** 115वां | **स्कोर:** 2.229। ❖ **सुधार:** +0.58% (2024 - रैंक 116 से बेहतर)। ❖ **सकारात्मक:** घरेलू हिंसा में कमी, सामाजिक स्थिरता में सुधार। ❖ **चुनौतियाँ:** अत्यधिक सैन्यीकरण, सीमा-पार तनाव, और आंतरिक अशांति की छिटपुट घटनाएँ। ❖ **क्षेत्रीय स्थिति:** बांग्लादेश (123), पाकिस्तान (144), अफगानिस्तान (158) की तुलना में बेहतर प्रदर्शन।

Topic 11 - उम्मीद पोर्टल (Umeed Portal)	
Syllabus	शासन | अल्पसंख्यक कल्याण
संदर्भ	❖ **अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय** ने उम्मीद' पोर्टल पर एक **नया मॉड्यूल** लॉन्च किया है। ❖ यह विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथों को **वक्फ-अलल-औलाद** संपत्तियों से भरण-पोषण के लिए आवेदन करने की सुविधा देगा।
उम्मीद पोर्टल के बारे में	❖ **पूरा नाम**: यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। ❖ **यह क्या है**: अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म। ❖ **मुख्य लक्ष्य:** भारत भर में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन में पारदर्शिता और दक्षता लाना। ❖ **संबंधित संस्थाएँ:** अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (नोडल), राज्य वक्फ बोर्ड, न्यायपालिका। ❖ **उद्देश्य**: ➢ वक्फ संपत्तियों का समयबद्ध और पारदर्शी पंजीकरण। ➢ डिजिटल सशक्तिकरण → अधिकारों की पहुँच एवं विवाद समाधान। ➢ जवाबदेही हेतु रीयल-टाइम डेटा और जियो-टैगिंग।
प्रमुख विशेषताएँ	❖ **समयबद्ध पंजीकरण:** सभी संपत्तियों का 6 माह के भीतर पंजीकरण। ❖ **जियो-टैगिंग + डिजिटलीकरण:** क्षेत्र और स्थान की सटीक मैपिंग।

	❖ **विवाद ट्रिगर:** अपंजीकृत संपत्तियाँ → वक्फ न्यायाधिकरण को भेजी जाएँगी। ❖ **कानूनी सहायता:** अधिकार स्पष्ट करने और जागरूकता हेतु टूल्स। ❖ **महिला सुरक्षा:** महिलाओं की संपत्ति को वक्फ घोषित नहीं किया जा सकता; लेकिन महिलाएँ, बच्चे और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पात्र रहेंगे।
कानूनी आधार	❖ **उम्मीद नियम 2025 का नियम 8(2):** विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथों को वक्फ-अलाल-औलाद संपत्तियों से भरण-पोषण सहायता के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है। ❖ **वक़्फ़ अधिनियम 1995 की धारा 3(r)(iv):** वक्फ के उद्देश्य की परिभाषा का विस्तार करता है ताकि विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथों के भरण-पोषण को शामिल किया जा सके।
वक्फ-अल-औलाद	❖ परिवार के लिए वक्फ (एक प्रकार का **निजी वक्फ**)। ❖ किसी मुस्लिम व्यक्ति द्वारा अपने **परिवार/वंशजों के लाभ** के लिए समर्पित संपत्ति, जिसका अंतिम लाभ दान में जाता है। ❖ इसका उद्देश्य परिवार की आर्थिक सुरक्षा और जिम्मेदारी को सुनिश्चित करना होता है। ❖ मुस्लिम व्यक्तिगत कानून के तहत मान्यता प्राप्त और इजमा (आम सहमति) द्वारा मान्य। ❖ अब आय का उपयोग विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथों के लिए किया जा सकता है।
नीतिशास्त्र/निबंध के लिए उद्धरण	"पारदर्शिता सार्वजनिक संस्थानों में विश्वास की दिशा में पहला कदम है।" – संपादकीय, **द हिंदू**।

Your Notes